सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2007-2008

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6ठां व 7वां तल, कोर-3, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003

फोन: 91-11-24361145, 24360216, फैक्स 91-11-24360010

ई-मेल : asstsecy@cercind.gov.in

बेब-साइड: www.cercind.gov.in

विषय सूची

1.	आयोग का संक्षिप्त विवरण	1
2.	आयोग के अधिदेश	3
3.	कार्यलक्ष्य विवरण (मिशन)	5
4.	आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का संक्षिप्त विवरण	7
5.	आयोग का मानव संसाधन	15
6.	विनियामक प्रक्रियाएं और कार्यवाहियां	17
7.	पूर्व वर्ष का सिंहावलोकन	23
	(i) केंद्रीय सलाहकार समिति	23
	(ii) विनियामक मंच के रूप में विविदा का भूमिका	27
	(iii) संगोष्ठी/सम्मेलन/प्रशिक्षण/आदान-प्रदान कार्यक्रम	27
	(iv) वर्ष 2007-08 के दौरान जारी अधिसूचनाएं	29
8.	वार्षिक लेखा विवरण 2007-08	31
9.	वर्ष 2007-08 के दौरान किए गए क्रियाकलाप	33
10.	उपभोक्ता के फायदे तथा ऊर्जा सेक्टर के विकास के संदर्भ में विनियामक प्रक्रिया के निष्कर्ष	100
11.	वर्ष 2008-09 के लिए कार्यसूची	106
12.	उपाबंधों की सूची	107
	(i) के.वि.वि.आ. का संगठनात्मक चार्ट	
	(ii) आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारिवृंदों के ई-मेल आई.डी. और दूरभाष संख्या	
	(iii) संगोष्ठियों/सम्मेलनों/आदान-प्रदान कार्यक्रमों, जिनमें भारत के बाहर, आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों/सचिव/कर्मचारिवृंद ने भाग लिया	
(iv)	ऐसे कार्यक्रम जिनमें भारत में आयोग के कर्मचारिवृंद ने भाग लिया	
(v)	1.4.2007 से 31.3.2008 तक की अवधि के दौरान आयोग के समक्ष फाइल की गई याचिकाओं की प्रास्थिति	

(vi) 80% पीएलएफ पर पैसे/केडब्लूएच एक्स–बस में 31.03.2008 को विद्यमान एनटीपीसी के उत्पादन केन्द्रों के उत्पादन (टैरिफ) की लागत

मार्च 2008 में एनटीपीसी के कोयला आधारित पिट हैड उत्पादन केन्द्रों के उत्पादन की लागत

मार्च 2008 एनटीपीसी के नान–पिट हैड केन्द्रों के लिए उत्पादन की लागत

मार्च 2008 में एनटीपीसी के गैस/आरएलएनजी ईंधन तथा निपको के गैस आधारित केन्द्रों के उत्पादन (टैरिफ) की लागत

मार्च 2008 में एनटीपीसी संयुक्त साईकल केन्द्रों के द्रव ईंधन पर उत्पादन की लगात

मार्च 2008 में एनएलसी के सिग्नाई आधारित केन्द्रों पर उत्पादन की लगात

आयोग का संक्षिप्त विवरण

विद्युत क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना 1990 के दशक से ही रही है जब 1994 में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता वाली ऊर्जा संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति ने "पब्लिक और निजी उपयोगिताओं की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र वृत्तिक टैरिफ बोर्डों का गठन" की सिफारिश की । समिति ने यह भी दोहराया कि "टैरिफ बोर्ड प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफों को तैयार करने वाले मामले में वृत्तिक वाद की उच्च अवस्था को उनके साथ लाने में समर्थ होंगे"।

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन मे पुनः दोहराया गया । सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ-साथ ऊर्जा के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए, यह सहमति हुई कि राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इनको एक निश्चित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया ।

इस प्रकार, केन्द्र तथा राज्यों में विनियामक आयोगों को बनाने की तैयारी करते हुए विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को अधिनियमित किया गया था।

1996 का अधिनियम टैरिफ विनियमन से सरकार को दूर रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम विद्युत टैरिफ सहायिकियों आदि के बारे में, पारदर्शी नीतियों के सुव्यवस्थीकरण के लिए केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध करता है। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार ने, जुलाई, 1998 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) का गठन किया। चूंकि, अब विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1996 को विद्युत अधिनियम, २००३ द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के उपबंधों के अधीन सृजित सीईआरसी को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के रूप में मान्यता दी गई।

आयोग न्यायिक-कल्प स्वरूप में कार्य करता है । इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य

और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के अध्यक्ष पदेन सदस्य के रूप में शामिल हैं। स्वतंत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय, एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, अधिनियम यह विहित करता है कि अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त अथवा प्रबंधन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो । यह आयोग में निरूपित की जाने वाली विभिन्न विधाओं के एक व्यापक स्वरूप को भी निर्धारित करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम के यथा विहित केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित एक चयन समिति की सिफारिशा पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । अधिनियम एक सचिव की नियुक्ति के लिए भी उपबंध करता है, जो अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करता है और जिसकी शक्तियां और कर्तव्य आयोग द्वारा परिभाषित किए जाते हैं

विद्युत अधिनियम, 2003 ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के उत्तरदायित्व में एक महत्वपूर्ण अभिवृद्धि की है । विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन केवल टैरिफ नियतन की शक्तियां ही केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में विहित थी । 2003 की नई विधि के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को टैरिफ नियतन की शक्तियों के अतिरिक्त विभिन्न अन्य उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं जैसे अन्तर-राज्यिक पारेषण, अन्तर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने और परिणामस्वरूप अनुज्ञप्ति में संशोधन करने, उसे निलंबित और प्रत्याहृत करने की शक्तियां, अनुज्ञप्तिधारियों के लिए निष्पादन मानक बनाकर और उनका पालन सुनिश्चित करते हुए विनियमित करने की शक्तियां, आदि।

आयोग के अधिदेश

जैसा विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा न्यस्त है आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है:–

आज्ञापक कृत्य :

(क) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली अथवा उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कम्पनियों के टैरिफ का विनियमन करना;

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कम्पनियों से भिन्न उत्पादन कम्पनियों के टैरिफ का विनियमन करना यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां एक राज्य से अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन और विक्रय के लिए संयुक्त स्कीम में प्रवेश करती हैं या अन्यथा उनकी ऐसी कोई संयुक्त स्कीम है;

(ग) विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण को विनियमित करना;

(घ) विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ अवधारित करना;

(ङ) किसी भी व्यक्ति को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और उनकी अंतरराज्यिक संक्रियाओं की बाबत विद्युत व्यापारी के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना;

(च) उपर्युक्त खंड (क) से खंड (घ) तक से संबंधित विषयों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को अंतर्वलित करने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन करना तथा माध्यस्थम् के लिए किसी विवाद को निर्दिष्ट करना;

(छ) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस उद्गृहीत करना;

(ज) ग्रिड मानकों को ध्यान में रखते हुए ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना;

(झ) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा की क्वालिटी, निरंतरता और विश्वसनीयता की बाबत मानकों को विनिर्दिष्ट और प्रवृत्त करना;

(ञ) विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार में, यदि आवश्यक समझा जाए, व्यापार व्यय मार्जिन नियत करना;

(ट) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए जाएं।

सलाहकारी कृत्य

(i) राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति का बनाना ;

(ii) विद्युत उद्योग के क्रियाकलाप में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययिता का संवर्धन करना;

(iii) विद्युत उद्योग में विनिधान का समर्थन; और

(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय ।

हमारा कार्यलक्ष्य (मिशन)

आयोग का आशय थोक बिजली बाजारों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययिता को बढ़ावा देना, आपूर्ति की क्वालिटी में सुधार करना, निवेश को बढ़ाना और मांग व आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने हेतु संस्थागत अवरोधों को समाप्त करने के लिए सरकार को सलाह देना तथा इस प्रकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है । इन उद्देश्यों के अनुसरण में आयोग का लक्ष्य :

- भारतीय विद्युत ग्रिड कोड, उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए.बी.टी.) के माध्यम से क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों के प्रचालन और प्रबन्धन में सुधार करना।
- एक कारगर टैरिफ निर्धारण तंत्र को तैयार करना जिससे टैरिफ याचिकाओं का शीघ्रता से और समयबद्ध रूप में निपटान सुनिश्चित होगा और थोक विद्युत और पारेषण सेवाओं की कीमत के संबंध में प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता और कार्यकुशलता को बढ़ावा मिलेगा और न्यूनतम लागत पर निवेश सुनिश्चित होगा।
- अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच को सुकर बनाना ।
- अंतर-राज्यिक व्यापार को सुकर बनाना।
- उर्जा बाजार के विकास को प्रोत्साहन देना।
- सभी पणधारियों (स्टाक होल्डरों) को जानकारी देने में सुधार करना।
- थोक विद्युत और पारेषण सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बाजारों के विकास के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तनों को सुकर बनाना।
- प्रतिस्पर्धी बाजारों के सृजन के लिए प्रथम चरण के रूप में, पर्यावरणीय सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षा संबंधी समस्याओं तथा विद्यमान विधायी अपेक्षाओं की सीमाओं के भीतर पूंजी और प्रबंधन के लिए प्रवेश और निकास के अवरोधों को हटाने के संबंध में सलाह देना है ।

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का संक्षिप्त विवरण

श्री भानु भूषण

सदस्य

(फरवरी, 2004 से कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं)

श्री भानु भूषण ने 4 फरवरी, 2004 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया । उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी (आनर्स) डिग्री प्राप्त की है । उन्होंने 1966 में स्नातक करते ही रेनूसागर पावर कंपनी लिमिटेड, केंद्रीय जल और ऊर्जा आयोग, भारतीय ऊर्जा परियोजना परिसंघ, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, डेजइन (नई दिल्ली) प्रा. लि. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन और पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया में भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए कार्य किया ।

अपने लंबे कैरियर में श्री भूषण ने थर्मल और संयुक्त साइकल ऊर्जा संयंत्रों के डिजाइन का विशेष अध्ययन किया और भारत में अधिकांश प्रशस्त ऊर्जा संयंत्रों की इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । इन संयंत्रों ने, किसी भी प्रकार की डिजाइन से संबंधित समस्याओं के बिना कम से कम तकनीकी बातों में उनकी व्यक्तिगत अन्तर्ग्रस्तता के कारण उत्कृष्ट कार्य निष्पादन किया ।

उन्होंने 1991 में पी जी सी आई एल में इसके प्रारंभ से कार्यभार ग्रहण किया और 1997 में उन्होंने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और समर्पित कार्य के कारण इसके निदेशक (प्रचालन) का कार्यभार ग्रहण किया। उनके उत्तरदायित्वों में पीजीसीआईएल का देशव्यापी ई एच वी नेटवर्क (99% से अधिक की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए) के ओ एंड एम व्ययों का पर्यवेक्षण और पांच क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों का प्रचालन करना सम्मिलित है। वे उपलब्धता आधारित टैरिफ के संबंध में,अभिस्वीकृत प्राधिकारी हैं और फ्रिक्वेंसी लिंक्ड भार प्रेषण और अनुसूचित विनियम के लिए टैरिफ तथा रिएक्टिव ऊर्जा की वोलटता-लिंक्ड कीमत की विचारधारा के प्रजनक हैं। इनकी ग्रिड पैरामीटरों में सुधार करने, उत्कृष्टता के अनुसार उत्पादन को समर्थ बनाने तथा ऊर्जा व्यापार के लिए रूपरेखा प्रदान करने के लिए 2002-03 के दौरान विश्व बैंक द्वारा सराहना की गई तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया तथा भारत में अंतरराज्यिक स्तर पर कार्यान्वित किया गया ।

उन्होंने भारतीय विद्युत ग्रिड कोड से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं और अंतर-उपयोगिता आदान-प्रदान के लिए विशेष ऊर्जा मीटरों के स्वदेशी अभिवर्धन को विनिर्दिष्ट किया और उनका मार्गदर्शन किया ।

उन्होंने 1993-94 में संयुक्त राज्य अमेरिका में ईसीसी द्वारा थोक ऊर्जा टैरिफ संबंधी एडीबी वित्तपोषित अध्ययन का समन्वय किया। वे संकर गुरू स्वामी समिति के सदस्य-सचिव थे और विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक, 1998, जिसमें पारेषण को एक पृथक् क्रियाकलाप के रूप में मान्यता दी गई, को अंतिम रूप देने में अंतर्वलित थे । उन्होंने उस सीबीआईपी समिति की अध्यक्षता भी की जिसने ईएचवी संरक्षण संबंधी सिफारिशों को विरचित किया । वे आईईई के ज्येष्ठ सदस्य हैं तथा सीआईजीआरई और उसकी अध्ययन समिति के सदस्य हैं। ऊर्जा प्रणाली के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्होंने 1996 के लिए सीबीआईपी डायमंड जुबली पी एम आहलूवालिया पुरस्कार प्राप्त किया। सी आई जी आर ई के पशासनिक परिपद ने वर्ष 2004 में श्री भानु भूषण को प्रति उन्होंने अनेक तकनीकी लेख लिखे हैं और एकीकृत ग्रिड प्रचालन, उनके समाधान, अंतर-उपयोगिता टैरिफ, ऊर्जा क्षेत्र सुधार आदि की समस्याओं पर असंख्य व्याख्यान दिए हैं ।

श्री आर. कृष्णामूर्ति
सदस्य
(मई 2007 से कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं)

श्री आर. कृष्णामूर्ति ने 10 मई, 2007 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में पद भार ग्रहण किया । इसके पूर्व वे फरवरी, 2005 से दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य थे। श्री कृष्णामूर्ति के पास ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। उन्होंने 28 वर्ष से अधिक ऊर्जा क्षेत्र में कार्य किया । पावर फाइनेंस कारपोरेशन में 16 वर्ष से अधिक की पदावधि के दौरान विभिन्न पदों, जिसमें निदेशक (वित्त तथा वित्तीय प्रचालन) भी सम्मिलित है, पर रहने के पश्चात् वे जनवरी 2006 में पावर फाइनेंस पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके पूर्व उन्होंने लगभग 10 वर्ष तक नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्य किया है। उन्होंने कुछ समय तक नागपुर में मिनरल एक्सफ्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड में भी कार्य किया। उन्होंने अपने कैरियर की शुरूआत 1970 में भारतीय संपरीक्षा तथा लेखा विभाग में अनुभाग अधिकारी (वाणिज्यिक) के पद से आरंभ की ।

पांवर फाइनेंस कारपोरेशन में अपने कैरियर के दौरान, इकाई मूल्यांकन, परियोजना मूल्यांकन आदि के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के पश्चात् उन्होंने प्राइवेट सेक्टर ऊर्जा उत्पादकों को वित्तीय सहायता देने में सहायता दी थी । वे राज्य ऊर्जा उपयोगिताओं के संस्थागत विकास से भी जुड़े हुए थे तथा उन्होंने राज्य ऊर्जा क्षेत्र के सुधार तथा पुनर्संरचना प्रारंभ करने में अपना योगदान दिया । उन्हें देश में सर्वोच्च 10 पीएसयू में से एक होने के लिए सितम्बर, 2004 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री से उत्कृष्टता के लिए स्कोप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे भारत सरकार के एपीडीआरपी (प्रख्यापित ऊर्जा विकास तथा सुधार कार्यक्रम) के अधीन राज्य विनिर्दिष्ट सुधार संबंधी ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गठित दीपक पारिख समिति के सदस्य थे । वे परियोजना प्रबंधन संस्थान, एनटीपीसी, नोएडा के सलाहकार परिषद् के सदस्य भी थे।

उन्होंने दिल्ली और उसके आस-पास विभिन्न संस्थानों के संकाय का दौरा किया है। उन्हें

वित्त परियोजना मूल्यांकन, वित्तीय विश्लेषण, लागत इंजीनियरिंग, निधि प्रबंधन, विदेशी मुद्रा सुधार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, संसाधन संग्रहण, विश्लेषण तथा तुलनपत्र का निर्वचन मूल्यांकन प्रक्रिया, पूंजी व्यय विनिश्चय, लेखाकन, कर योजना तथा ऐसे ही वित्तीय मामलों में काफी अनुभव है ।

वे दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग में दो टैरिफ आदेशों के मुद्दे से जुड़े हुए थे तथा "दिविविआ प्रदाय कोड तथा निष्पादन मानक विनियम" संबंधी को अंतिम रूप दिया तथा उन्हें अपनी पदावधि के दौरान जारी किया । वे अप्रैल, 2007 के पश्चात् आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु-वर्षीय टैरिफ संबंधी विनियम में अन्तर्वलित थे । अपनी पदावधि के दौरान उन्होंने केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से तथा वितरण कंपनियों को अन्य से ऊर्जा के आबंटन को अंतिम रूप दिया तथा 1 अप्रैल, 2007 से दिल्ली में अन्तरा-राज्यिक एबीटी को आरंभ किया था ।

वे भारत के लागत तथा संकर्म लेखा संस्थान के अध्येता सदस्य हैं तथा उन्होंने कंपनी सचिव संस्थान की मध्यवर्ती परीक्षा भी उत्तीर्ण की है । उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से बीएसी (गणित) में स्नातक किया है ।

श्री राकेश नाथ
अध्यक्ष, के.वि.प्रा. तथा सदस्य - पदेन के.वि.वि.आ.
(अक्तूबर, 2005 से पदभार ग्रहण किए हुए हैं)

श्री राकेश नाथ को अक्तूबर , 2005 में अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के रूप में नियुक्ति की गई थी । उन्हें 3 नवम्बर, 2005 में एन.पी.सी.आई.एल के बोर्ड पर नियुक्त किया गया था ।

श्री राकेश नाथ, अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, अक्तूबर, 2005 से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य (पदेन) हैं । उनके पास विभिन्न संगठनों, अर्थात् केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन, उत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड में विभिन्न हैसियत में ऊर्जा क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है । उनके पास केन्द्रीय प्रणाली के प्रचालन तथा रखरखाव, जल प्रदाय का विनियमन, वृहत्त अन्तरसंयोजित क्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिडों के प्रचालन में नाना प्रकार का अनुभव है ।

श्री राकेश नाथ को वर्ष 2001 में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और वे भाखड़ा ब्यास हाइड्रो केन्द्र, जिसकी संस्थापित 2866 मेगावाट की है और जो उत्तरी क्षेत्र में वृहत्त हाइड्रो कांप्लेक्स है, के प्रशासिन, प्रचालन तथा रखरखाव के लिए उत्तरदायी थे । अपनी पदावधि के दौरान, बी.वी.एम.बी. काफी अधिक उत्पादन हुआ तथा सारवान् रूप से संयत्रों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है वर्ष 2000-2001 के दौरान पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में अपनी पदावधि के दौरान देश के कमी वाले क्षेत्रों में अधिशेष ऊर्जा के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण संव्यवहार आरंभ किए और ट्रेडिंग कारपोरेशन को लाभ कमाने वाली कंपनी के रूप में परिवर्तित किया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ ऊर्जा के व्यापार के लिए भारतीय प्रतिनिधित्व का सदस्य के रूप में नवम्बर, 1998 में पाकिस्तान का दौरा किया तथा सितम्बर, 2001 में इंडो नेपाल ऊर्जा व्यापार का संवर्धन करने के लिए भारतीय दल के सदस्य के रूप में काठमांडू का दौरा किया। उन्होंने जनवरी/फरवरी, 1999 में नई दिल्ली में पाकिस्तान सरकार के साथ बात-चीत में भाग लिया।

श्री राकेश नाथ देश के दो वृहत्त क्षेत्रीय ग्रिड एनआरईबी और डब्ल्यू.आर.ई.बी. के सदस्य-सचिव तथा विभिन्न क्षेत्रों में ग्रिड फेल होने पर जांच करने तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त अन्य विभिन्न समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं । वे अन्तर - क्षेत्रीय ऊर्जा विनिमय के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित कार्यकारी समूह के संयोजक थे जिसने देश के बाहर अन्तर-क्षेत्रीय ऊर्जा अन्तरण की संरचना के लिए एक रास्ता तैयार किया।

श्री राकेश नाथ ने 1984 में यू.के. तथा 1993 में स्वीडन में ऊर्जा प्रणाली प्रचालन तथा नियंत्रण के पाठ्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने सितम्बर, 2002 में अवसादन संबंधी विशेषज्ञ समिति, वृहत्त डाम संबंधी अन्तरराष्ट्रीय समिति की कार्यवाहियों में सदस्य के रूप में भाग लिया। उन्हें अगस्त, 2003 में बुफैलो, यू.एस.ए. में हुए जल ऊर्जा संबंधी अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए नियुक्त किया था ।

आयोग का मानव संसाधन

अधिनियम के अधीन आयोग के बहुत व्यापक दायित्व हैं । आयोग के अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन की कार्यकुशलता, इंजीनियरिंग, आर्थिक, वित्तीय प्रबंधन, लेखांकन, विधि, पर्यावरण, सूचना प्रबंधन प्रणाली और अन्य संबद्ध कार्य-क्षेत्रों में समुचित विशेषज्ञता और अनुभव वाले इसके कर्मचारियों की दक्षता और कार्यात्मक विशेषज्ञता पर निर्भर करती है । आयोग के प्रमुख मानव संसाधन की सूची **उपाबंध** - 1 तथा **उपाबंध** - 2 में दी गई है । इसके अतिरिक्त, आयोग, सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध मानव संसाधन और उनकी व्यापक सुविज्ञता और अनुभव का भी उपयोग करना चाहता है । इन-हाउस कुशलता और अनुभव में संवृद्धि करने के लिए आयोग परामर्शदाओं की सेवाएं लेता है और इस प्रयोजन के लिए, इसने विनियम बनाए हैं । आयोग में कर्मचारिवृंद की स्थिति और वर्ष 2007-08 के दौरान भर्ती किए गए कर्मचारिवृन्द का ब्यौरा नीचे सारणी -1 और 2 में दिया है ।

सारणी - 1

31 मार्च, 2008 को कर्मचारिवृन्द की स्थिति

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	सचिव	1	-	1
2.	प्रमुख	4	3	1
3.	संयुक्त प्रमुख	5	4	1
4.	उप प्रमुख	13	7	6
5.	वित्तीय सलाहकार	1	-	1
6.	सहायक प्रमुख	16	9	7
7.	न्यायपीठ अधिकारी	2	1	1
8.	सहायक सचिव	2	-	2

9.	वेतन एवं लेखा अधिकारी	2	1	1
10.	प्रधान निजी सचिव	4	4	-
11.	निजी सचिव	5	5	-
12.	सहायक	6	5	1
13.	वैयक्तिक सहायक	7	5	2
14.	आशुलिपिक	4	2	1
15.	स्वागती-सह-दूरभाष आपरेटर	1	1	-
16.	वरिष्ठ चपरासी/दफ्तरी	2	-	2
17.	चपरासी	4	2	2
18.	ड्राइवर	4	4	-
	योग	**83**	**53**	**30**

- **वर्ष 2007-08 के दौरान भर्ती की प्रास्थिति**

सारणी - 2

2007-08 के दौरान भर्ती

क्रम सं.	**पद का नाम**	**भरे गए पदों की संख्या**
1.	उप प्रमुख	1
2.	वेतन तथा लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी	1
3.	सहायक	2
	कुल	**4**

विनियामक प्रक्रियाएं और कार्यवाहियां

केन्द्रीय आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन अपने निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है

(1) विनियमों को अधिसूचित करता है ;

(2) निम्नलिखित से संबंधित याचिकाओं के आदेश जारी करता है

- अनुज्ञप्ति जारी करने
- टैरिफ अवधारित करने
- याचिकाओं का पुनर्विलोकन और प्रकीर्ण याचिकाएं ।

1. विनियमों को अधिसूचित करने के लिए प्रक्रिया

आयोग विनियम जारी करने से पूर्व विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करता है, इसके साथ ही, उन मुद्दों पर, जिन पर विनियम बनाया जाना प्रस्तावित है, परामर्श पेपर तैयार किए जाते हैं। परामर्श पेपर कर्मचारिवृन्द स्तर पर तैयार किया जाता है और उसे स्टाफ पेपर के नाम से भी जाना जाता है। परामर्श पेपर/ स्टाफ पेपर का पणधारियों से टीका-टिप्पणी और सुझाव आमंत्रित करने के लिए इलैक्ट्रानिक और प्रिंट माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। टीका-टिप्पणियों की प्राप्ति पर, मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई की जाती है। प्राप्त टीका-टिप्पणियों और सार्वजनिक सुनवाई में हुए विचार-विमर्श के आधार पर प्रारूप विनियम तैयार किया जाता है। अधिनियम की अपेक्षा अनुसार, ड्राफ्ट विनियमों पर पूर्व प्रकाशन की कार्यवाही की

विनियमों के लिए प्रक्रिया

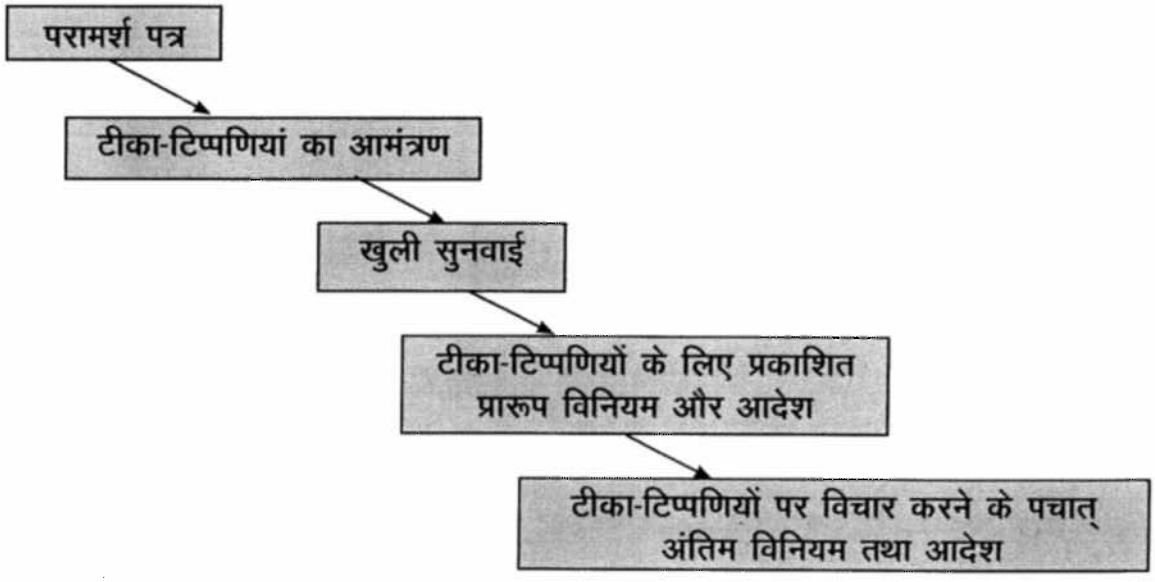

जाती है इससे यह लक्षित होता है कि प्रारूप विनियम पणधारियों से टीका-टिप्पणी मंगाने के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। टीका-टिप्पणियों की प्राप्ति और उन पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् ही विनियमों को अंतिम रूप से भारत के राजपत्र में प्रकाशित/अधिसूचित किया जाता है तथा कारणों के कथन को पृथक रूप से वेवसाइड पोस्ट किया जाता है।

(2) याचिकाओं से संबंधित आदेश के लिए प्रक्रिया

आयोग के समक्ष याचिकाएं/आवेदन प्रारंभिक रूप से निम्नलिखित के लिए किए जाते हैं:

- उत्पादन और पारेषण के लिए टैरिफ का अवधारण करने ;
- विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण और अंतर-राज्यिक व्यापार में अनुज्ञप्ति प्रदान करने;

उपरोक्त के अलावा, आयोग के समक्ष निम्नलिखित याचिकाएं/आवेदन भी फाइल किए जाते हैं :

- प्रकीर्ण याचिकाएं
- पुनर्विलोकन याचिकाएं

आवेदक विहित फीस के साथ याचिकाएं फाइल करते हैं और अपनी याचिकाओं की प्रति की सभी संबंधितों को तामील करते हैं। आवेदक से टैरिफ तथा अनुज्ञप्ति के लिए अपने आवेदन को अपनी वेवसाइड पर प्रकाशित करने और

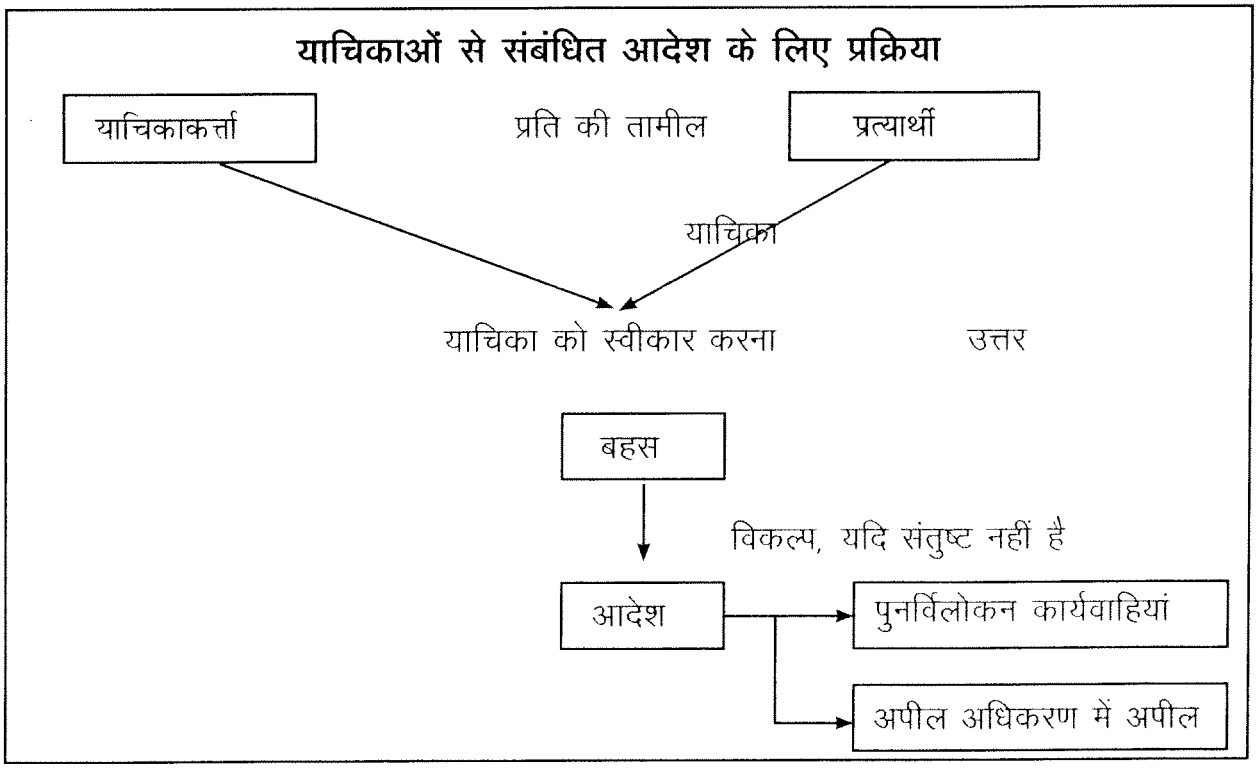

जनता से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए समाचारपत्र में नोटिस देने की अपेक्षा की जाती है। तत्पश्चात्, सार्वजनिक सुनवाई की जाती है और जहां याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी आयोग के समक्ष अपने मामले के संबंध में बहस करते हैं । आयोग सभी संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई करने के पश्चात् याचिका पर अंतिम आदेश पारित करता है। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी को आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन करने के लिए या और विद्युत अपील प्राधिकरण के समक्ष आयोग के आदेश के विरुद्ध विधि के अधीन अनुज्ञात किया जाता है।

2.1. टैरिफ अवधारण की प्रक्रिया और सिद्धान्त

के.वि.वि.आ. के सृजन के पूर्व, केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों, अर्थात् एन.टी.पी.सी., एन. एच.पी.सी., एन.एल.सी. और निपको का टैरिफ परियोजना विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जा रहा था । केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, १९९८ के अधीन जुलाई, १९९८ से अस्तित्व में आया । के.वि. वि.आ. को, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों के टैरिफ के अवधारण का कार्य सौंपा गया था । इस कार्य का निर्वहन करने के लिए, आयोग से टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने की अपेक्षा की गई थी । सभी पणधारियों की सुनवाई की पारदर्शी प्रक्रिया पूरा करने के पश्चात् आयोग ने टैरिफ निबंधनों और शर्तों को अंतिम रूप दिया तथा तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2001-04 के लिए मार्च, 2001 में उन्हें अधिसूचित किया । आयोग ने मार्च, 2004 में और पांच वर्ष की अवधि, अर्थात् 2004-09 के लिए नए टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अधिसूचित किया। उपरोक्त अधिसूचनाएं स्टेशनवार उत्पादन टैरिफ और पारेषण टैरिफ लाइनवार या प्रणालीवार टैरिफ का अवधारण करने का उपबंध करती है।

टैरिफ समय-समय पर, यथा लागू टैरिफ के निबंधनों और शर्तों के अनुसार लागू किया जाता है। निबंधन और शर्तें वित्तीय सन्नियम और तकनीकी सन्नियम अन्तर्विष्ट करती हैं। टैरिफ को प्रायः लागत प्लस टैरिफ कहा जाता है क्योंकि परियोजना की पूंजी लागत टैरिफ संगणना के लिए आरंभिक बिन्दु होती है। इसे विनियमित टैरिफ कहना और अधिक समुचित होगा क्योंकि वास्तविक पूंजी व्यय से भिन्न टैरिफ के लिए स्वीकार अधिकांश वित्तीय और तकनीकी पैरामीटर मानकीय होते हैं न कि वास्तविक। थर्मल केन्द्रों के परिवर्तनीय प्रभार मासिक भारित औसत कीमत और ईंधन के हीट मूल्य के अनुसार ईंधन कीमत परिवर्तन के लिए सही होते हैं ।

टैरिफ संगणना बहुत ही जटिल होती है क्योंकि टैरिफ में लाए जाने वाले विभिन्न तत्वों

को पूर्ण टैरिफ में सम्मिलित करने के लिए व्यष्टिक रूप से संगणित किया जाता है । प्रत्येक उत्पादन केन्द्र के लिए उसकी स्वीकृत पूंजी लागत, आधारित ईंधन कीमत और जी.सी.वी. तथा पर्याप्त प्रचालन के लागू सन्नियम पर निर्भर करते हुए, टैरिफ भिन्न-भिन्न होता है। प्रक्रिया में काफी समय लगता है किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उपयोगिता दक्ष और मितव्ययी रीति से कार्य करते हैं और विक्रता उपयोगिता से उच्च कीमत प्राप्त करने के लिए अपनी प्रबल स्थिति का दुरुपयोग नहीं करते हैं ।

थर्मल उत्पादन केन्द्रों के टैरिफ में निम्नलिखित दो भाग सम्मिलित होते हैं:

(1) वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी)

(2) परिवर्तनीय प्रभार

वार्षिक नियत प्रभार में पांच तत्वों सम्मिलित हैं, अर्थात् ईक्विटी पर रिटर्न, ऋण पर ब्याज अवक्षयण तथा अवक्षयण के प्रति अग्रिम, ओ. एंड एम. व्यय तथा कार्यकरण पूंजी पर ब्याज और इसकी संगणना आयोग द्वारा स्वीकृत प्रज्ञावान पूंजी व्यय के आधार पर की जाती है। यदि उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो आयोग टैरिफ आदेश में कारण देते हुए पूंजी व्यय को अननुज्ञात या सीमित कर सकता है। के.वि.वि.आ. द्वारा विनियमित सभी केन्द्रों को "आगे के दिन" की अनुसूचीकरण की प्रक्रिया का पालन करना होता है। और अपनी उपलब्धता की घोषणा "आगे के दिन" के आधार पर करनी होती है। केन्द्र की वार्षिक उपलब्धता वर्ष के प्रत्येक दिन के लिए घोषित उपलब्धता का भारित औसत होता है। थर्मल केन्द्रों की दशा में, नियत प्रभारों की पूर्ण वसूली लक्ष्य उपलब्धता को प्राप्त करने के लिए जुड़ी होती है । लक्ष्य उपलब्धता के स्तर से नीचे नियत प्रभारों की वसूली में आनुपातिक कटौती होगी । उत्पादन केन्द्रों के फायदाग्राहियों से ली गई विद्युत की मात्रा को ध्यान में रखे बिना एएफसी का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है ।

थर्मल केन्द्रों के लिए परिवर्तनीय प्रभार प्रचालन के सन्नियम के आधार पर संदेय होते हैं, अर्थात् हीट रेट के अनुसार केन्द्र दक्षता अर्थात्, हीट ऊर्जा इलैक्ट्रिकल ऊर्जा तथा सहायक ऊर्जा के एक यूनिट के उत्पादन, विनिर्दिष्ट ईंधन तेल खपत तथा सहायक ऊर्जा खपत । ईंधन लागत की संगणना विनिर्दिष्ट सन्नियमों के आधार पर तथा वास्तविक हीट मूल्य पर विचार करते हुए और एक मास से दूसरे मासिक आधार पर ईंधन की कीमत के आधार पर की जाती है । परिवर्तनीय प्रभार अनुसूचित उत्पादन के तत्स्थानी संदेय होते हैं ।

फायदाग्राही, परिवर्तनीय प्रभारों पर निर्भर रहते हुए, केन्द्र के मैरिट आदेश के आधार पर अपनी निकासी अनुसूची तैयार करते हैं ।

हाइड्रो केन्द्रों की दशा में, ईंधन संघटक नहीं होता है तथा एएफसी क्षमता प्रभार और परिवर्तनीय प्रभार में विभाजित होता है । हाइड्रो उत्पादन केन्द्र के लिए क्षमता प्रभारों की पूर्ण वसूली क्षमता इंडेक्स नामक जल उपलब्धता के तत्स्थानी प्राप्त लक्ष्य उपलब्धता से जुड़ी होती है । क्षमता इंडेक्स की संकल्पना व्यस्तम घंटों के दौरान हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों के भंडारण आकार के उपयोग को सुनिश्चित करती है तथा नदी से चलने वाले हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों की दशा में, जल के रिसाव को हत्सोत्साहित करती है । हाइड्रो उत्पादन केन्द्र के लिए काल्पनिक परिवर्तनीय प्रभार क्षेत्र में थर्मल उत्पादन केन्द्रों की औसत न्यूनतम परिवर्तनीय लागत होती है। यह मैरिट आदेश में हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों के पूर्ण प्रेषण को सुकर बनाती है ।

के.वि.वि.आ. द्वारा विनियमित सभी अन्तर-राज्यिक उत्पादन का अनुसूचीकरण निम्नलिखित समय के अनुसार आगे के दिन के आधार पर अपने-अपने क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा किया जाता है :

9.00 बजे प्रातः	उत्पादन केन्द्र द्वारा अगले दिन के लिए उपलब्धता की घोषणा
10.00 बजे प्रातः	आर.एल.डी.सी. अपने-अपने एस.एल.डी.सी. को प्रत्येक फायदाग्राही द्वारा की हकदारी के बारे में सूचित करेगा ।
3. बजे सायं	एस.एल.डी.सी. द्विपक्षीय के साथ-साथ अपनी अध्यपेक्षाएं आर.एल.डी.सी. को भेजेगा ।
5 बजे सायं	आर.एल.डी.सी. प्रत्येक उत्पादन केन्द्र की प्रेषण अनुसूची तथा प्रत्येक फायदाग्राही की निकासी अनुसूची प्रेषित केरगा ।
10 बजे रात्रि	अनुसूचियों में परिवर्तन करने के अनुरोध की अंतिम तारिख
12 बजे रात्रि	अनुसूची प्रभावी होगी ।

उपरोक्त अनुसूचियों में किसी भी प्रकार के फेरफार को "अननुसूचित विनिमय" माना जाता है । वास्तविक समय फेरफार/अंतर परिवर्तन के लिए वाणिज्यिक व्यवस्था यू आई दर नामक परिवर्तनीय फ्रिंक्वेंसी लिंक्ड रेट के माध्यम से की जाती है । भारत में एक विलक्षण तंत्र है तथा चक्रण रिजर्व के अभाव में ग्रिड अनुशासन को प्रभावित करने के लिए प्रवर्तित तथा प्रभावी वाणिज्यिक तंत्र की व्यवस्था करता है ।

उपयोगिता, प्रोत्साहन सूत्र के अनुसार केद्र के कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहन के हकदार भी होते हैं। पूर्व निर्धारित लक्ष्य से निम्न उपलबधता प्रदान करने में असफल रहने पर आनुपातिक शास्ति उद्गृहीत की जाएगी ।

पारेषण लाइन/उप-केन्द्र/पारेषण प्रणाली टैरिफ में लक्ष्य उपलब्धता से जुड़ा वार्षिक नियत प्रभार सम्मिलित होता है । पारेषण उपयोगिता लक्ष्य उपलब्धता से उच्चतर उपलब्धता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के भी हकदार होते हैं

केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों और अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणालियों का टैरिफ रिपोर्ट की समाप्ति में उपाबद्ध है। टैरिफ की स्पष्ट तुलनात्मक स्थिति देने के लिए वार्षिक नियत प्रभारों को पैसा/के डब्ल्यूएच में संपरिवर्तित किया जाता है।

पूर्ववर्ष का सिंहावलोकन

(I) केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी)

आयोग ने नीति निर्माण, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता की निरंतरता और क्वालिटी, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण तथा ऊर्जा की आपूर्ति तथा उपयोगिताओं द्वारा कार्य निष्पादन के समग्र मानकों के संबंध में सलाह देने के लिए आयोग ने केंद्रीय सलाहकार समिति का गठन किया है जिसमें वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों और ऊर्जा क्षेत्र में शैक्षणिक तथा अनुसंधान निकायों को प्रतिनिधित्व दिया गया है । केंद्रीय सलाहकार समिति की संरचना निम्नलिखित रूप में की गई है :

1. श्री वी. सुब्रमनयन, सचिव, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, नई दिल्ली ।
2. श्री रमेश चन्द्रा, सदस्य (विद्युत), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
3. श्री जी.एस. राजामणि, भूतपूर्व सद, के. वि.वि.आ., एफ-2 हारमोनी अपार्टमेंट्स, 56, 4 मेन रोड, राजा अनामलईपुरम, चेन्नई ।
4. श्री संजय मित्रा, संयुक्त सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
5. श्री एस.के. गर्ग, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी लि0, परीदाबाद ।
6. श्री टी. संकरालिंगम, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, एनटीपीसी लि0, नई दिल्ली ।
7. श्री आर.पी. सिंह, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि0, नई दिल्ली ।
8. सुश्री रचेल चटर्जी,, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, हैदराबाद ।
9. श्री मलय कुमार डे, अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड, कोलकाता ।
10. श्री एस.सी. दास, अध्यक्ष, असम राज्य विद्युत बोर्ड, गुवाहाटी ।
11. श्रीजे.पी. चालसानी, निदेशक, रिलायंस इनर्जी लि0, नई दिल्ली ।

12. श्री प्रसाद आर मेनन, प्रबंध निदेशक, टाटा पावर कंपनी लि0, मुम्बई ।

13. श्री वी. रघुरमन, ज्येष्ठ सलाहकार (ऊर्जा), भारतीय उद्योग संघ, गुड़गांव ।

14. डा. अमित मित्रा, महासचिव, फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स और इंडस्ट्री, नई दिल्ली ।

15. श्री अजय भूषण पांडे, प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि0, मुम्बई।

16. श्री गगन कुमार ढल, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, ग्रिडको लि0, भुवनेश्वर।

17. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अध्यक्ष, उत्तर प्रेदश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।

18. डा0 बी.एस. मान, प्रधान, पंजाब किसान संघ, पंजाब ।

19. श्री आर चिदम्बरम, अध्यक्ष, आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन, चेन्नई ।

20. श्री प्रदीप एस. मेहता, महासचिव, सीयुटीएस, जयपुर, राजस्थान।

21. श्री गिरीश संत, प्रयास, पुणे।

22. श्री रवि मोहन, प्रबंध निदेशक, क्रेडिट रेटिंग इंर्फोमेशन सर्विस आफ इंडिया लि0, मुम्बई।

23. श्री वी.एस. शेट्टी, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, आईडीबीआई, मुम्बई।

24. श्री के. रामनाथन, ज्येष्ठ फैलो, दी एनर्जी एंड रिर्सोसेस इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली ।

25. डा0 सुमन कुमार बैरी, महानिदेशक, नेशनल काउंसिल फार एप्लाइड इकनोमिक रिसर्च, नई दिल्ली ।

26. श्री टी.एल. संकर, सलाहकार, भारतीय प्रशासनिक स्टाप कालेज, हैदराबाद ।

27. डा0 बादल मुखर्जी, प्रो0 (सेवानिवृत्त), 38/5, प्रोवियन रोड़, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - 9 ।

28. श्री दीपक पारिख, अध्यक्ष, आवास विकास वित्त निगम, मुम्बई ।

29. श्री एल मानसिंह, सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली

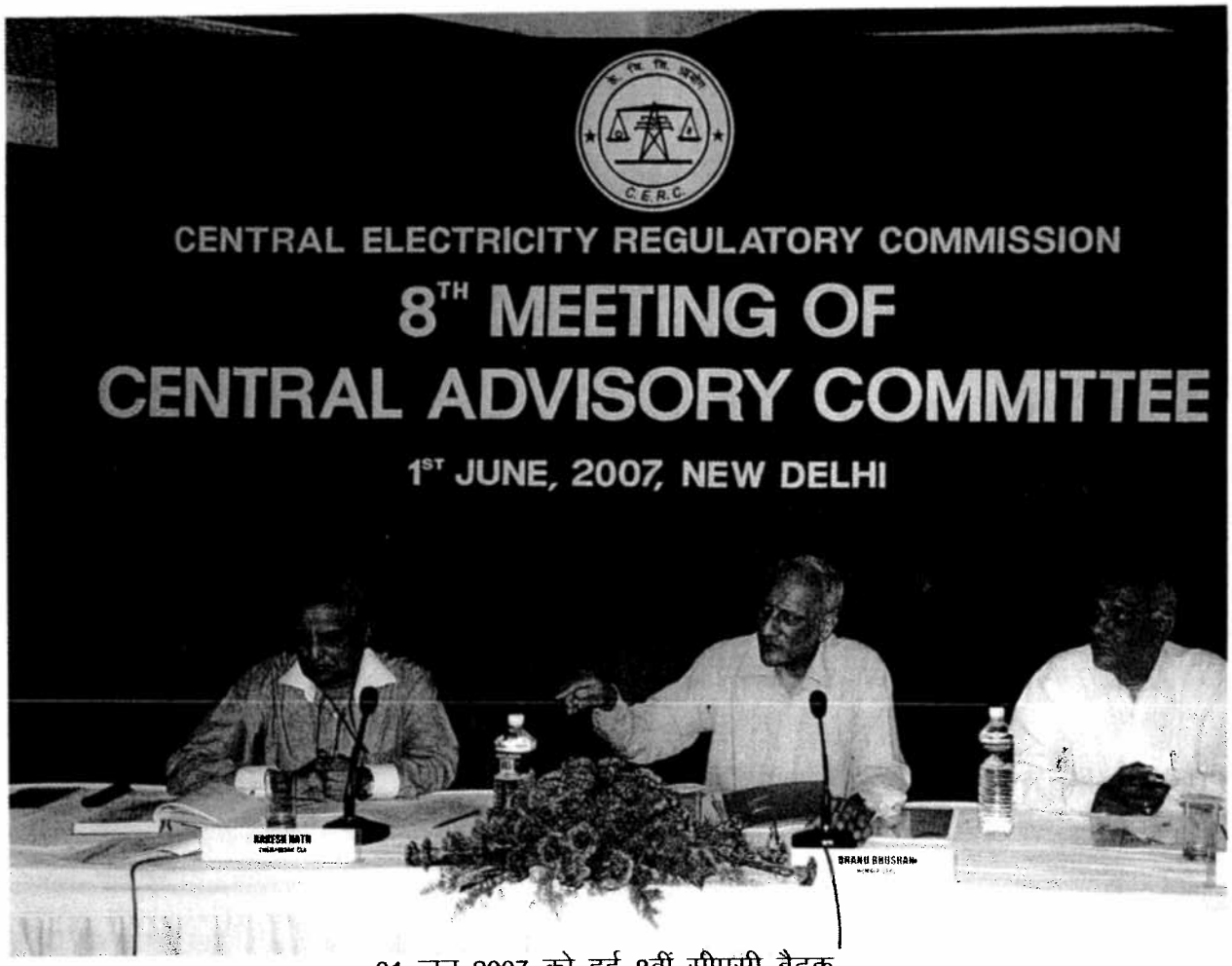

01 जून 2007 को हुई 8वीं सीएसी बैठक

निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति की 8वीं वैठकें 1 जून, 2007 को इंडिया हैबिटाट सैंटर में हुई थी :

- **पावर एक्सचेंज का विकास**

विद्युत बाजार के विकास के संबंध में, वे विविआ द्वारा की गई कार्रवाई, विशेषकर भारत में पावर एक्सचेंज की स्थापना के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के रूप में तैयार कर्मचारिवृन्द पेपर, एक साधारण कार्य था। समिति ने यह महसूस किया कि पावर एक्सचेंज के कृत्यों को सुचारू रूप से समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त पारेषण कारीडोर प्रदान किए जाने होंगे तथा पारेषण पहुंच के अनुसार पावर एक्सचेंज को एकमुश्त सहायता बढ़ाई जानी होगी । राज्य नेटवर्क प्रणाली में निर्वाध पहुंच न देने के लिए अवरोध तथा उसकी संरक्षा के संबंध में चिन्ता व्यक्त की गई जिससे पावर एक्सचेंज विफल हो सकता है। में वाणिज्यिक परिपेक्ष्य में वास्तविक रूप से

01 जून 2007 को हुई 8वीं सीएसी बैठक

तैयार परिस्थिति को अनुज्ञात करने के लिए आयोग द्वारा अंगीकार प्रस्ताव के साथ आम सहमति बनी ।

- **हाइड्रो विकास तथा हाइड्रो स्टेशन के लिए विनियमित टैरिफ के मुद्दे**

उन मुद्दों जो विद्यमान हाइड्रो टैरिफ डिजाइन की बाबत आयोग के समक्ष आए, पर चर्चा की गई थी क्षमता इंडेक्स की संकल्पना के परिणाम स्वरूप उत्पादकों तता फायदाग्राहियों के बीच असाभ्य हाइड्रोलाजिकल जोखिम भागीदारी संबंधी मुद्दे । दूसरी चिन्ता यह व्यक्त की गई थी कि वर्तमान टैरिफ फारमेंट उच्च पीक ऊर्जा प्रदान करने केच लि प्रकट प्रोत्साहान के लिए उपबंध नहीं करता है ।

- **ऊर्जा उपयोगिताओं द्वारा देयों के संदाय में व्यतिक्रम के लिए उपचार संबंधी विचार-विमर्श पेपर**

पावर उपयोगिताओं द्वारा देयों के संदाय में व्यतिक्रम के लिए उपचार पर आयोग द्वारा जारी विचार विमर्श पेपर पर चर्चा की गई। आयोग ने यह स्पष्ट किया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जब अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली एक जाल

बन गई है, पारेषण लाइनों को वस्तुगत रूप से खोलने के लिए व्यतिक्रमी इकाई को प्रदाय की कटौती के लिए न तो यह संभव था और न ही वांछनीय। यह स्पष्ट किया गया कि व्यतिक्रमी ईकाई को ऊर्जा के प्रदाय की अनुसूचियों में कटौती करते हुए उपचार किए जा सकते हैं। जब व्यतिक्रमी इकाई की अनुसूची में कटौती की गई थी, यह संभव था कि प्रभावित उपयोगिता ग्रिड से इस तथ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निरंतर अधिक निकासी करते रहे कि यह कटौती की तत्स्थानी उसकी निकासी में कमी करने के लिए था। ऐसी परिस्थिति में, व्यतिक्रम उपयोगिता पर प्रादेशिक यूआई पूल खाते के संदाय के लिए भारी दायित्व उपगत किया जा सकेगा। समस्या तब उठेगी जब वह अपने यूआई देयों का संदाय करने में असफल रहता है। यह भी उल्लेख किया गया कि यूआई संदाय व्यतिक्रम की वसूली के लिए केन्द्रीय योजना सहायता से चोरी को समाप्त करने के लिए विचार विमर्श पेपर में सुझाव निवारक के लिए ही थे।

- **अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में प्रभारों की भागीदारी तथा हानियों के लिए प्रस्तावित अभिगम संबंधी विचार-विमर्श पेपर**

विषय पर आयोग द्वारा जारी विचार-विमर्श पेपर के संबंध में समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया। यह महसूस किया गया था कि पारेषण कीमत की संकल्पना एक आत्मपरक, जटिल तथा तर्कवादी मुद्दा था। यह सुझाव दिया गया था कि एक आयोग को एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करना चाहिए जिससे कि विचार-विमार्श पेपर में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों के दुष्प्रभाव को पूर्णतः समझने के लिए सभी पणधारियों को एक पर्याप्त अवसर मिल सके।

(ii) विनियामक के व्यवस्थित फोरम (एफओआर) में के.वि.वि.आ. की भूमिका

विनियामकों के फोरम को विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया गया है। फोरम में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष तथा राज्य विनियामक आयोगों के अध्यक्ष सम्मिलित हैं। के.वि.वि.आ. के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं। के.वि.विआ. ने ऊर्जा क्षेत्र के सामने आने वाली कठिनाइयों के विभिन्न मुद्दों पर देश में विद्युत विनियामक के बीच आम सहमति बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

(iii) सेमिनार/सम्मेलन/प्रशिक्षण/आदान–प्रदान कार्यक्रम

आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव तथा कर्मचारिवंद द्वारा भाग लिए गए सेमिनारों/सम्मेलनों/ प्रशिक्षण / संयंत्र दौरा/आदान–प्रदान कार्यक्रमों के ब्यौरे उपबंध–3 और उपबंध–4 में दिए गए हैं।

वर्ष (2007-08) के दौरान जारी अधिसूचनाएं

आयोग ने वर्ष 2007-08 के दौरान निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की :

अधिसूचनाएं

क्रम सं0	अधिसूचना सं0	विषय
1.	अंक 60, तारीख 14.3.2007	केविविआ (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2007
2.	अंक 62, तारीख 16.3.2007	30.9.2007 तक सीपीएसयू के प्रभारों की बिलिंग
3.	अंक 63, तारीख 15.3.2007	केविविआ (कर्मचारिवृन्द की भर्ती, नियंत्रण तथा सेवा शर्तें) विनियम, 2007
4.	अंक 84, तारीख 12.4.2007	बोली मूल्यांकन के लिए वार्षिक मूल्यवृद्धि दर (30.9.2007 तक बोली खोलने के लिए)
5.	अंक 98, तारीख 27.4.2007	केविविआ (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007
6.	अंक 100, तारीख 27.4.2007	केविविआ भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (संशोधन) विनियम, 2007
7.	अंक 105, तारीख 11.5.2007	केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन
8.	अंक 156, तारीख 31.7.2007	केविविआ (कर्मचारिवृन्द की भर्ती, नियंत्रण तथा सेवा शर्तें) विनियम, 2007
9.	अंक 169, तारीख 17.8.2007	केविविआ (पट्टा आवास) विनियम, 2007

10.	अंक 192, तारीख 26.9.2007	बोली मूल्यांकन तथा पीपीए के अनुसार संदाय प्रयोजन के लिए वार्षिक मूल्यवृद्धि दर
11.	अंक 196, तारीख 1.10.2007	केविविआ (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2007
12.	अंक 197, तारीख 1.10.2007	31.3.2008 तक बिलिंग प्रभार
13.	अंक 235, तारीख 31.12.2007	केविविआ (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) (चौथा संशोधन) विनियम, 2007
14.	अंक 236, तारीख 31.12.2007	केविविआ (अन्य कारबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से व्युत्पन्न राजस्व का विभाजन) विनियम, 2007
15.	अंक 10, तारीख 7.3.2008	केविविआ (अन्तर-राज्यिक पारेषण में निर्वाध पहुंच) विनियम, 2008
16.	अंक 53, तारीख 7. 4.2008	बोली मूल्यांकन तथा संदाय प्रयोजन के लिए लागू वार्षिक मूल्यवृद्धि दरों के लिए वार्षिक मूल्यवृद्धि दर
17.	अंक 54, तारीख 7.3.2008	प्रभारों की अनंतिम बिलिंग ।

लेखाओं का वार्षिक विवरण

विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को वित्तीय वर्ष 2004-05 से आगे के लिए सहायता अनुदान के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा विस्तारित बजटीय सहायता दी जा सही है। केन्द्रीय आयोग ने केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदान/ऋण में केन्द्रीय विद्युत विनियामक निधि नामक अपनी निधि स्थापित की है जिसमें ऐसे अन्य स्रोतों से, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया, केन्द्रीय आयोग द्वारा प्राप्त सारी फीस तथा प्राप्त सभी राशियों को जमा किया जाता है निधि से केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक संबंधी खर्चों तथा आयोग द्वारा अपने कृत्यों आदि के निर्वहन में उपगत व्ययों को भी पूरा किया जाता है ।

2. वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान, केन्द्रीय आयोग को 6.00 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान संबंधी सहायता प्रदान की गई जिसके प्रतिकूल उपगत व्यय 15.17 करोड़ रुपए था। व्यय का मुख्य भाग दर, किराया तथा कर (आरआरटी) उसके बाद वेतन पर खर्च हुआ था। 9.17 करोड़ रुपए की कमी को के.वि. वि.आ. की प्राप्त से पूरा किया गया। नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित वर्ष 2006-07 के लिए आयोग के वार्षिक लेखाओं को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया था।

वर्ष 2007-08 के दौरान किए गए क्रियाकलाप

वर्ष 2007-08 के दौरान, आयोग ने 277 याचिकाओं पर कार्यवाही की जिसमें से 104 याचिकाएं पिछले वर्ष तथा 173 याचिकाएं 2007-08 के दौरान फाइल की गई थी । इनमें से 128 याचिकाओं को 2007-08 के दौरान निपटाया गया था। याचिकाओं का ब्यौरा उपाबंध-5 में प्रलिखित है।

2007-08 के दौरान महत्वपूर्ण आदेश तथा विनियम

(1) 2009-14 से आरंभ होने वाली अगली टैरिफ के लिए टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें को अंतिम रूप देने की कार्यवाही

आयोग में संदर्भ पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर पणधारियों की राय जाने के लिए दिसम्बर, 2007 में एक एप्रोच पेपर जारी किया। पेपर में व्यापक रूप से निम्नलिखित मुद्दे सम्मिलित थे :

1. रिटर्न आन ईक्विटी के लिए प्रस्ताव

क्या रिटर्न आन ईक्विटी (आरओई) प्रस्ताव को जारी रखा जाए या रिटर्न आन पूंजी लागत (आरओसीई) अभिगम को अपनाना चाहिए।

2. रिटर्न आन ईक्विटी की दर

क्या 14% की विद्यमान दर से रिटर्न आन ईक्विटी की दर के पुनर्विलोकन के लिए वर्तमान ईक्विटी अपेक्षाएं, ऊर्जा क्षेत्र में जोखिम अवधारणा (बेटा मूल्य) पर विचार करना आवश्यक होगा । यदि आरओई अभिगम स्वीकर किया जाना है ।

3. पूर्व कर बनाम पश्च कर ईक्विटी

क्या पश्च कर रिटर्न आन ईक्विटी जारी रखी जाए या रिटर्न के पूर्व कर पर विचार किया जाए।

4. ऋण की लागत का अवधारण

क्या आयोग को निम्नलिखित को स्वीकार करना चाहिए।

(क) भारित औसत ब्याज दर पर विचार करने की विद्यमान पद्धति, वास्तविक ऋण के आधार पर संगणना, वास्तविक ब्याज दर तथा अनुसूचित ऋण प्रतिसंदाय, या

(ख) वर्तमान ऋण बाजार की स्थिति के आधार पर संगणित ऋण की मानकीय लागत।

5. **विदेशी मुद्रा दर फेरफार (एफईआरवी) का निरुपण**

(i) क्या वर्तमान व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए तथा एफईआरवी जोखिम को फायदाग्राहियों पर डाला जाएगा ? या

(ii) क्या हेजिंग/स्वैपिंग को अनुज्ञात किया जाना चाहिए और यदि हां, तो विदेशी मुद्रा में अभिप्राप्त ऋण के लिए हेजिंग तथा स्वैपिंग के साथ सहबद्ध लागत को अनुज्ञात किया जाए तथा उसके पारिणामिक फायदे यदि कोई हो, फायदाग्राही/उपभोक्ता को दिए जाएं ।

6. **पूंजी लागत**

(क) क्या टैरिफ के लिए सुविचारित पूंजी लागत वास्तविक नकद, तुलनपत्र आंकड़ों तक निर्बंधित की जाए या क्या अमुक्त दायित्व को टैरिफ के प्रयोजन के लिए पूंजी लागत के भाग के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

(ख) क्या किसी बैंचमार्क पूंजी लागत से प्रज्ञावान जांच को जोड़ा जाए ।

(ग) आरंभिक पुर्जे, संनिर्माण के दौरान रिटर्न आफ ईक्विटी तकनीकी जानकारी जैसी अमूर्त आस्तियां आदि जैसे लागत तत्वों को पूंजी लागत के साथ समझा जाए ।

7. **पूंजी लागत : जीएफए प्रस्ताव बनाम एनएफए प्रस्ताव**

क्या आयोग को वर्तमान कुल नियत आस्ति (लिक्विडिटी की ओर से) प्रस्ताव को जारी रखा जाना चाहिए या सभी मामलों में कुल नियत आस्तियों (आस्ति साइड) प्रस्ताव को समाप्त कर देना चाहिए ।

8. **ऋण/ईक्विटी अनुपात**

वर्तमान तथा भावी परियोजनाओं तथा 1.4.2009 से पूर्व अधिकृत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त पूंजी व्यय के विभाजन के लिए, 1.4.2009 से आरंभ होने वाली टैरिफ अवधि के दौरान टैरिफ के अवधारण हेतु किंतु जहां अतिरिक्त पूंजी व्यय उस तारीख के पश्चात् तथा उनके पश्चात् अधिष्ठिक परियोजनाओं में उपगत किया जाता है, बेहतर ऋण-ईक्विटी मिक्स क्या होना चाहिए ।

9. **अवक्षयण**

(i) क्या अवक्षयण को ऋण प्रतिसंदाय के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है ?

(ii) क्या अवक्षयण दरों को विनिर्दिष्ट करने वाली आस्तियों की विद्यमान सीमा पर पुनःविचार किया जाना अपेक्षित है ।

(iii) एएडी अनुज्ञात करने वाली वर्तमान पद्धति को जारी रखा जाना चाहिए ।

(iv) यदि एएडी अनुज्ञात नहीं किया जाता है तो क्या अवक्षयण की विद्यमान दर पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है या उपयोगिताओं को किसी अन्य कारबार ईकाई जैसी ऋण प्रतिसंदाय बाध्यता (आंतरिक संसाधनों/लाभ से या ऋण का पुनः अनुसूचीकरण करके) को पूरा करने के लिए स्वयं व्यवस्था करने के लिए कहा जाना चाहिए ।

(v) क्या अवक्षयण की भारित औसत दर को लागू करने की विद्यमान पद्धति के बजाय ब्लाक-वार अवक्षयण दर की पद्धति को लागू किया जाए ।

(vi) क्या 2004 के विनियमों के परिशिष्ट-II में विहित दरों से व्युत्पन्न आस्तियों के औसत भारित जीवनकाल के आधार पर विनिश्चित की जा रही परियोजना के जीवनकाल की वर्तमान के बदले मानकीय आधार पर परियोजना के जीवनकाल का विनिश्चय किया जाए। यदि हां, तो थर्मल, हाइड्रो तथा पारेषण परियोजनाओं का जीवनकाल क्या होना चाहिए।

10. **कार्यकरण पूंजी पर ब्याज (आईओडब्ल्यूसी)**

(i) क्या कार्यकरण पूंजी को वर्तमान आस्तियों तथा वर्तमान दायित्वों को ध्यान में रखते हुए संगणित किया जाए या केवल चालू आस्तियों पर विचार करने की वर्तमान पद्धति को जारी रखा जाए ?

(ii) विद्यमान विनियम में विनिर्दिष्ट ईंधन तेल/ओ एंड एम खर्चे/रखरखाव पुर्जे/प्राप्य की रकम तथा स्टाक को जारी रखा जाना चाहिए या इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता है?

(iii) क्या रखरखाव पुर्जे कार्यकरण पूंजी के भाग रूप में होने चाहिए या विद्यमान पद्धति में ओ एंड एम खर्चों के साथ इसको जारी रखा जाए ?

(iv) क्या भंडार तथा पुर्जे/मरम्मत तथा रखरखाव/कर्मचारी लागत, बीमा, सुरक्षा तथा प्रशासनिक खर्चों के अधीन अधिकांश उप-तत्वों तथा निगमित कार्यालय खर्चे के अधीन उप-तत्व, जिसमें ओ एंड एम खर्चे भी सम्मिलित है, कार्यकरण पूंजी के भाग होने चाहिए ?

(v) क्या इसे पृथक् रूप से प्रदान करने के बजाय प्रतिशतता के संदर्भ में अतिरिक्त मार्कअप को आईओडब्ल्यूसी की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, यथास्थिति, आरओई या आरओसीई तक जोड़ा जाए ।

(vi) यदि आरओसीई प्रस्ताव लागू किया जाता है, क्या इसे पृथक् रूप से प्रदान करने के बजाए कुल कार्यकरण पूंजी विनियामक आस्ति आधार का भाग हो सकता है ?

आयोग ने तारीख 7.1.2008 के आदेश द्वारा सभी केंद्रीय उत्पादन तथा पारेषण कंपनियों को अपनी अधिकारिता के अधीन वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान उपगत वास्तविक प्रचालनात्मक पैरामीटरों तथा वास्तविक प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों को प्रस्तुत करने का आदेश दिया। आयोग ने अन्य राज्य उत्पादन तथा वितरण कंपनियों, सेबी, आईपीपी से उनके द्वारा प्रचालित उत्पादन/पारेषण कंपनियों के लिए अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया ।

(2) पावर एक्सचेंज के माध्यम से व्यापार सुकर बनाने के लिए निर्बाध-पहुंच विनियम:

आयोग ने अंतरराज्यीय पारेषण में निर्बाध-पहुंच के लिए पुनरीक्षित विनियम जारी किए हैं, जो देश भर में विद्युत के व्यापार को सुकर बनाएंगे।

आयोग ने फरवरी, 2007 में पावर एक्सचेंज की स्थापना करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए थे और तदनुसार पावर एक्सचेंज के साथ ही परंपरागत द्विपक्षीय व्यापार से उत्पन्न होने वाले सामूहिक संव्यवहारों को व्यवस्थित करने के लिए निर्बाध-पहुंच विनियमों का सुधार करने की आवश्यकता हुई ।

प्रस्तावित नए विनियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(क) दीर्घकालिक पावर निकासी व्यवस्था की अपेक्षा करने वाली उत्पादन कंपनी से यह अपेक्षित होगा कि वह समन्वित और योजनाबद्ध रीति में नई पारेषण प्रणाली के सृजन के लिए केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता/राज्य पारेषण उपयोगिता से संपर्क करें ।

(ख) अंतर-राज्यीय पारेषण में निर्बाध-पहुंच दीर्घकालिक फायदाग्राहियों की अपेक्षा को पूरा करने के पश्चात् अधिशेष पारेषण क्षमता की उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध होगी

(ग) नए विनियमों में आरक्षण की बजाय अनुसूचीबद्धकरण पर बल दिया गया है क्योंकि किसी निर्बाध-पहुंच ग्राहक के

परिप्रेक्ष्य में अंत में जिस बात को महत्व दिया जाता है वह यह है कि उसका अनुरोध प्रेषण अनुसूचियों में सम्मिलित किया गया है, जिसे क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा निर्मुक्त किया गया है ।

(घ) तीन मास तक अग्रिम अनुसूची के लिए प्रक्रियाएं, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुसूचीकरण और आगे के दिन के लिए आधार को सामूहिक और द्विपक्षीय संव्यवहारों को समायोजित करने के लिए उपांतरित किया गया है ।

(ङ) ऊर्जा की कतिपय मात्रा तक राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सहमति या अनापत्ति अग्रिम में प्राप्त की जाएगी और आवेदन के साथ नोडल अभिकरण को प्रस्तुत की जाएगी । ऊर्जा मीटरों के लिए अपेक्षित अवसंरचना और समय समूहबद्ध लेखा के पहले से उपस्थित होने और अपेक्षित पारेषण क्षमता के राज्य नेटवर्क में उपलब्ध होने की दशा में राज्य भार प्रेषण केन्द्र तीन कार्य दिवस के भीतर सहमति देगा। निकासी के लिए इंकार किए जाने की दशा में, उसके कारण स्पष्ट रूप से बताए जाएंगे।

(च) यह देखा गया था कि निर्बाध-पहुंच ग्राहकों को दिए गए निकासी विकल्प या नमनीयता पारेषण कारिडोरों को ब्लॉक करने के लिए बारंबार प्रयोग की जा रही थी। पुनरीक्षित विनियमों में यह प्रस्ताव किया गया है कि निर्बाध-पहुंच अनुसूचियों को पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा या नोडल अभिकरण द्वारा एक बार उन्हें स्वीकार कर लिए जाने पर उन्हें कम से कम पांच दिन के लिए किसी निर्बाध-पहुंच ग्राहक द्वारा वापस लिया जाएगा और पारेषण प्रभार तथा कार्यकरण प्रभार पुनरीक्षित नहीं किए जाएंगे। यह, यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि केवल कोई वास्तविक उपयोक्ता ही अनुसूचीकरण के लिए आवेदन करता है और बकाया पारेषण क्षमता अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिससे कि समस्त क्षमता का अत्यधिक अनुकूल रीति में उपयोग किया जा सके।

(छ) द्विपक्षीय पारेषण की दशा में, अंतर-राज्यीय पारेषण के उपयोग के लिए निर्बाध-पहुंच पारेषण प्रभार निम्नलिखित होंगे

संव्यवहार का प्रकार	पारेषण प्रभार (रुपए/मेगावाट)
द्विपक्षीय, अंतरा-क्षेत्रीय	30
द्विपक्षीय, समीपस्थ क्षेत्रों के बीच	60
द्विपक्षीय, एक या अधिक हस्तक्षेप क्षेत्रों के माध्यम से चक्रण	90

(ज) प्रत्येक स्थल के अंतर्वेधन और प्रत्येक स्थल के निकाले जाने के लिए पारेषण के लिए अनुमोदित ऊर्जा हेतु 30 रुपए/मेगावाट की दर से सामुहिक संव्यवहार पारेषण प्रभार की दशा में अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए संदेय होगा।

(झ) अंतरा-राज्यीय अस्तित्व संबंधित राज्य आयोग द्वारा यथा अवधारित राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए अतिरिक्त रूप से पारेषण प्रभारों का संदाय करेगी । यदि राज्य आयोग ने पारेषण प्रभार अवधारित नहीं किए हैं तो संबंधित राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए प्रभार 30 रुपए/मेगावाट की दर से अनुमोदित ऊर्जा के लिए संदेय होगा। राज्य आयोग द्वारा प्रभारों का अवधारण न किया जाना निर्बाध-पहुंच से इंकार करने के लिए आधार नहीं होगी ।

(ञ) द्विपक्षीय संव्यवहारों और पावर एक्सचेंज सामूहिक संव्यवहारों के लिए प्रवर्तन प्रभार निम्नानुसार होंगे :

(i) द्विपक्षीय संव्यवहार के लिए यह प्रत्येक आरएलडीसी हेतु 2000 रुपए प्रति दिवस है और प्रत्येक एसएलडीसी के लिए प्रतिदिन समान रकम ।

(ii) सामूहिक संव्यवहार के लिए यह एनएलडीसी के लिए 5000 रुपए प्रति दिवस है और प्रत्येक स्थल के संव्यवहार के लिए एसएलडीसी के लिए 2000 रुपए प्रति दिवस है।

(ट) यूआई प्रभारों के समाधान के संबंध में विद्यमान विनियमों में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि अनुसूची और वास्तविक निकासी/अंतराराज्य अस्तित्वों के लिए अंतःक्षेपण के बीच भेद को संबंधित एसएलडीसी द्वारा अवधारित किया जाएगा और अंतरा-राज्यीय यूआई लेखा स्कीम में सम्मिलित किया जाएगा। पुनरीक्षित विनियमों में यह और विस्तृत किया गया है कि जब तक संबंधित राज्य आयोग द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो अंतरा-राज्यीय अस्तित्व के लिए यूआई दर क्षेत्रीय अस्तित्व की परिधि के 105% (अधिक निकासी/ कम उत्जनन के लिए) और 95% (कम निकासी/अधिक उत्जनन के लिए)। यह उस राज्य में अवस्थित अंतरा-राज्यीय अस्तित्वों के लिए विवाद मुक्त ऊर्जा लेखा और विचलनों का समाधान सुकर बनाने के लिए किया गया है, जहां अंतरा-राज्यीय एबीटी अभी कार्यान्वित नहीं की गई है। किसी अंतर-संबद्ध ग्रिड में किसी अस्तित्व की अनुसूची से विचलनों को समस्त ग्रिड से पूरा किया जाता है और स्थानीय उपयोक्ता उनके अवशोषण

के लिए पूर्णतया उत्तरदायी नहीं होते हैं। विचलनों की काउंटरिंग के लिए भार और समर्थन के प्रभारों को वितरित करने के लिए अन-नुसूचित अंतर-परिवर्तन तंत्र उपलब्ध कराया गया है। अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि न तो विचलनों के महत्व से संबंधित कोई निर्बंधन (संबंधित पारेषण या संवितरण प्रणाली के अधिक दबाव की दशा को छोड़कर) न ही कोई सहायक प्रभार आदि अधिरोपित किए जाएंगे।

(ठ) इन विनियमों के अनुसार द्विपक्षीय संव्यवहार के लिए राज्य नेटवर्क से भिन्न पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए संगृहीत पारेषण प्रभारों को 25% पारेषण प्रभारों को केन्द्रीय पारेषण उपयोक्ता द्वारा प्रतिधारित किया जाना अनुज्ञात करने के पश्चात् निम्नलिखित रीति में संबंधित क्षेत्र के दीर्घकालिक ग्राहकों द्वारा संदेय मासिक पारेषण प्रभारों में कमी के लिए उपयोग किया जाएगा :

(i) अंतरा-क्षेत्रीय द्विपक्षीय संव्यवहार की दशा में :- 75% पारेषण प्रभार संबंधित क्षेत्र के लिए ;

(ii) संलग्न क्षेत्रों के बीच द्विपक्षीय संव्यवहार की दशा में :- प्रत्येक क्षेत्र के 37.5% पारेषण प्रभार ;

(iii) एक या अधिक हस्तक्षेपी क्षेत्रों के माध्यम से द्विपक्षीय संव्यवहार की दशा में :- प्रत्येक क्षेत्र के आयातकरण और निर्यातकरण के लिए 25% संव्यवहार प्रभार और शेष 25% संव्यवहार प्रभारों को हस्तक्षेप क्षेत्रों के बीच बराबर आबंटित किया जाएगा ।

(ड) सामूहिक संव्यवहार के लिए राज्य नेटवर्क से भिन्न पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए एकत्रित पारेषण प्रभार निम्नलिखित रीति में संवितरित किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) प्रत्येक स्थल के अंतःक्षेपण और प्रत्येक स्थल की निकासी के लिए संदेय 25% पारेषण प्रभारों को केन्द्रीय पारेषण उपयोक्ता द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा ।

(ii) प्रत्येक स्थल के अंतःक्षेपण और प्रत्येक स्थल की निकासी के लिए संदेय 75% पारेषण प्रभारों को उस क्षेत्र में जिसमें यथास्थिति, अंतःक्षेपण या निकासी स्थल स्थित है, दीर्घकालिक ग्राहकों द्वारा संदेय पारेषण प्रभारों में कमी के लिए प्रयोग किया जाएगा ।

(3) पारेषण प्रभारों में कमी करने के लिए अन्य कारबार से राजस्व का अनुपात विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 41 के अधीन विनियम

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 41 किसी पारेषण अनुज्ञप्ति को समुचित आयोग को पूर्व सूचना सहित अपनी आस्तियों के अधिकतम उपयोजन के लिए किसी कारबार में लगने के लिए प्राधिकृत करती है। तथापि, धारा 41 का पहला परंतुक यह अधिकथित करता है कि ऐसे अन्य कारबार से व्युत्पन्न राजस्व का कोई अनुपात जो समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए पारेषण और चक्रण के लिए उसके प्रभारों में कमी करने के लिए उपयोग किया जाएगा। दूसरा परंतुक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे प्रत्येक कारबार उपक्रम के लिए पृथक खाते बनाए रखने के लिए सशक्त करता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पारेषण कारबार न तो अन्य कारबार उपक्रम का समनुषंगी है न ही यह अन्य कारबार के समर्थन के लिए पारेषण आस्तियों में बाधा डालता है। तदनुसार अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अन्य कारबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से व्युत्पन्न राजस्व में हिस्सा बंटाने संबंधी विनियमों का एक प्ररूप आयोग की विनियामक अधिकारिता के भीतर पारेषण उपयोक्तओं के संबंध में तारीख 31.10.2007 की जनसूचना के माध्यम से टीका- टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था ।

आयोग ने पणधारियों की टीका-टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात्, दूरसंचार कारबार के लिए पावर ग्रिड और अन्य अंतर-राज्यीय पारेषण अनुज्ञप्तियों द्वारा पारेषण आस्तियों के उपयोग के लिए राजस्व विभाजन तंत्र देते हुए दिसम्बर, 2007 में अंतिम विनियम जारी किए थे जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर संचार केबल उनके पारेषण टावरों के ऊपर बिछाना और फैलाना ।

विनियमों के अनुसार पारेषण स्वामी पारेषण टावरों के ऊपर एक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए प्रयुक्त मार्गाधिकार के रूप में 3000 रुपए प्रति वर्ष प्रति किलोमीटर की दर से राजस्व का अंशभाजन करेगा। 1 अप्रैल को विद्यमान संचार के लिए मार्गाधिकार की लंबाई पर 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक की अवधि के लिए अंशभाजनीय राजस्व की संगणना के लिए विचार किया जाएगा और जो सुसंगत वित्तीय वर्ष के 1 अक्तूबर से 31 मार्च की अवधि के लिए विद्यमान हो। आयोग ने राजस्व अंशभाजन के लिए एक मानकीय फार्मूला अपनाया है क्योंकि कंपनी के दूरसंचार कारबार के वास्तविक लाभ-हानि लेखे को प्राप्त करने की आवश्यकता को लागू करना और उसको हटाना सरल है।

विनिर्दिष्ट दर को लागू करके परिकलित राजस्व को उन आस्तियों के फायदाग्राहियों द्वारा

संदेय पारेषण प्रभारों की कमी मद्दे पारेषण स्वामी को उनके द्वारा संदेय पारेषण प्रभारों के अनुपात में उपयोग किया जाएगा और संबंधित मास के बिलों के लिए मासिक आधार पर समायोजित किया जाएगा।

पारेषण फायदाग्राहियों के हित को सुरक्षित करने के लिए, आयोग ने, पारेषण स्वामियों द्वारा अन्य कारबार को करने के लिए निम्नलिखित शर्तें अनुबंधित की हैं :

(क) पारेषण स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि पारेषण कारबार अन्य कारबार का समनुषंगी न हो।

(ख) पारेषण स्वामी अन्य कारबार का समर्थन करने के लिए अपनी पारेषण आस्तियों में किसी रूप में बाधा नहीं डालेगा ।

(ग) पारेषण स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य कारबार के लिए उनकी आस्तियों का उपयोजन पारेषण कारबार में उसके कार्य निष्पादन या बाध्यताओं पर किसी रीति में प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

(4) पावर एक्सचेंज की स्थापना के लिए अनुमति का दिया जाना

अधिनियम की धारा 66 के अधीन उत्तरदायित्व खंड के अनुक्रम में आयोग ने जुलाई, 2006 में देश में विद्युत व्यापार के लिए "एक सामान्य व्यापार प्लेटफार्म विकसित करना - पावर एक्सचेंज (पीएक्स)" संबंधी स्टाफ पेपर जारी किया। पावर एक्सचेंज संस्थागत, पारदर्शी और दक्ष व्यापार का तंत्र है । व्यापार के लिए सामान्य प्लेटफार्म के सृजन से व्यापार प्रक्रिया को और सुकर बनाने, एक व्यापार योग्य उत्पाद के रूप में विद्युत के मानकीकरण में सहायता मिलेगी जो निकासी गृह के द्वारा सुरक्षा तंत्र प्रदान करेगा और पावर सेक्टर में कारोबारी विश्वास बढ़ाएगा । पावर एक्सचेंज का कार्यकारी तंत्र भारतीय विद्युत ग्रिड कोड और अन-नुसूचित अंतर-परिवर्तित दर के माध्यम से संतुलित तंत्र के अनुरूप होगा आयोग ने पणधारियों से टीका-टिप्पणियां मांगी।

दिसम्बर, 2006 में पावर एक्सचेंज की स्थापना करने की संभावनाओं पर बहस करने के लिए एक लोक सुनवाई आयोजित की गई थी। 150 से अधिक पणधारियों ने जिसके अंतर्गत सीईए, उत्पादक वितरण उपयोक्ता, राज्य विद्युत बोड, व्यापारी, वस्तु एक्सचेंज और आईआईटी मुंबई ने विचार-विमर्श में भाग लिया था और उनमें से कुछ ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया था। उचित भूमिका के हित में और उपभोक्ता हित के संरक्षण के लिए पणधारियों ने यह सिफारिश की थी कि एक्सचेंज विनियामक परिदृश्य के

अधीन कार्य करे । यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे विद्यमान दीर्घकालिक संविदाएं जो 97% से अधिक मांग को पूरा करती है, में व्यवधान न डाला जाए और इस प्रकार यह भय का कोई आधार नहीं है कि एक्सचेंज के सृजन से विद्युत कीमतें बढ़ेंगी।

यह स्पष्ट किया गया था कि पावर एक्सचेंज विद्युत व्यापार के लिए एक स्वैच्छिक प्लेटफार्म होगा जो निर्बाध पहुंच द्वारा पहले से सुकर बनाए गए व्यापार के लिए अन्य विकल्पों के साथ विद्यमान होगा। एक्सचेंज का सामान्य कीमत खोज सिद्धांत होगा जो मात्रा और कीमत के अनुसार मांग और आपूर्ति दोनों के संयोजन द्वारा दोहरी बोली द्वारा पता लगाई जाएगी। क्रेता को उसके द्वारा कोट की गई कीमत से अधिक कीमत पर क्रय करने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। पावर एक्सचेंज दिनभर का एक्सचेंज होगा जिसमें अगले 24 घंटों के लिए प्रत्येक 1 घंटें के समय ब्लाक में बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। पावर एक्सचेंज के लिए समयक्रम आईईजीसी के अनुसार अनुसूची और डिस्पैच समयक्रम के समान होगा । प्रेषण और निकासी अनुसूचियां पावर एक्सचेंज द्वारा क्रेताओं और विक्रेताओं को क्रमशः निर्मुक्त की जाएंगी। पावर एक्सचेंज की पुष्ट व्यापार अनुसूची के लिए संदाय और संग्रहण उसके वित्तीय निकासी गृह द्वारा तय किया जाएगा । किसी राज्य या उत्पादक की कुल अनुसूची से वास्तविक समय विचलन को वित्तीय रूप से विद्यमान यूआई पूल तंत्र के माध्यम से तय किया जाएगा।

आयोग ने फरवरी, 2007 में पावर एक्सचेंज की स्थापना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए। आयोग का साधारण प्रस्ताव पावर एक्सचेंज को संपूर्ण विनियामक संरचना के भीतर कार्यात्मक स्वतंत्रता अनुज्ञात करना था। संप्रवर्तकों को प्रचालन आरंभ करने से पूर्व आयोग से अनुमति लेने के लिए कहा गया था। पावर एक्सचेंज के विकास के लिए निम्नलिखित व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए गए थे।

- गैर-पारस्परिक रूप के संगठन
- विश्वसनीय, दक्ष और निष्पक्ष प्रबंधन
- स्वामित्व, प्रबंधन और भागीदारी के बीच गोल घेराबंदी
- विनिधानकर्ताओं से, जिसके अंतर्गत संस्थागत विनिधानकर्ता भी हैं, विनिधान समर्थन
- कार्यकरण और विनिश्चय करने में पारदर्शिता
- कंप्यूटरीकृत व्यापार निकासी प्रणाली
- दक्ष वित्तीय समाधान और प्रत्याभूति प्रणाली
- दक्ष व्यापार सूचना प्रसार प्रणाली

संप्रवर्तकों को अनुमोदित नियमों, उपविधियों और प्रक्रियाओं के अनुसार पावर एक्सचेंज विकसित करने, उसका प्रबंध करने और प्रचालन करने की स्वतंत्रता होगी। कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी या कंपनियों का कोई संघ पावर एक्सचेंज की स्थापना करने हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होगा। आवेदक से यह अपेक्षित होगा कि उसके पास आईईजीसी, निर्बाध-पहुंच मामलों, उपलब्धता आधारित टैरिफ, यूआई तंत्र, अनूसूचीकरण प्रेषण, और ऊर्जा लेखा प्रक्रिया का पर्याप्त ज्ञान और समझ हो।

आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लि0 (आईईएक्सएल), जेवी कंपनी, एमसी एक्स और एफटीआईएल ने पावर एक्सचेंज की स्थापना की अनुज्ञा के लिए आवेदन किया। आयोग ने विस्तृत सुनवाई के पश्चात आईईएक्सएल को तारीख 31.8.2007 के अपने आदेश द्वारा पावर एक्सचेंज स्थापित करने के लिए अनुज्ञात किया। यह पावर एक्सचेंज की स्थापना करने के लिए आयोग द्वारा दी गई पहली अनुमति है।

(5) जेपी पावर ग्रिड लि0 को पारेषण अनुज्ञप्ति का दिया जाना

जेपी पावर ग्रीड लि0 (जेपीएल) जो जय प्रकाश हाइड्रो पावर लि0 द्वारा संवर्धित संयुक्त उद्यम कंपनी है और पीजीसीआईएल ने करचम-वांगटू एचईपी जिसका जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0 द्वारा विकास किया जा रहा है ऊर्जा भेजने के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया। जेपी पावर ग्रिड लि0 ने पारेषण लाइनों और करचम-वांगटू एचईपी से ऊर्जा भेजने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सुविधाओं के संनिर्माण और रख-रखाव के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति दिए जाने हेतु हरियाणा राज्य में अवस्थित केन्द्रीय पारेषण उपयोक्ता के अब्दुल्लापुर उपकेन्द्र में निम्नलिखित आवेदन किया था :

(क) वांगतू में 400 किलोवाट डी/सी बसपा -नाथपा झाकरी पारेषण लाइन का लिलो

(ख) 400 किलोवाट डी/सी करचम-वांगतू - अब्दुल्लापुर पारेषण लाइन (क्वाड कंडक्टर); और

(ग) अब्दुल्लापुर स्थित 400/220 किलोवाट उपकेन्द्र (विस्तारण) (पीजीसीआईएल)

आयोग ने मैसर्स ब्रकल कारपोरेशन एनवी और एचपीएसईबी द्वारा उठाए गए आक्षेपों की सुनवाई की थी। सीईए ने यह पुष्टि की कि जेपीएल द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली क्षेत्र के लिए तैयार किए गए संपूर्ण पारेषण प्लान के अनुरूप है। मुद्दे पर विचार करने के पश्चात्

आयोग ने यह संप्रेषण किया था कि जेपीएल ने आस्तियों के लिए अनुज्ञप्ति देने हेतु विधि की अपेक्षाओं को पूरा किया है और तदनुसार जेपीएल को 1.10.2007 को पारेषण अनुज्ञप्ति दी गई।

आयोग ने यह और स्पष्ट किया कि जेपीएल ने 'समर्पित पारेषण लाइनों' के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति दिए जाने हेतु आवेदन किया था । अधिनियम के अनुसार 'समर्पित पारेषण लाइन' से स्थल से स्थल पारेषण के लिए कोई विद्युत प्रदाय लाइन अभिप्रेत है और फिर भी इस मामले में प्रस्तावित पारेषण प्रणाली सतलुज नदी बेसिन में अवस्थित अन्य उत्जनन केन्द्र से विद्युत भेजने के लिए उपलब्ध होगी। अतः, प्रस्तावित पारेषण प्रणाली को 'समर्पित पारेषण प्रणाली' नहीं माना जाएगा। जेपीएल ने यह पुष्टि की कि वह अपनी पारेषण प्रणालियों में गैर- विभेदकारी निर्बाध-पहुंच प्रदान करेगा।

(6) निर्बाध-पहुंच/संबद्धता पर स्पष्टीकरण

टीएनईबी ने विद्यमान पावर ग्रिड उपकेन्द्र से आपूर्ति विस्तारण की दशा में पारेषण प्रभार प्रभारित करने की पद्धति के लिए और अपने स्वयं के संसाधनों को विनिधान करके राज्य सेक्टर द्वारा नई लाइनें और उपकेन्द्र बिछाने और स्थापित करने के लिए विद्यमान पारेषण लाइन के लिलो के लिए पावर ग्रिड के निर्देशों की मांग की।

टीएनईबी ने अपने स्वयं के संसाधनों से सुंगुवरचत्रम, सोलिंगानलुर और त्रिनुलवेली में तीन नए 400 किलोवाट के उपकेन्द्रों स्थापित करने की योजना तैयार की है, जिससे इन उपकेन्द्रों द्वारा क्षेत्रों में विद्युत की अतिरिक्त अपेक्षा को पूरा किया जा सके । प्रस्ताव को स्थायी समिति में सीईए द्वारा अनुमोदित किया गया था।

तीन उपकेन्द्रों की स्थापना निम्नलिखित रीति में किए जाने की योजना तैयार की गई है:

(क) सुंगुवरचत्रम को प्रदाय पावर ग्रिड के स्वामित्वाधीन 400 किलोवाट एस/सी श्रीपेरूमपुदुर-कालीवंथापट्टु लाइन के एलआईएलओ द्वारा की जाएगी ।

(ख) सोलिंगानलुर उपकेन्द्र के लिए फिडिंग व्यवस्था पावर ग्रिड के कालीवंथापट्टु 400 किलोवाट उपकेन्द्र (निर्माणाधीन) से कालीवंथापट्टु से सोलिंगानलुर तक नई 400 किलोवाट दोहरी सर्किट लाइन बिछाकर की जाएगी।

(ग) तिरुनेलवेल्ली उपकेन्द्र में फिडिंग व्यवस्था इस समय कुदंमकुलम एपीपी रिक्तिकरण स्कीम के अधीन निष्पादनाधीन पावर ग्रीड के 400 किलोवाट तिरुनेलवेल्ली उपकेन्द्र से होगी ।

चूंकि प्रस्तावित टीएनईबी के उपकेन्द्रों में फिडिंग व्यवस्था पावर ग्रिड के विद्यमान उपकेन्द्रों से होनी थी अतः टीएनईबी ने पावर ग्रिड की सहमति के लिए उससे संपर्क किया। तथापि, पावर ग्रिड ने टीएनईबी को केन्द्रीय पारेषण उपयोक्ता से दीर्घकालिक निर्बाध-पहुंच प्राप्त करने के लिए सलाह दी। इसी दौरान पावर ग्रिड ने स्वयं को केन्द्रीय पारेषण उपियोगिता के रूप में अधिसूचित कर लिया। टीएनईबी ने यह तर्क दिया कि चूंकि उपकेन्द्रों और सहयोजित लाइनों को उसके द्वारा अपने संसाधनों के द्वारा निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है अतः केन्द्रीय पारेषण उपियोगिता से दीर्घकालिक निर्बाध-पहुंच प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होगी। टीएनईबी ने यह प्रस्तावित किया कि वह पावर ग्रिड को पावर ग्रिड के उपकेन्द्रों के भीतर लगाए गए उपस्करों के रख-रखाव के लिए ही संदाय करेगा ।

आयोग ने अपने आदेश में यह अभिव्यक्त किया कि पारेषण प्रणाली के अधिकतम विकास में सीटीयू, एसटीयू और सीइए के बीच निकटतम और सहज समन्वयन अपेक्षित है। यह आईईजीसी में अधिकथित योजना नीति का आशय है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, सीईए द्वारा गठित पारेषण योजना के लिए क्षेत्रीय स्थायी समिति में फायदाग्राहियों, सीटीयू, आरपीसी, सीईए और आरएलडीसी के परामर्श से भावी योजना पर विचार किए जाने का उपबंध करती है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 38(2)(ख) और धारा 39 (2)(ख) यह भी उपबंध करती है कि सीटीयू और एसटीयू एक दूसरे के साथ और अन्य अभिकरणों के साथ पारेषण प्रणाली से संबंधित योजना और समन्वयन के सभी कृत्यों का निवर्हन करने के लिए समन्वय करेंगे।

आयोग ने यह स्पष्ट किया कि किसी पारेषण प्रणाली में दीर्घकालिक निर्बाध-पहुंच तभी अपेक्षित होगी जब कोई व्यक्ति विद्यमान प्रणाली के प्रयोग में आरक्षण या पूर्विकता प्राप्त करता है या उसकी प्राक्षेपित अपेक्षा को पूरा करने के लिए प्रणाली संवर्धन का प्रयोग करता है । सुंगुवरचत्रम और सोलिंगानलुर उपकेन्द्रों के लिए टीएनईबी द्वारा संबद्धता की वांछा करने की दशा में मामले का संबंध केवल चेन्नई के पास बढ़ने वाले भारों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संबद्धता से ही संबंधित है । निकासी स्थल से संबद्धता के ऐसे मामले को निर्बाध-पहुंच की प्रक्रिया से गुजरे बिना भी मंजूर किया जा सकता है क्योंकि इससे तत्समय विद्यमान नेटवर्क पर ऊर्जा प्रवाह के पुनर्संवितरण का भार ही पड़ेगा ।

जहां तक पावर ग्रिड के तिरुनेलवेल्ली उपकेन्द्र के साथ टीएनईबी प्रणाली की संयोजकता का संबंध है आयोग ने यह महसूस किया है कि यह भी प्रणाली को स्थिर करने के लिए वांछनीय होगा। एक बार स्थापित किए जाने पर इसका उपयोग पावर ग्रिड नेटवर्क के अपेक्षित अधिशेष पारेषण क्षमता अपेक्षित करने तक चेन्नई में (सुंगुवरचत्रम और सोलिंगानलुर)

तक पावर ग्रिड नेटवर्क के माध्यम से चक्रण विंड उत्पादन के लिए भी प्रयोग किया जा सकेगा। टीएनईबी पावर ग्रिड नेटवर्क पर पारेषण अधिकार या पूर्विकता का दावा (शून्य लागत, पारिस्थितीकीय, नवीकरणीय ऊर्जा के नाम में जो विंड उत्पादन है) तब तक नहीं करेगा जब तक उसने इस पारेषण कारीडोर का उपयोग करने के लिए अपेक्षित "निर्बाध-पहुंच" के लिए आवेदन नहीं किया है और उसे प्रदान नहीं किया गया है । अतः टीएनईबी को अपेक्षित मात्रा और समयावधि के लिए तिरूनेलवेल्ली से समुचित स्थल तक चक्रण ऊर्जा के लिए पारेषण विकास योजना के साथ ही विंड उत्पादन वृद्धि समय- सीमा पर निर्भर करते हुए "निर्बाध-पहुंच" प्राप्त करनी चाहिए। विंड उत्पादन मात्रा पूर्णतया भिन्नतावाली और अनुमान लगाने योग्य नहीं है और सभी उपलब्ध ऊर्जा ग्रीड में खपत होनी चाहिए। यह टीएनईबी के लिए अंततः अधिक आवश्यक बनाता है कि वह विंड उत्पादन उपलब्धता और पारिणामिक "निर्बाध-पहुंच" अपेक्षा का न्यायपूर्ण निर्धारण करे।

आयोग ने अपने आदेश में पारेषण प्रणाली की संयोजकता प्रदान करने और अल्पकालीक/ दीर्घकालिक निर्बाध-पहुंच के माध्यम से पारेषण प्रणाली का उपयोग अनुज्ञात करने के बीच में अंतर किया था। यह संभव है कि योजना/निष्पादन प्रक्रम के दौरान कोई उत्जनन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी प्रथम बार में मात्र संयोजकता प्राप्त कर सकेगा। यह उत्जनन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी को ग्रिड तक समर्पित पारेषण प्रणाली की योजना बनाने/ निष्पादित करने में सहायक होगा। तथापि, उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी किसी पश्चात्वर्ती तारीख को अपने परिदान/अंतक्षेपण स्थलों की पुष्टि करने में समर्थ हो सकेगी और केवल उस प्रक्रम पर ही निर्बाध पहुँच के लिए आवेदन करने हेतु समर्थ हो सकेगा। इस प्रकार संबद्धता निर्बाध-पहुंच के लिए पूर्व कर्सर के रूप में देखी जा सकती है। इस प्रकृति की संबद्धता की अपेक्षा को पूर्व में परिकल्पित नहीं किया गया और इसलिए आयोग के निर्बाध-पहुंच संबंधी विनियम इन स्थितियों का ध्यान नहीं रखते। ऐसे सभी व्यक्तियों से संबद्धता के अनुरोध, जो विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार क्रय/विक्रय के लिए पात्र हैं, का निपटारा साधारणतया ऐसे अनुरोधों की प्राप्ति से एक मास के भीतर किया जाना चाहिए। प्रणाली से संबंधन की अनुमति प्रदान करते समय युक्तियुक्ति व्यापक परिकल्पित अपेक्षाओं की सूचना संबंधन चाहने वाले व्यक्ति को दी जानी चाहिए। संबद्धता चाहने वाला व्यक्ति को निम्नलिखित की अवश्य सहमति देनी चाहिए :

(क) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता का अनुपालन करना;

(ख) बे-विस्तारण, आदि सहित अंतर-संयोजन-बे की लागत की प्रतिपूर्ति;

(ग) अंतर-संयोजन-बे के लिए कार्यालय और रखरखाव खर्चे का संदाय किया जाना; और

(घ) सम्यक् अनुक्रम में किन्तु सही समय में ''अपेक्षित निर्बाध-पहुंच'' के लिए आवेदन करना और उसके अनुमोदन को प्रदान किया गया नहीं मानना ;

(7) उड़ीसा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा निर्बाध-पहुंच से इंकार

नव भारत उद्यम लि0 (एनवबीवीएल) ने यह कथन करते हुए याचिका फाइल की थी कि दक्षिणी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र ने आंध्र प्रदेश में वितरण उपियोगिताओं के लिए मैसर्स रिलायंस ऊर्जा ट्रेडिंग लि0 के माध्यम से एनबीवीएल द्वारा उत्जनित ऊर्जा के पारेषण के लिए एसएलडीसी-ओपीटीसीएल की सहमति प्राप्त न करने के आधार पर निर्बाध-पहुंच को अनुमोदित नहीं किया है।

एनबीवीएल के स्वामित्वाधीन 30 एमडब्ल्यू केपटिव उत्जनन केन्द्र है, जो 94 एमडब्ल्यू तक विस्तारित कहा जाता है। इसने रिलायंस के साथ अपने अधिशेष पावर के विक्रय के लिए करार किया था, जिसने बाद में आंध्र प्रदेश राज्य में वितरण उपयोक्ताओं को पावर के विक्रय के लिए और करार किया था। रिलायंस ने 7.1.2008 से 31.1.2008 तक की अवधि के लिए लगातार 25 मेगावाट के पारेषण के लिए अल्पकालिक निर्बाध-पहुंच प्रदान करने हेतु एसआरएलडीसी को आवेदन किया था। एसआरएलडीसी ने इससे इंकार कर दिया क्योंकि एसएलडीसी, ओपीडीसीएल से सहमति प्राप्त नहीं की गई थी।

आयोग ने यह संप्रेषण किया कि उड़ीसा राज्य भार प्रेषण केन्द्र ने अंतरा-राज्यीय पारेषण प्रणाली पर निर्बाध-पहुंच से इंकार करते समय अधिनियम के उपबंधों का ध्यान नहीं रखा है और दैनिक रूप से ग्रिडको के आक्षेप स्वीकार किए।

आयोग ने तारीख 3.12.2007 के अपने आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि राज्य भार प्रेषण केन्द्र को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन एक स्वतंत्र प्रचालक और कानूनी निकाय के रूप में निष्पक्ष रीति में और विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुक्रम में और आयोग द्वारा अधिसूचित निर्बाध-पहुंच विनियमों के अनुसार निर्बाध-पहुंच के लिए आवेदनों पर विचार करना चाहिए। इन संप्रेक्षणों के आधार पर उड़ीसा राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए रिलायंस द्वारा अल्पकालिक निर्बाध-पहुंच प्राप्त करने हेतु किए गए आवेदन का विनिश्चय करने से पूर्व ग्रिडको से विचार-विमर्श करना आवश्यक नहीं था क्योंकि न तो विद्युत अधिनियम, 2003 न ही निर्बाध-पहुंच विनियम निर्बाध-पहुंच प्रदान किए जाने के अनुरोधों पर विचार किए जाने के समय राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा स्थानीय उपयोक्ताओं के साथ परामर्श किए जाने को विनिर्दिष्ट नहीं करते । ओईआरसी ने भी निर्बाध-पहुंच प्रदान करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और प्रवर्ग-वार उड़ीसा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को अपने कानूनी कृत्यों का निर्वहन करने के लिए एक स्वतंत्र

प्रणाली प्रचालक के रूप में कृत्य करने के लिए आज्ञा दी।

यह स्पष्ट किया गया था कि विधि के अधीन एक कैपटिव उत्जनन संयंत्र अपनी अधिशेष ऊर्जा को किसी व्यक्ति को विक्रय करने के लिए स्वतंत्र है। इसको ध्यान में रखते हुए, राज्य को कैप्टिव विद्युत संयंत्रों द्वारा अधिशेष विद्युत के विक्रय के संबंध में राज्य सरकार की राय में विवशता है।

उड़ीसा राज्य भार प्रेषण केन्द्र ने यह पुष्टि की है कि अंतःक्षेपण की मात्रा के लिए ओपीटीसीएल में कोई ऐसा संकुलन नहीं है जिसके लिए निर्बाध पहुंच की वांछा की गई हो। मुद्दा उड़ीसा ग्रिड कोड (ओजीसी) के अनुसार पीएलसीसी और एससीएडीए के उपबंध को ध्यान में रखते हुए ही उठाया गया था। एनबीबीएल ने यह पुष्टि की थी कि उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन द्वारा दिए गए विनिर्देशों के अनुसार संसूचना उपस्कर उपाप्त किए गए हैं और उन्हें संस्थापित किया गया है तथा उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन के स्वामित्वाधीन स्विचिंग स्टेशन और सब-स्टेशन में ऐसे उपस्कर संस्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली गई है । आयोग ने यह संप्रेक्षण किया है कि इससे संव्यवहार की निश्चित तिथि अर्थात् 7.1.2008 से पूर्व वास्तविक समय निगरानी की अपेक्षा को भी पूरा करना संभव होना चाहिए और यह निदेश दिया कि निर्बाध-पहुंच अनुज्ञात की जाए।

8. कनार्टक राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा निर्बाध-पहुंच के लिए इंकार

मैसर्स विश्वनाथ शुगर लि. (बीएसएल) मैसर्स उगर शुगर लि. और मैसर्स श्री धौलीगंगा ने अपनी याचिकाओं में यह कथन करते हुए याचिका फाइल की है कि निर्बाध पहुंच प्रवेश डब्ल्यू आर एल डीसी द्वारा अनुदत्त की गई थी। तारीख 3.12.2007 के आदेश में, आयोग ने केवल बीएसएल पर कार्रवाई की चूंकि अन्य दो एक ही जैसी है।

वीएसएल ने कर्नाटक राज्य में यह सह-उत्पादन संयंत्र की स्थापना की है। वीएसएल ने आरंभ में हुबली विद्युत प्रदाय कंपनी लि. (एचईएससीओएम) को विद्युत के विक्रय के लिए कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) के साथ विद्युत क्रय करार (पीपीए) निष्पादित किया था। विद्युत क्रय करार के अनुसार, तीन मास की निरंतर अवधि के लिए एचईएससीओएम द्वारा व्यतिक्रम किए जाने की दशा में, वीएसएल तीसरे पक्षकारों को विद्युत का विक्रय कर सकती है। एसईएससीओएम ने जनवरी से अप्रैल, 2006 तक शोध्यों का संदाय करने में व्यतिक्रम किया है। केईआरसी ने वीएसएल को इसके द्वारा उत्पादित विद्युत को तीसरे पक्षकारों को विक्रय करने के लिए अनुज्ञात किया है।

वीएसएल ने रात-दिन के आधार पर विद्युत केंद्र 7.5 एमडब्ल्यू के विक्रय के लिए टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के साथ विद्युत क्रय

करार (पीपीए) किया है। टाटा पावर ने गुजरात को विद्युत के विक्रय के लिए मुक्त प्रवेश के लिए आवेदन किया था जिसे डब्ल्यूआरएल डीसी द्वारा नामंजूर कर दिया गया था। क्योंकि एसएलडीसी कर्नाटक से कोई सहमति नहीं मिली थी।

आयोग ने यह संप्रेक्षण किया है कि टाटा ने केपीटीसीएल की मध्यवर्ती संचरण प्रणाली के माध्यम से गुजरात राज्य को कनार्टक राज्य से विद्युत के अंतरण के लिए निर्बाध पहुंच की मांग की है। इसलिए, विद्युत अधिनियम की धारा 35 के उपबंधों तथा निर्बाध पहुंच संबंधी विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मानदंड के अनुसार, टाटा द्वारा किए गए आवेदन की उनमें अधिकथित मानदंड पर आधारित एसएलडीसी द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करना, एचईएससीओएम की या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जो मध्यवर्ती संचरण लाइनों अर्थात् कर्नाटक राज्य के बाहर विद्युत अंतरण के लिए प्रयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित संचरण लाइनों का स्वामी नहीं है या उनका प्रचालन नहीं करता है, टीका-टिप्पणी मांगने के लिए एसएलडीसी के लिए अनिवार्य नहीं था।

एसएलडीसी द्वारा अंगीकृत प्रक्रिया विधि के स्पष्ट उपबंधों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करती है और टाटा के लिए निर्बाध पहुंच का इंकार करना बाह्य कारणों से था।

मैसर्स विश्व नाथ शुगर लि. (पीएसएल) मैसर्स उगर शुगर लि. और मैसर्स श्री धौलीगंगा के सह उत्पादन संयंत्र हैं। आयोग ने यह स्पष्ट किया था कि सह-उत्पादन विद्युत उत्पादन का बहुत ही दक्ष और नवीकरणीय रूप है, इसे किसी राज्य की उपयोगिता द्वारा तय किए गए क्रय के रूप में या निर्बाध पहुंच के अधीन नियत आधार पर राज्य ग्रिड में उसके आमेलन को औपचारिक बनाकर और उसका लेखा-जोखा रखकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि इनमें कोई भी नहीं किया जाता है तो अंतःक्षेपित ऊर्जा का लेखा रखा जाए और असूचीबद्ध अंतर परिवर्तन (यूआई) के रूप में इसके लिए संदाय किया जाए।

आयोग ने यह संप्रेक्षण किया है कि विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन स्वतंत्र आपरेटर और कानूनी निकाय के रूप में, एसएलडीसी को निष्पक्ष रीति में तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों तथा निर्बाध पहुंच विषयक विनियमों के अनुसार निर्बाध पहुंच के लिए आवेदनों पर विचार करना चाहिए। विधि के अधीन विहित प्रतिफलों से भिन्न और उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, निर्बाध पहुंच से किसी इंकार पर विद्युत अधिनियम, 2003 के शास्तिक उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

महत्वपूर्ण आदेश

थर्मल उत्पादन

(1) नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन के थर्मल उत्पादन केंद्रों का टैरिफ

31.3.2008 को नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन (एनटीपीसी) की कुल संस्थापित क्षमता 25912 मेगावाट हैं जिसमें से 31395 मेगावाट क्षमता कोयला तथा 4017 मेगावाट प्राकृतिक गैस/तरल ईंधन पर आधारित थी। चालू वित्त वर्ष के दौरान

500 मेगावाट की नई क्षमता को सम्मिलित किया गया, अर्थात् विंध्याचल एसटीपीएस की स्टेज-III (स्टेज-III की दूसरी यूनिट) की 500 मेगावाट की प्रत्येक यूनिट। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष सिपत स्टेज-II की 500 मेगावाट की एक यूनिट को भी समक्रमिक किया गया है। पांच स्टेशन अर्थात् टांडा टीपीएस, तालचर टीपीएस, सिम्हाद्री टीपीएस, फरीदाबाद जीपीएस तथा कायमकुलम जीपीएस क्रमशः केवल उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा तथा केरल के एक-एक राज्य में ऊर्जा का प्रदाय कर रहे हैं । एनटीपीसी के अन्य उत्पादन केंद्र पूर्व विनिर्दिष्ट आबंटनों के अनुपात में प्रादेशिक संघटकों को ऊर्जा का प्रदाय करने वाले प्रादेशिक केंद्र हैं । एनटीपीसी के प्रत्येक उत्पादन केंद्र की संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख नीचे दी गई है :-

क्रम सं.	उत्पादन केंद्र का नाम	31.3.2008 को संस्थापित क्षमता	स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
एनटीपीसी के कोयला आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशन			
अ.	पिट हैड उत्पादन केंद्र		
1.	रिहन्द एसटीपीएस स्टेज-I	1000.00	01.01.1991
2.	रिहन्द एसटीपीएस स्टेज-II	1000.00	01.04.2006
3.	सिंदरौली एसटीपीएस	2000.00	01.05.1988
4.	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-I	1260.00	01.02.1992
5.	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-II	1000.00	01.10.2000
6.	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-IIII	1000.00	15.07.2007
7.	कोरबा एसटीपीएस	2100.00	01.06.1990
8.	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज-I व II	2100.00	01.04.1991
9.	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज-III	500.00	25.03.2005
10.	तलचर टीपीएस	460.00	01.07.1997
11.	तलचर एसटीपीएस स्टेज-I	1000.00	01.07.1997
12.	तलचर एसटीपीएस स्टेज-II	2000.00	01.08.2005
कुल योग		**15420.00**	

ब.	**नॉन-पिट हैड उत्पादन केंद्र**		
1.	एफजीयूटीपीपी टीपीएस स्टेज-I	420.00	13.02.1992 (चार्ज लेने की तारीख)
2.	एफजीयूटीपीपी स्टेज-II	420.00	01.01.2001
3.	एफजीयूटीपीपी स्टेज-III	210.00	01.01.2007
4.	एनसीटीपी दादरी	840.00	01.12.1995
5.	फरक्का एसटीपीएस	1600.00	01.07.1996
6.	टांडा टीपीएस	440.00	14.01.2000 (चार्ज लेने की तारीख)
7.	बदरपुर टीपीएस	705.00	01.04.1982
8.	कहलगाँव एसटीपीएस	840.00	01.08.1996
9.	सिम्हाद्री	1000.00	01.03.2003
	कुल योग	6475.00	
	योग-कोयला	**21895.00**	
एनटीपीसी के गैस/द्रव ईंधन आधारित स्टेशन			
1.	दादरी सीसीजीटी	829.78	01.04.1997
2.	फरीदाबाद	431.00	01.01.2001
3.	अंता सीसीजीटी	419.33	01.03.1990
4.	औरैया जीपीएस	663.36	01.12.1990
5.	गंधार जीपीएस	657.39	01.11.1995
6.	कावास जीपीएस	656.20	01.09.1993
7.	कायमकुलम सीसीजीटी	359.58	01.03.2000
		4016.64	
	योग एनटीपीसी (कोयला+गैस)	**25911.64**	

वर्ष के दौरान, आयोग ने रिहन्द स्टेज-II (2x500 मेगावाट), रामागुंडम (500 मेगावाट) और तालचर-II (4x500 मेगावाट) के संबंध में अंतिम टैरिफ प्रदान किया। आयोग ने, सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2004 में यथा उपबंधित के अनुसार अनिर्वहित दायित्वों को छोड़कर उपगत वास्तविक पूंजी व्यय के आधार पर अंतिम टैरिफ का अनुमोदन किया। अनुज्ञात किए गए केंद्रवार वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) निम्नानुसार है :

रिहन्द टीपीएस स्टेज-II (2 × 500 मेगावाट) :

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
ऋण पर ब्याज	7015	13033	11795	10430
कार्यकरण पूंजी पर ब्याज	1522	2986	3038	3043
अवक्षयण	4950	9560	9560	9560
अवक्षयण के प्रति अग्रिम	3406	4918	7304	7569
रिटर्न ऑन ईक्विटी	5741	11116	11116	11116
ओ एंड एम व्यय	4865	10120	10520	10950
कुल	**27500**	**51733**	**53333**	**52668**

रामागुंडम (500 मेगावाट) :

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	2004-05 (अनुपाततः)	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
ऋण पर ब्याज	91	4767	4767	4767	4767
कार्यकरण पूंजी पर ब्याज	132	6615	5990	5271	4529
अवक्षयण	106	5517	5517	5517	5517
अवक्षयण के प्रति अग्रिम	83	2040	4089	4428	4428
रिटर्न ऑन ईक्विटी	32	1605	1606	1616	1615
ओ एंड एम व्यय	90	4865	5060	5260	5475
कुल	**534**	**25409**	**27028**	**26858**	**26331**

तालचर - II (4 × 500 मेगावाट) :

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	1.4.2004 31.3.2006	1.10.2004 2006-07	1.11.2000 2007-08	1.3.2005 2008-09	1.4.2005	31.7.2005	1.8.2005
ऋण पर ब्याज	13488	19158	18911	22998	19640	15304	10969
कार्यकरण पूंजी पर ब्याज	1922	3304	3055	4867	4527	4507	4478
अवक्षयण	8279	12107	12398	15750	15750	15750	15750
अवक्षयण के प्रति अग्रिम	2338	13355	0	30253	14877	14877	14877
रिटर्न ऑन ईक्विटी	9616	14090	14428	18376	18376	18376	18376
ओ एंड एम व्यय	9360	14040	14595	19460	20240	21040	21900
कुल	**45004**	**76054**	**63387**	**111704**	**93411**	**89855**	**86350**

आयोग ने 8.9.2006 (अभिग्रहण की तारीख) से 31.03.2009 की अवधि के लिए मुज्जफरपुर थर्मल विद्युत केंद्र (2×110 मेगावाट) के उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए वैशाली पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (एनटीपीसी की धृति कंपनी) द्वारा फाइल की गई याचिका का निपटारा किया। उत्पादन केंद्र, जिसमें 110 मेगावाट के दो यूनिट अंतर्विष्ट है, 1986 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) द्वारा स्थापित किया गया था और इसे बिहार विद्युत सुधार (मुज्जफरपुर थर्मल विद्युत केंद्र का अंतरण) स्कीम 2006 के निबंधनों के अनुसार बिहार सरकार की अधिसूचना सं॰ 8, तारीख 15.05.2006 और अधिसूचना सं॰ 35, तारीख 8.9.2006 द्वारा 8.9.2006 से 84.53 करोड़ रुपए के अंतरण मूल्य पर याची कंपनी के पक्ष में अंतरित तथा उसमें निहित किया गया है। उत्पादन केंद्र में उत्पादित संपूर्ण विद्युत का प्रदाय, पीपीए के निबंधनों और शर्तों के अनुसार 8.9.2006 से 15 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए बीएसईबी को किया जाना है ।

यह उत्पादन केंद्र अक्तूबर, 2003 से बंद था और इसमें केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदान से व्यापक मरम्मत और अनुरक्षण किया जा रहा था। याची ने यह कथन किया था कि उत्पादन केंद्र के दो यूनिटों में से एक को पुनरूजीवित किया जा रहा था । इस संबंध में, यह कथन किया गया था कि मरम्मत और अनुरक्षण के लिए संविदा पहले ही प्रदान की जा चुकी थी और इस कार्य के फरवरी, 2010 तक, अर्थात् संविदा पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् 31 मास के भीतर पूरा होने की संभावना थी । याची के प्रतिनिधि ने यह और कथन किया था कि पहले यूनिट से संबंधित कार्य के पूरा होने

के तुरंत पश्चात् दूसरी यूनिट के पुनरुजीवन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। याची की ओर से यह कथन किया गया था कि प्रथम यूनिट को पुनरूजीवित करने के पश्चात् लगभग 3 मास तक वास्तविक कार्यपालन को देखने के पश्चात् ही संचालन पैरामीटरों और विद्युत का, जिसे प्राप्त किया जा सकता है, ठोस आधार पर उचित निर्धारण करना संभव होगा । सुनवाई के पश्चात्, याची के प्रतिनिधि ने, पीपीए के निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, याचिका में दावा किए गए अनुसार वार्षिक नियत प्रभारों और ऊर्जा प्रभारों के लिए आयोग के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है ।

उपरोक्त याचिका का निपटारा करते समय, आयोग ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :

"9. याची द्वारा, वार्षिक नियत प्रभारों और ऊर्जा प्रभारों की संगणना करते समय विचार में लिए गए प्रचालन पैरामीटर (उदाहरणार्थ लक्ष्यित उपलब्धता के लिए 25-40%, पूरक ऊर्जा उपभोग के लिए 23-21% आदि) समान संरचना वाले अन्य उत्पादन केंद्रों के लिए 2004 के विनियमों में विहित संनियमों से अत्यधिक निम्न है । अतः, हम इन निम्न संनियमों पर आधारित, याचिका नें दावा किए गए वार्षिक नियत प्रभारों और ऊर्जा प्रभारों का अनुमोदन करने की स्थिति में नहीं है । इसके अतिरिक्त, याची द्वारा प्रस्तुत उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि विद्युत को तब तक ठोस आधार पर अनुसूचीबद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि पहले यूनिट का प्रचालन स्थिर न हो जाए, हमारा मत यह है कि इस प्रक्रम पर उत्पादन केंद्र से विद्युत के प्रदाय को अशक्त माना जाए और समय-समय पर यथासंशोधित 2004 के विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट रूप से यूआई दरों पर प्रभारित किया जाए । जब अनुसूची को शून्य माना जाता है तो यह पीपीए के खंड 7.1.6 के अनुरूप होगा । इस प्रयोजन के लिए, मीट रिंग, लेखांकन, बिलिंग आदि को याची द्वारा प्रत्यर्थी के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा । अशक्त विद्युत के विक्रय से, ईंधन की लागत से आधिक्य में अर्जित राजस्व को 2004 के विनियमों के विनियम 19 के अनुसार पूंजी लागत के प्रति समायोजित किया जाएगा । अतः, याची अगले आदेश तक अनंतिम वार्षिक नियत प्रभारों को प्रभारित नहीं करेगा और इस संबंध में याची द्वारा प्रस्तुत पूर्ववर्ती बिलों की, यदि कोई हों, प्रत्यर्थी द्वारा अनदेखी की जाएगी । हम यह उल्लेख करने के लिए मजबूर हैं कि पीपीए के खंड 7.1.3 से खंड 7.1.5 तक के उपबंध संतोषजनक नहीं हैं और उन्हें आस्थगित रखा जाना चाहिए ।

10. याची, जब पहली यूनिट ऐसे प्रक्रम पर पहुंचेगी, जहां इसकी मेगावाट क्षमता को घोषित किया जा सकता हो और चल रही मरम्मत और अनुरक्षण के परिणामस्वरूप अनुप्राप्य प्रचालन पैरामीटरों के नए निर्धारण के पश्चात् अनुसूचित आधार पर इसका प्रचालन किया जा सकता हो, तब याची एक पुनरीक्षित याचिका फाइल करेगा । याची पुनरीक्षित याचिका किए जाने के समय, पीपीए के निबंधनों के अनुसार स्टॉक सत्यापन के पश्चात् अंतरण मूल्य, मरम्मत और अनुरक्षण व्यय के निर्धारण, पूरा किए जाने के लिए प्रत्याशित समय और मरम्मत तथा अनुरक्षण और विस्तारित जीवन के निर्धारण के परिणामस्वरूप संभावित रूप से प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित प्रचालन पैरामीटरों को ठोस आधार देगा ।

आयोग ने अपने तारीख 10.07.2008 और 31.07.2008 के आदेशों द्वारा एनटीपीसी के क्रमशः, फिरोज़ गांधी ऊंचाहार थर्मल विद्युत केंद्र, स्टेज-III (210 मेगावाट) और विध्यांचल स्टेज-III (2X500 मेगावाट) के लिए भी अंतिम टैरिफों का अनुमोदन किया है । अनुज्ञात किए गए वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) निम्नानुसार है:

फिरोज़ गांधी ऊंचाहार थर्मल विद्युत केंद्र, स्टेज-III(210 मेगावाट) :

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	2006-07	2007-08	2008-09
ऋण पर ब्याज	4056	3882	3558
कार्यकरण पूंजी पर ब्याज	921	923	945
अवक्षयण	2648	2648	2648
अवक्षयण के प्रति अग्रिम	711	680	1978
रिटर्न ऑन ईक्विटी	3125	3125	3125
ओ एंड एम व्यय	2363	2457	2556
कुल	**13822**	**13714**	**14810**

विध्यांचल स्टेज-III (2x500 मेगावाट) :

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	2006-07 (1.12.2006 से 31.3.2007)	2007-08 (1.4.2007 से 14.7.2007)	2007-08 (15.7.2007 से 31.3.2008)	2008-09
ऋण पर ब्याज	8850	9510	16556	15499
कार्यकरण पूंजी पर ब्याज	1630	1673	3863	3690
अवक्षयण	6082	6480	11398	11398
अवक्षयण के प्रति अग्रिम	0	0	1087	5685
रिटर्न ऑन ईक्विटी	7008	7466	13200	13200
ओ एंड एम व्यय	5060	5260	10520	10950
कुल	**28630**	**30390**	**56624**	**60693**

आयोग ने एनटीपीसी के कहलगांव स्टेज-II (2X500 मेगावाट) के यूनिट-I और सीपत-II (2X500 मेगावाट) के यूनिट-I के लिए अनंतिम टैरिफ का अनुमोदन किया है।

(2) **नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के थर्मल उत्पादन केंद्रों के टैरिफ**

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) के पास 31.03.2008 को लिग्नाइट पर आधारित 2490 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता थी। एनएलसी के प्रत्येक उत्पादन केंद्र की प्रतिष्ठापित क्षमता और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख नीचे दी गई है :

क्रम सं.	उत्पादन केंद्र का नाम	31.03.2008 को प्रतिष्ठापित संख्या	केंद्र के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख
1.	टीपीएस-I	600.00	21.02.1970
2.	टीपीएस-II (स्टेज-I)	630.00	23.04.1988
3.	टीपीएस-II (स्टेज-II)	840.00	09.04.1994
4.	टीपीएस-I (विस्तारण)	420.00	05.09.1993
5.	कुल लिग्नाइट	2490.00	

थर्मल विद्युत केंद्र- I अकेले तमिलनाडु राज्य को विद्युत का प्रदाय करता है, जब कि थर्मल विद्युत केंद्र- II (स्टेज- I और II) तथा थर्मल विद्युत केंद्र-I (विस्तारण) दक्षिणी क्षेत्र के घटकों को विद्युत का प्रदाय करते हैं।

एनएलसी के टीपीएस-II स्टेज-I और स्टेज-II का टैरिफ

आयोग ने, 2004-09 की अवधि के लिए टैरिफ के अवधारण हेतु और साथ ही 2001-04 तथा 2004-07 की अवधि के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण के अनुमोदन के संबंध में 26.02.2008 को सुनवाई समाप्त की । आदेश को आरक्षित रखा गया है।

(3) उत्तर-पूर्व इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (निपको) के थर्मल उत्पादन केंद्रों का टैरिफ

31.03.2008 को उत्तर-पूर्व इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (निपको) के पास ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस आधारित 375 मेगावाट की थर्मल उत्पादन क्षमता है, अर्थात् असम जीपीएस (291 मेगावाट) और अगरतला जीपीएस (84 मेगावाट)। ये दोनों केंद्र उत्तर-पूर्व क्षेत्र के फायदाधारियों को विद्युत का प्रदाय करते हैं। अगरतला गैस विद्युत केंद्र ओपन साइकिल पर प्रचालन करता है तथा असम गैस विद्युत केंद्र संयुक्त साइकिल पद्धति पर प्रचालन करता है। दोनों केंद्रों के पास लघु क्षमता (50 मेगावाट यूनिट आकार से कम) के गैस टर्बाइन हैं। प्रत्येक उत्पादन केंद्र की प्रतिष्ठापित क्षमता और वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख नीचे दी गई है :

क्रम सं.	उत्पादन केंद्र का नाम	31.03.2008 को प्रतिष्ठापित संख्या (मेगावाट)	केंद्र के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख
1.	अगरतला जीपीएस	84.00	01.08.1998
2.	असम जीपीएस	291.00	01.04.1999
	कुल	**375.00**	

आयोग ने, क्रमशः, अपने तारीख 9.9.2005 और 22.08.2005 के आदेशों द्वारा अगरतला जीपीएस और असम जीपीएस के संबंध में 2003-04 की अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित किया। आयोग ने, एनईईपीसीओ द्वारा फाइल की गई पुनर्विलोकन याचिका पर अपने तारीख 14.12.2006 के आदेश द्वारा असम जीपीएस के मामले में वार्षिक नियत प्रभार को पुनरीक्षित किया, जब कि अगरतला जीपीएस के मामले में आयोग ने पुनर्विलोकन याचिका को नामंजूर कर दिया था। तथापि, आयोग ने 31.10.2007 को विद्युत अपील अधिकरण द्वारा निर्णय दिए जाने

के परिणामस्वरूप उसके द्वारा पूर्व में निर्धारित अगरतला जीपीएस के 2003-04 की अवधि के टैरिफ का अपने तारीख 8.12.2008 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण किया। अपील अधिकरण के आदेश को देखते हुए, 31.03.2003 को पूंजी लागत का पुनर्विलोकन किया गया और तारीख 9.9.2005 के पूर्ववर्ती आदेश में अनुज्ञात 31910 लाख रुपए की बजाए अब 32488 लाख रुपए अनुज्ञात किए गए।

आयोग ने, अपने, क्रमशः, तारीख 20.02.2008 और 22.02.2008 के आदेशों द्वारा असम जीपीएस और अगरतला जीपीएस के संबंध में 1.4.2004 से 31.03.2009 की अवधि के लिए टैरिफ आदेशों को पारित किया । उपरोक्त केंद्रों के संबंध में अतिरिक्त पूंजी व्यय 2004-06 पर विचार करने के पश्चात् 2004-09 की अवधि के लिए निर्धारित टैरिफ के ब्यौरे नीचे सारणी में दिए गए हैं :

विशिष्टियां	**अगरतला जीपीएस (जीटी 3×21 मेगावाट)**				
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
अवक्षयण	1828	1828	1829	1829	1829
ऋण पर ब्याज	322	249	204	95	19
रिटर्न ऑन ईक्विटी	2287	2288	2288	2288	2288
अवक्षयण के प्रति अग्रिम	0	0	0	0	0
कार्यकरण पूंजी पर ब्याज	195	197	200	202	205
ओ एंड एम व्यय	795	824	860	895	930
कुल	**5427**	**5386**	**5381**	**5309**	**5271**

विशिष्टियां	**असम जीपीएस (जीटी 6×30 मेगावाट ७ एसटी 3×37)**				
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
अवक्षयण	7051	7127	7128	7128	7128
ऋण पर ब्याज	3915	3623	3184	2555	1927
कार्यकरण पूंजी पर ब्याज	10212	10278	10279	10279	10279
अवक्षयण के प्रति अग्रिम	0	0	0	0	0
रिटर्न ऑन ईक्विटी	797	803	806	806	805
ओ एंड एम व्यय	2753	2855	2980	3099	3221
कुल	**24728**	**24687**	**24376**	**23866**	**23359**

आयोग ने, जनवरी, फरवरी और मार्च, 2004 के मासों में ईधन के मूल्य और जीसीवी के आधार पर अगरतला जीपीएस के संबंध में 89.20 पैसा/कि.वाट तथा असम जीपीएस के संबंध में 48.19 पैसा/कि.वाट के आधारित ऊर्जा प्रभार को भी अनुज्ञात किया, जो मास दर मास आधार पर ईंधन मूल्य समायोजन के अध्यधीन है।

(4) **पुनर्विलोकन याचिकाएं :**

आयोग ने एनटीपीसी, ग्रिडको, असम राज्य विद्युत बोर्ड (एएसईबी), टीएसइबी, एनईईपीसीओ, एमपीपीटीसीएल, आईएसएन इंटरनेशनल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2001-04 और 2004-09 की अवधियों के लिए आयोग के विभिन्न टैरिफ आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई 15 पुनर्विलोकन याचिकाओं तथा तालचर पीपीएस (460 मेगावाट) की दशा में प्रचालन संनियमों के पुनरीक्षण का निपटारा किया ।

(5) **प्रकीर्ण याचिकाएं/मामले**

गुजरात राज्य में सूजन संयुक्त साइकिल पावर प्रोजेक्ट टोरेंट पावर जनरेशन लिमिटेड के संबंध में प्रारंभिक फालतू पूर्जों के मद्दे पूंजी लागत का पुनरीक्षण।

आयोग ने अपने तारीख 22.08.2006 के आदेश द्वारा, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए इस परियोजना के लिए 339.436 मिलियन यूएस डालर धन 1448.43 करोड़ रुपए की पूंजी लागत के 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन को स्वीकार किया था, जिसके अंतर्गत आईडीसी और एफसी सम्मिलित थे किंतु डब्ल्यूसीएम सम्मिलित नहीं था । यथा अनुमोदित परियोजना पूंजी लागत में प्रारंभिक फालतू पूर्जों की लागत के लिए, 167.41 करोड़ रुपए की प्राक्कलित लागत (जिसमें 45.42 प्रति यूएस डालर के विनिमय दर पर 30.57 मिलियन यूएस डालर और 28.56 करोड़ रुपए सम्मिलित थे), जो परियोजना की ठोस लागत का 5.87 प्रतिशत थी, की बजाए टैरिफ विनियम, 2004 के विनियम 17 के उपबंधों के अनुसार मूल परियोजना लागत (ठोस लागत) की चार प्रतिशत की अनुज्ञेय दर पर 11.86 करोड़ रुपए (जिसमें 45.42 प्रति यूएस डालर के विनिमय दर पर 20.426 मिलियन यूएस डालर और 19.08 करोड़ रुपए सम्मिलित थे) का अनुमोदन सम्मिलित था ।

टोरेंट पावर जनरेशन लिमिटेड ने पूर्व में विचार की गई फालतू पूर्जों की लागत पर पुनः विचार करने और 167.41 करोड़ रुपए के फालतू पूर्जों की लागत अनुज्ञात करने के लिए एक अन्तर्वर्ती आवेदन (आईए) फाइल किया था ।

आयोग टोरेंट पावर जनरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत सामग्री के परिशीलन के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याची ने इस मामले में प्रारंभिक फालतू पूर्जों की संपूर्ण राशि अनुज्ञात करने के लिए पर्याप्त औचित्य प्रदान किया है। टैरिफ विनियम, 2004 के विनियम 13 के

अधीन शक्ति का अवलंब लेते हुए, आयोग ने परियोजना की लागत के भागरूप में 167.41 करोड़ रुपए की (जिसमें 45.42 प्रति यूएस डालर के विनिमय दर पर 30.57 मिलियन यूएस डालर और 28.56 करोड़ रुपए सम्मिलित थे), प्रारंभिक फालतू पूर्जों की पूर्ण लागत अनुज्ञात की। इसके परिणामस्वरूप, अब सिद्धांत रूप में अनुमोदित परियोजना पूंजी लागत 349.58 मिलियन यूएस डालर + 14558.80 करोड़ रुपए होगी, जिसके अंतर्गत आईडीसी और एफसी सम्मिलित थे किंतु डब्ल्यूसीएम सम्मिलित नहीं था।

तालचर टीपीएस (460 मेगावाट) के संबंध में 2004-09 की अवधि के लिए टैरिफ के अवधारण हेतु प्रचालन पैरामीटरों और संनियमों का पुनरीक्षण।

2004-09 की अवधि के लिए तालचेर थर्मल विद्युत केंद्र, जो एनटीपीसी के स्वामित्वाधीन उत्पादन केंद्र है, के टैरिफ के अवधारण हेतु प्रचालन पैरामीटरों और संनियमों के पुनरीक्षण के लिए ग्रिडको द्वारा एक याचिका फाइल की गई थी।

तालचर थर्मल विद्युत केंद्र को, उड़ीसा सरकार द्वारा तालचेर थर्मल विद्युत केंद्र (अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1994 तथा तारीख 1.6.19095 की पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा 3.6.1995 को एनटीपीसी को अंतरित किया गया था तथा याची में निहित किया गया था। विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर तत्कालीन उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड तथा उड़ीसा सरकार द्वारा 8.3.1995 को हस्ताक्षर किए गए थे । इसके अतिरिक्त, याची और प्रत्यर्थी ने 23/24.9.1996 की बैठक के कार्यवृत्त पर भी हस्ताक्षर किए थे, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, 1995-96 से 1999-2000 की अवधि के लिए टीटीपीएस के टैरिफ को सूत्रबद्ध किया गया था ।

आयोग ने, चल रहे मरम्मत और अनुरक्षण संकर्म के मद्दे प्राप्त की गई दक्षता या प्राप्त की जाने वाली दक्षता और साथ ही पूर्व कार्यपालन पर विचार करने के पश्चात्, याचिका सं. 62/2000 में अपने तारीख 19.06.2002 के आदेश द्वारा वर्ष 2003-2004 के लिए निम्नलिखित अनुसार उत्पादन केंद्र को लागू प्रचालन पैरामीटर नियत किए थे :

पीएलएफ (%)	विनिर्दिष्ट ईंधन तेल का उपभोग (मि.लीटर/कि.वाट)	पूरक विद्युत उपभोग (%)	केंद्र की ताप दर (केसीएएल/कि.वाट)
75	3.5	11	3100

आयोग ने, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004 के अधीन 2004-2009 की अवधि के लिए टैरिफ का अवधारण करने हेतु निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते समय, वर्ष 2003-04 के लिए पूर्व में अनुमोदित प्रचालन संनियमों को बनाए रखा था।

जीआरआईडीसीओ द्वारा यह कथन किया गया है कि, प्रत्यर्थी द्वारा प्रारंभ किए गए मरम्मत और अनुरक्षण संकर्मों के परिणामस्वरूप, आयोग द्वारा विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रचालन पैरामीटरों से कहीं अधिक प्राप्त प्रचालन पैरामीटरों में अत्यधिक सुधार हुआ है। आवेदक ने एनटीपीसी द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों से यथा व्युत्पित अपनी स्वयं की पद्धति से वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों की संगणना भी की है।

जब 2004-2009 की अवधि के लिए उत्पादन केंद्र संबंधी प्रचालन संनियम विचाराधीन थे, तब उत्पादक द्वारा प्रारंभ किए गए मरम्मत और अनुरक्षण संकर्मों के प्रभाव स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं थे। अतः, आयोग ने वर्ष 2003-04 के लिए यथा लागू प्रचालन संनियमों को जारी रखा।

आयोग ने, केंद्र के लिए प्रचालन संनियमों का पुनर्विलोकन करने के आशय से, एनटीपीसी को यह निदेश दिया कि वह वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए वास्तविक प्रचालन पैरामीटरों के ब्यौरे प्रस्तुत करें, अर्थात् उपलब्धता, पीएलएफ, पूरक उपभोग, केंद्र ताप दर तथा विनिर्दिष्ट ईंधन तेल का उपभोग।

तालचेर टीपीएस (460 मेगावाट) के वास्तविक कार्यपालन आंकड़ों के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 59/2007 में अपने तारीख 20.08.2007 के आदेश द्वारा निम्नलिखित पुनरीक्षित प्रचालन संनियमों को अनुज्ञात किया:

उपलब्धता (%)	पीएलएफ (%)	विनिर्दिष्ट ईंधन तेल का उपभोग (मि.लीटर/कि.वाट)	पूरक विद्युत उपभोग (%)	केंद्र की ताप दर (केसीएएल/कि.वाट)
80	80	2.0	10.5	2975

तालचर टीपीएस (460 मेगावाट) के लिए पूर्वोक्त प्रचालन संनियमों को आयोग द्वारा 1.10.2007 से अधिसूचित किया गया था ।

अपील अधिकरण के निर्णय के आधार पर टांडा टीपीएस (440 मेगावाट) के लिए टैरिफ का पुनरीक्षण

विद्युत अपील अधिकरण ने, सीईआरसी की याचिका सं. 8/2005 में तारीख 24.10.2005 के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई 2007 की अपील सं॰ 9 में अपने तारीख 6.6.2007 के निर्णय में निम्नलिखित अधिनिर्णीत किया :

"पूंजी लागत

17. *अधिकरण ने अपने निर्णय के पैरा 31 और 32 में निम्नानुसार संप्रेक्षण किया :*

"31. अपीलार्थी ने यह कथन किया कि तुलन पत्र के आधार पर अतिरिक्त पूंजी व्यय का अनुमोदन किया जाना है और प्रत्यर्थी को तुलन पत्र में दर्शित ऐसी मदों के व्यय की अनुज्ञा दी गई है । हमारे समक्ष

रखे गए इस मामले में, जब संपरीक्षित तुलन पत्र उपलब्ध था, उस समय केंद्रीय आयोग द्वारा याचिका में विनिश्चय किया था । इस प्रकार, प्रत्यर्थी की लेखा बहियों में उपदर्शित पूंजीकरण की रकम को आवश्यक रूप से विचार में लेना होगा ।

32. हम इस संबंध में अपीलार्थी के निवेदन को स्वीकार करते है और केंद्रीय आयोग को यह निदेश देते हैं कि वह इस मामले पर पुनः विचार करें और अपनी विवेकपूर्ण जांच के अधीन रहते हुए तुलन पत्र में उपदर्शित सीमा तक पूंजीकरण की रकम को निर्बंधित करें:

आयोग ने एटीई के पूर्ववर्ती निर्णय को ध्यान में रखते हुए, तारीख 9.4.2008 के आदेश द्वारा पुनर्विलोकन किया और निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :

18. अभिलेखों के पुनः सत्यापन पर, यह नोटिस किया गया था कि तुलन पत्र में दर्शित सकल ब्लॉक उस पूंजी लागत से भिन्न था, जिस पर तारीख 24.10.2005 के उक्त आदेश में पुनरीक्षित नियत प्रभार अवधारित किए गए थे । याची को यह निदेश दिया गया था कि वह लेखा बहियों और पूंजी लागत में सकल ब्लॉक के बीच उस अंतर का स्पष्टीकरण दे, जिसके आधार पर पुनरीक्षित नियत प्रभारों का दावा किया गया था । याची ने यह स्पष्ट किया है कि उत्पादन केंद्र को उसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1000 करोड़ के मूल्य पर अंतरित किया गया था । अंतरण के समय, लेखा बहियों में सकल ब्लॉकों 967.29 करोड़ रुपए के रूप में दर्शित किया गया था तथा 32.71 करोड़ रुपए की शेष रकम को फालतू पुर्जों के रूप में सूची में रखा गया था । यह और कथन किया गया है कि अतिरिक्त पूंजीकरण से पूर्व 31.03.2004 तक की अवधि के लिए टैरिफ का अनुमोदन करते समय आयोग ने याचिका सं. 77/2001 में अपने तारीख 28.06.2002 के आदेश में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को याची के हजार करोड़ रुपए की परियोजना लागत के दावे के स्थान पर 607 करोड़ रुपए की वास्तविक परियोजना लागत पर विचार किया था। इसके परिणामस्वरूप, याची को उक्त आदेश में आयोग के कतिपय संप्रेक्षणों के अनुसार आस्तियों का पुर्नमूल्यांकन कराने की अनुमति दी गई थी तथा वर्ष 2002-03 के दौरान सकल ब्लॉक में 393 करोड़ रुपए की रकम समायोजित की गई थी ।

19. चूंकि याची द्वारा 32.71 करोड़ रुपए की रकम को उसे तुलन पत्र में उपदर्शित किए बिना सूचियों में रखा गया था, इसलिए उक्त रकम को ऊपर उद्धृत अधिकरण के

संप्रेक्षण को ध्यान में रखते हुए, पूंजीकरण के लिए विचार में नहीं लिया गया है । तद्नुसार, अर्जन की तारीख से आस्तियों के सकल मूल्य को निम्नानुसार पुनः संगणित किया गया है :

(रुपए लाख में)

तुलन पत्र के अनुसार प्रारंभिक सकल ब्लॉक	96729
(घटाएं) 2002-03 में किए गए समायोजन	39293
टैरिफ के प्रयोजन के समायोजित सकल ब्लॉक	57436

20. ऊपर दिए गए समायोजित सकल ब्लॉक और हमारे द्वारा इस आदेश में अनुज्ञात अतिरिक्त पूंजीकरण को विचार में लेने के पश्चात् निम्नलिखित अनुसार उत्पादन केंद्र की पूंजी लागत को पुनः संगणित किया गया है :

पूंजी लागत

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
प्रारंभिक सकल ब्लॉक	57436	57436	61516	66151	72175
अनुज्ञात अतिरिक्त पूंजीकरण		4080	4636	6024	2643
अंतिम पूंजी लागत	57436	61516	66153	72175	74818

पारेषण

आयोग ने अंतरराज्यिक पारेषण से संबंधित 85 याचिकाओं पर कार्यवाही की । पीजीसीआईएल द्वारा फाइल की गई अधिकतर टैरिफ याचिकाएं 2004-09 की टैरिफ अवधि से संबंधित थी जिनके अंतर्गत कुछ याचिकाओं में उस अवधि के दौरान द्वितीय अतिरिक्त पूंजीकरण का अनुमोदन, 28 याचिकाओं में अनंतिम टैरिफ आदि थे। एनआरएलडीसी ने दो याचिकाएं फाइल की थी, जिनमें संघटकों को विद्युत अंतरण सीमाओं का सम्मान करने और संपूर्ण उत्तर-पूर्व-पश्चिम (एनईडब्ल्यू) ग्रिड की ग्रिड सुरक्षा बनाए रखने के लिए ग्रिड से अधिक विद्युत प्राप्त करने की क्रिया को समाप्त करने हेतु निदेश देने का अनुरोध किया गया था। आयोग ने, ग्रिड आवृत्ति को 49 हर्ट्स से ऊपर बनाए रखकर क्षेत्रीय ग्रिड के सुरक्षित तथा विश्वसनीय प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक याचिका पर स्वविवेक से विचार किया था। कुछ राज्य भार प्रेषण केंद्रों द्वारा निर्बाध पहुंच प्रदान करने के विवादों से संबंधित कुछ याचिकाओं पर भी विचार किया गया था। आयोग ने जेपी पावर ग्रिड ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा

पारेषण अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए फाइल की गई याचिका पर भी कार्यवाही की गई थी। विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए व्यापार आवेदनों से संबंधित कुछ याचिकाओं पर भी कार्यवाही की गई थी।

मैसर्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (आईईएक्सएल) द्वारा विद्युत विनिमय के गठन के लिए अनुमति मंजूर किए जाने हेतु एक आवेदन फाइल किया था। यह विद्युत विनिमय के गठन से संबंधित पहला आवेदन था और आयोग ने 31.08.2007 को अनुमति प्रदान की थी।

उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली में, वर्ष 1992 से पैसा/कि.वाट के निबंधनों के अनुसार एक समान सामान्य पूल पारेषण टैरिफ (यूसीपीटीटी) प्रचलित था । 1.4.2007 से, एनईआर प्रणाली को, यूसीपीटीटी स्कीम के स्थान पर, जिसमें पीजीसीआईएल के राजस्व क्षेत्र में उत्पादित ऊर्जा पर निर्भर करते हैं (जो पीजीसीआईएल के नियंत्रण से बाहर है) पीजीसीआईएल के क्षेत्रीय प्रणाली में निवेश के आधार पर वार्षिक पारेषण प्रभारों की एक स्कीम को प्रारंभ किया गया था।

यूआई शोध्यों का संदाय करने में असमर्थ रहने पर यूपीपीसीएल और विद्युत विकास विभाग (पीडीडी) को कारण बताओ सूचनाएं जारी की गई थी

टैरिफ के क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार संघट क, केवल अनुसूचित ऊर्जा को ही अंतर्वलित करते हैं तथा किसी आधिक्य प्राप्ति के संबंध में संदाय यूआई तंत्र के माध्यम से किया जाता है । यूआई लेखों को साप्ताहिक चक्र के आधार पर जारी किया जाता है तथा आईईजीसी के अनुसार यूआई प्रभारों के संदाय को कुछ पूर्विकता दी जाती है । संबंधित संघटकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दस दिनों के भीतर आरएलडीसी द्वारा संचालित क्षेत्रीय पूल खाते में उपदर्शित रकम का संदाय करें । आयोग ने यह देखा कि यूआई प्रभारों का असंदाय, ग्रिड से, कोई संदाय किए बिना ऊर्जा प्राप्त करने के समान है ।

आयोग ने यह नोटिस किया कि यूपीपीपीसीएल और पीडीडी (जम्मू-कश्मीर) के प्रति 2.9.2007 की अवधि के लिए क्रमशः 577.99 करोड़ रुपए और 410.25 करोड़ रुपए की मूल रकम बकाया थी । आयोग ने यह पाया कि दोनों उपयोगिताएं ग्रिड से निरंतर अधिक ऊर्जा प्राप्त कर रही थी और यूआई संदाय नहीं कर रही थी तथा बकाया यूआई संदाय चेतावनी के स्तर तक बढ़ रहे थे। आयोग ने यूपीपीसीएल और पीडीडी (जम्मू-कश्मीर) को कारण बताओं सूचनाएं जारी की तथा 25.11.2007 तक यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि उनके विरुद्ध अननुसूचित अंतःपरिवर्तन (यूआई) के मद्दे बकाया शोध्यों की वसूली के लिए कार्रवाई क्यों न प्रारंभ की जाए।

ग्रिड के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए कंजेशन प्रभारों का उद्ग्रहण

एनआरएलडीसी ने सितंबर, 2007 में एक याचिका फाइल की थी, जिसमें उत्तरी क्षेत्र के ग्रिड

संघटकों को एनआरएलडीसी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट विद्युत अंतरण क्षमता सीमाओं का सम्मान करने और ग्रिड से अधिक ऊर्जा न प्राप्त करने के लिए निदेश देने का अनुरोध किया गया था ।

उ. क्षे., पू. क्षे. आर और प.क्षे. ग्रिडों के समक्रमण ने एनईडब्ल्यू (उत्तर-पूर्व-पश्चिम) ग्रिड के संघटकों को, मौसम, विद्युत भार आदि में विविधता के कारण फायदा प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। तथापि, एनआर संघटकों द्वारा ग्रिड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनआरएलडीसी द्वारा अंतःक्षेत्रीय लिंकों के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट प्रचालन सीमाओं का पालन नहीं किया गया था और अनेकों बार उनका उल्लंघन किया गया था।

नए ग्रिड की लगभग 100,000 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता के कारण आवर्तन कम नहीं होता है जैसा कि पूर्व में हुआ करता था और एनआर राज्यों द्वारा भारी मात्रा में अधिक विद्युत प्राप्त करने से आवर्तन के कम होने से पूर्व एनआर को अंतः-क्षेत्रीय लिंक अधिक भार ग्रस्त हो जाते हैं। अन्य शब्दों में, आवर्तन उस स्तर से नीचे नहीं आता है, जहां यूएफ दर अधिक विद्युत प्राप्त करने को हतोत्साहित करेगी, किंतु पारेषण कारीडोरों पर भार खतरनाक स्तरों पर पहुंच जाता है। इस कारण से, यूआई तंत्र जिसमें अभी तक स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया था, सदैव प्रभावी नहीं बना रहा था, विशिष्ट रूप से एनआर में तथा यह अपेक्षित हो गया था कि उसे एक अनुपूरक वाणिज्यिक तंत्र द्वारा समर्थन प्रदान किया जाए।

आयोग इस निर्णय पर पहुंचा कि राज्यों द्वारा विद्युत का निरंकुश अधिक प्रापण औचित्यपूर्ण नहीं है, विशेषकर उस समय जब संपूर्ण ग्रिड के समक्ष आसन्न नष्ट होने का खतरा हो। अतः, अतिव्यस्त पारेषण कारीडोर के डाउनस्ट्रीम पर अधिक विद्युत प्रापण में कमी लाने और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक वाणिज्यिक संकेत प्रारंभ करना आवश्यक हो गया है। आयोग ने, 19.11.2007 से ग्रिड विपदा की दशा में उत्तरी क्षेत्र के प्रत्येक राज्यों द्वारा अधिक विद्युत प्रापण पर कंजेशन प्रभार का उद्ग्रहण करने के लिए निदेश जारी किए थे। यद्यपि, कंजेशन प्रभार की अवधारणा नई नहीं है किंतु यह प्रथम अवसर था जब भारत में इसे लागू किया गया था।

उत्तरी क्षेत्र के सभी ग्रिड संघटकों द्वारा अधिक विद्युत प्रापण, कम विद्युत प्राप्ण और साथ ही अधिक/कम इंजेक्शन के लिए 3 रुपए प्रति किलोवाट के कंजेशन प्रभार हैं और इसे अधिसूचित आवर्तन संबंधी यूआई दर में जोड़ दिया जाता है। कंजेशन प्रभार उद्गृहीत करने के संबंध में समय को उत्तरी क्षेत्र भार प्रेषण केंद्र (एनआरएलडीसी) द्वारा कम से कम तीस मिनट पहले अधिसूचित किया जाता है। किसी ऊंच-नीच से बचने के लिए इसी रीति में इसे समाप्त किया जाता है।

बाद में एनआरएलडीसी ने इस बात की पुष्टि की थी कि स्कीम प्रभावी सिद्ध हुई है और

इसमें दृढ़ के एकीकरण के अनुरक्षण में सहायता की है। अनेक अवसरों पर, कंजेशन प्रभार उद्ग्रहण करने की आशय सूचना मात्र ने वांछित परिणाम प्रदान किए हैं। इसकी प्रभावकारिता को देखते हुए, आयोग ने कंजेशन प्रभार के उद्ग्रहण का विस्तारण किया है।

एनईआर में निवेश आधारित पारेषण टैरिफ का कार्यान्वयन

आयोग ने पावर ग्रिड के स्वामित्व वाले और उसके द्वारा प्रचालित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली के नौ (9) उपकेंद्रों के लिए सामान्य पारेषण प्रभारों का अवधारण किया। इस टैरिफ को 1.4.2007 से प्रभावी किया गया था। टैरिफ को अंतिम रूप देने से पूर्व, आयोग ने नौ (9) याचिकाओं (82/2006 से 90/2006) पर सुनवाई की और पणधारियों के मतों पर विचार किया।

मामले की अति विशेष प्रकृति, जिसे संक्षेप में नीचे वर्णित किया गया है, के कारण इन याचिकाओं पर भिन्न रूप से कार्यवाही करना अपेक्षित था। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, एकसमान सामान्य पूलड पारेषण टैरिफ (यूसीपीटीटी) का, जिसमें प्रति किलो वाट कतिपय पैसे सम्मिलित हैं, 1991-92 से पालन किया जा रहा है । यूसीपीटीटी दर को, सभी केंद्रीय सेक्टर लाइनों और उपकेंद्रों तथा पहचान की गई राज्य के स्वामित्व वाली लाइनों के लिए वार्षिक पारेषण प्रभारों को जोड़कर और उस रकम को सभी केंद्रीय उत्पादन केंद्रों पर प्रत्याशित वार्षिक उत्पादन से भाग देकर संगणित किया गया था। प्रारंभ में यूसीपीटीटी को 12.7 पैसे प्रति किलोवाट नियत किया गया था। कुछ पुनरीक्षणों के पश्चात् इसे 1.4.1998 से 35 पैसे प्रति किलोवाट नियत किया गया था और यद्यपि उस तारीख के पश्चात् याची द्वारा अनेक आस्तियां सम्मिलित की गई है किंतु तब से यह दर उसी स्तर पर रही है। 35 पैसे प्रति किलोवाट की दर से एकत्रित रकम को, प्रत्येक अस्तित्व की पूंजी लागत के अनुपात में सामान्य पूल बनाने वाली पारेषण आस्तियों के स्वामियों के बीच वितरित किया जा रहा है। यूसीपीटीटी दर में परिवर्तन पर रोक और नई उत्पादन क्षमता प्रारंभ करने में विलंब के कारण, पिछले कुछ वर्षों में पावर ग्रिड को संदत्त पारेषण प्रभार क्षेत्र में उसके वृहत् निवेश की सर्विस के लिए अपेक्षित राजस्व से काफी कम था। एनईआर राज्य इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस कमी को केंद्रीय सरकार के 'अनुतोष पैकेज' से पूरा किया जाए, जो मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है ।

एनईआर में, क्षेत्रीय संघटकों की परस्पर सहमति से अपनाई और जारी रखी गई यूसीपीटीटी दर, 1.4.2001 से 31.3.2004 की अवधि के लिए लागू सीईआरसी के टैरिफ विनियम, 2001 के अनुरूप नहीं थे । तथापि, मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अनंतिम रूप से इन्हें 31.03.2004 तक जारी रखने का अनुमोदन किया था ।

एनईआर में उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के कार्यान्वयन के साथ, एनईआर में केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से ऊर्जा की उपलब्धता में हाल ही के वर्षों में शनैः-शनैः वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, वार्षिक पारेषण प्रभार भी, यदि उन्हें आयोग के टैरिफ विनियमों में अधिकथित सिद्धांतों का पालन करते हुए संगणित किया गया होता, पिछले कुछ वर्षों में ऋणों के प्रतिदाय के साथ कम हो गए होते। आयोग ने यह देखा कि अब यूसीपीटीटी को जारी रखना एनईआर राज्यों के लिए फायदेमंद नहीं था। अतः, आयोग ने 1.4.2007 से एनईआर टैरिफ को यूसीपीटीटी स्कीम से पावर ग्रिड के क्षेत्र में निवेश के आधार पर वार्षिक पारेषण प्रभारों की स्कीम में परिवर्तित किया ।

आयोग द्वारा अनुज्ञात अनंतिम वार्षिक पारेषण प्रभार नीचे दिए गए हैं :–

(रुपए लाख में)

याचिका सं.	**पारेषण आस्ति**	2007-08	2008-09
82/2006	रांगानदी - जीरो लाइन	266.94	266.27
832006	लोकतक एचईपी का एटीएस	141.15	143.91
84/2006	रांगानदी एचईपी का एटीएस	2510.61	2459.59
85/2006	कोपिली विस्तारण का एटीएस	277.24	276.65
86/2006	अगरतला जीबीपीपी का एटीएस	407.84	408.89
87/2006	कैथलगुडी का एटीएस	9191.80	9101.73
88/2006	एनईआर की उन्नयन स्कीम	2053.41	2052.69
89/2006	दोयांग एचईपी का एटीएस	1913.24	1923.53
90/2006	कोपिली - खानडोंग का एटीएस	1202.55	1233.06
योग		**17964.78**	**17866.32**

हैलीकाप्टर का उपयोग करके उत्तर-क्षेत्र पारेषण प्रणाली में इंस्युलेटरों की हॉटलाइन सफाई

पावरग्रिड ने, प्रायोगिक आधार पर छह मास की अवधि के लिए हैलीकाप्टर का उपयोग करके उत्तर क्षेत्र पारेषण प्रणाली में इंस्युलेटरों ही हॉटलाइन सफाई करने की अनुमति मांगी और फायदाग्राहियों से इस मद्दे उपगत पारिणामिक व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अनुज्ञा भी मांगी।

पावर ग्रिड द्वारा इस प्रस्तावित संकर्म के लिए 8.19 करोड़ रुपए की कुल लागत का प्राक्कलन किया है ।

पावर ग्रिड ने यह कथन किया कि प्रदूषण के मद्दे हुए फ्लेश ओवरों/ब्रेकडाउनों के कारण उत्तरी ग्रिड अनेकाबार ट्रिप हुई है और हैलीकाप्टर के माध्यम से इंस्युलेटरों की हॉटलाइन सफाई महत्वपूर्ण लाइनों के बंद होने को न्यूनतम करेगी। एनआर के संघट कों ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है। पावरग्रिड ने यह स्पष्टीकरण दिया कि यह कार्य, प्रायोगिक आधार पर भारत सरकार के उद्यम पवनहंस हैलीकाप्टर लि. के सहयोग से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है । पूर्व इतिहास के आधार पर महत्वपूर्ण लाइनों और ट्रिप होने की संभावना रखने वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय अनुभव को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया गया था कि एक घंटे में लगभग 5 कि.मी. लाइन की सफाई की जा सकेगी।

फायदाग्राही राज्यों ने लागत-फायद-विश्लेषण करने पर जोर दिया, क्योंकि इससे मानवीय सफाई पर व्यय के मद्दे तथा पारेषण लाइनों के अधिक उपलब्धता के कारण उच्च पारिश्रमिक से पावर ग्रिड की बचत होगी ।

आयोग का यह समाधान हो गया था कि हैलीकाप्टर के माध्यम से इंस्युलेटरो की सफाई एक अग्रणी कदम है । लागत संबंधी प्रतिफलों के अलावा, यह प्रत्याशा की जाती है कि प्रस्तावित हैलिकाप्टर से सफाई, धुंध पड़ने की अवधियों के दौरान ग्रिड सुरक्षा में वृद्धि करेगी, जो पिछले कुछ वर्षों में उत्तरी ग्रिड के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। युक्तियुक्त रूप से यह आशा की जा सकती है कि यह निवारक उपाय आगामी शीतकालीन मासों में एक-दो प्रमुख व्यवधानों से उत्तरी ग्रिड को बचाएगा। प्रस्तावित स्कीम के फायदे इतने स्पष्ट और लुभावने थे कि आयोग ने पावरग्रिड से यह अनुरोध किया कि वह क्षेत्रीय ग्रिड सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण एसईबी लाइनों को भी निवारक उपाय विस्तारित करे और इस प्रयोजन के लिए पावर ग्रिड एनआरएलडीसी से परामर्श कर सकेगा।

जहां तक प्रस्तावित उपाय के लागत-फायदे विश्लेषण का संबंध है, आयोग ने यह निदेश दिया कि 20% लागत का वहन पावर ग्रिड द्वारा किया जाएगा और शेष 80% लागत का उत्तरी क्षेत्र फायदाग्राहियों द्वारा उस अनुपात में अंशभाजित किया जाएगा, जिसमें उनके द्वारा पारेषण प्रभारों का अंशभाजन किया जाता है।

याचिका सं. 154/2007 में यूआई कीमत का पुनर्विलोकन

एनआरएलडीसी ने विद्युत की कमी के दौरान महंगी / गुप्त / सन्निहित / अनध्यपेक्षित उत्पादन प्राप्त करने को सुकर बनाने के लिए

यूआई कीमत के कारक का पुनर्विलोकन करने और साथ ही मांग पक्ष प्रबंध (डीएसएम) को सही कीमत संकेत देने की मांग की थी।

एनआरएलडीसी ने यह कथन किया कि विद्युत की कमी की परिस्थितियों के बावजूद उत्पादन केंद्र अनुसूचित नहीं हो रहे हैं। उत्तरी ग्रिड में किसी दिवस में किसी समय ब्लॉक में अनध्यपेक्षित विद्युत 400 मेगावाट तक हो सकती है। पश्चिमी क्षेत्र में भी रिपोर्ट किए गए अनुसार कवास जीपीएस में लगभग 400 मेगावाट उत्पादन अनध्यपेक्षित है । उसने यह राय दी कि विद्यमान अधिकतम यूआई दर पूर्ण नापथा उत्पादन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

पूर्व में, आयोग ने 30.04.2007 से यूआई अधिकतम दर को 570 पैसे/किलोवाट से बढ़ाकर 745 पैसे/किलोवाट करते हुए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004 के विनियम 24 और 42 का संशोधन किया था। इस संशोधन का आधार आयोग का एनआरएलडीसी की याचिका सं. 4/2006, एसआरएलडीसी की याचिका सं. 145/2006 और सीटीयू की 15/2007 में पणधारियों की सुनवाई करने के पश्चात् और इस दलील पर कि ऐसी यूआई अधिकतम दर सभी नाथपा उत्पादन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, तारीख 5.4.2007 का आदेश था।

आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 745 पैसे/किलोवाट की विद्यमान यूआई की अधिकतम दर अपर्याप्त साबित हो रही थी। यूआई अधिकतम दर डीजल आधारित उत्पादन की लागत से अधिक होनी चाहिए। अतः, आयोग ने यूआई अधिकतम दर को 745 पैसे/किलोवाट से बढ़ाकर 10 रुपए/किलोवाट करके अखिल भारतीय आधार पर उसका और सुव्यवस्थीकरण किया। यूआई दरों में पुनरीक्षण 7.1.2008 से किया गया था । स्पष्टता के लिए ये प्रभार नीचे सारणीबद्ध किए गए हैं।

समय ब्लॉक की औसत आवर्तिता (हर्टज)		यूआई दर (पैसा/किलोवाट)
निम्नलिखित से कम	निम्नलिखित से कम नहीं	
—	50.50	0.0
50.50	50.48	8.0
—	—	—
—	—	—
49.84	49.82	272.0
49.82	49.80	280.0

49.80	49.78	298.0
49.78	49.76	316.0
—	—	—
—	—	—
49.04	49.02	982.0
49.02	—	1000.0

टिप्पण 1: 50.5-49.8 हर्टज आवर्तिता रेंज में प्रत्येक 0.02 हर्टज स्टेप 8.0 पैसे/किलोवाट और 49.8-49.0 हर्टज आवर्तिता रेंज में वह 18.0 पैसे/किलोवाट के समतुल्य है ।

टिप्पण 2: परंतु कोयला या लिग्नाइट फायरिंग वाले उत्पादन केंद्रों और केवल एपीएम गैस जलाने वाले केंद्रों के मामलों में, यूआई की अधिकतम दर 406 पैसे प्रति किलोवाट होगी, जब वास्तविक उत्पादन अनुसूचित उत्पादन से अधिक होता है ।

आयोग ने यह स्पष्ट किया कि 19.11.2007 से प्रभावी 3 रुपए प्रति किलोवाट के कंजेशन प्रभार का उद्देश्य भिन्न है । यह केवल उत्तर क्षेत्र के लिए लागू है और ऐसी परिस्थिति में लागू है, जब आवर्तिता अभी भी सामान्य रेंज में है किंतु अंतः क्षेत्रीय लिंक ओवरलोड हो रहे हैं ।

अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में प्रभारों और हानियों के अंशःभाजन के लिए प्रस्तावित विचार

आयोग ने अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली में प्रभारों और हानियों के अंशःभाजन के लिए प्रस्तावित विचार पर फरवरी, 20907 में एक परिचर्चा पत्र जारी किया था ।

आयोग ने इस विषय को याचिका सं. 85/2007 में स्वविवेक से उठाया था । पणधारियों के मतों पर विचार करने के पश्चात् इस मामले में 28 मार्च, 2008 को अंतिम आदेश जारी किया गया था । इस आदेश में, आयोग ने दूरी और दिशा संवेदनशीलता लाने के लिए टैरिफ नीति की आज्ञा के अनुरूप पारेषण प्रभार अंशभाजन के सुव्यवस्थीकरण की दिशा में पहला कदम उठाया था। इस आदेश के द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन लाए गए थे :

(क) सभी स्टेप डाउन ट्रांसफारमर्स (सीटीयू प्रणाली को राज्य नेटवर्क से परस्पर जोड़कर) और डाउन स्ट्रीम प्रणालियों के, जो अंतरराज्यिक पारेषण स्कीमों के अधीन फायदाग्राहियों को विद्युत प्रदाय करने के लिए हैं और जिन्होंने अभी तक वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है, लिए पारेषण प्रभारों को शेष स्कीम से पृथक् किया

जाएगा और उनका संदाय केवल प्रत्यक्ष रूप से सेवा प्रदान किए गए फायदाग्राहियों द्वारा किया जाएगा।

(ख) पूर्वी क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से जोड़ने वाली सभी अंतर-क्षेत्रीय आस्तियों (पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाली आस्तियों को छोड़कर) के लिए पारेषण प्रभार, अन्य क्षेत्रों में अवस्थित फायदाग्राहियों द्वारा संदेय होंगे। पूर्वी और उतर-पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाली आस्तियों और अन्य अंतर-क्षेत्रीय आस्तियों के लिए पारेषण प्रभारों को दो क्षेत्रों के बीच समान रूप से प्रभारित किया जाएगा।

(ग) उत्पादन केंद्रों की सहबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण प्रभारों को स्वतः ही पारेषण प्रभारों के क्षेत्रीय पूल के साथ पूलबद्ध नहीं किया जाएगा। तथापि, फायदाग्राही, ऐसी पारेषण प्रणालियों के पारेषण प्रभारों को, पारेषण प्रभारों के क्षेत्रीय पूल के साथ पूलबद्ध करने के लिए करार कर सकेंगे।

जल विद्युत उत्पादन

वर्तमान में आयोग निम्नलिखित छह केंद्रीय सेक्टर जल विद्युत उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन कर रहा है, जो दक्षिणी क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में अवस्थित हैं और जिनकी कुल प्रतिष्ठापित संयंत्र क्षमता, 23 केंद्रों में 8568 मेगावाट है :

(i) नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (11 केंद्र, 3629 मेगावाट)

(ii) नर्मदा हाइड्रो डवेलेपमेंट कारपोरेशन लि. (2 केंद्र, 1540 मेगावाट)

(iii) नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिसिटी पावर कारपोरेशन लि. (5 केंद्र, 755 मेगावाट)

(iv) सतलुज जल विद्युत निगम लि. (1 केंद्र, 1500 मेगावाट)

(v) टिहरी हाइड्रो डवेलेपमेंट कारपोरेशन (1 केंद्र, 1000 मेगावाट)

(vi) दामोदर वैली कारपोरेशन (3 केंद्र, 144 मेगावाट)

वर्ष के दौरान, आयोग ने उपरोक्त जल विद्युत कंपनियों और साथ ही उनके फायदाग्राहियों से संबंधित 22 याचिकाओं की सुनवाई की । इनमें 2001-04 और 2004-09 की अवधियों के लिए अंतिम उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए 7 याचिकाएं, नए प्रारंभ किए गए जल-विद्युत केंद्रों के अनंतिम टैरिफ के 3 मामले और आयोग के आदेशों के पुनर्विलोकन के लिए 6 पुनर्विलोकन याचिकाएं सम्मिलित थी।

ऐसे अन्य मामले, जिन पर आयोग द्वारा कार्यवाही की गई, निम्नलिखित हैं :

(i) उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित रिहन्द और माटाटीला जल-विद्युत केंद्रों के संबंध में विद्युत के वैध अंश का प्रदाय न करने और देयों के असंदाय के लिए न्यायनिर्णयन ;

(ii) नाथपा झाकडी जल विद्युत केंद्र के संबंध में सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2004 के विनियम 12 और 13 के अंतर्गत शिथलीकरण के लिए एचपीएचईबी की याचिका;

(iii) 1.4.2008 से कार्यान्वित किए जाने वाले जल विद्युत टैरिफ संशोधनों पर परिचर्चा-पत्र;

(iv) टैरिफ विनियम में संशोधनों पर दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील।

2001-04 की अवधि के लिए उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका

अरुणाचल प्रदेश में निपको के रांगानदी एचई केंद्र को अप्रैल, 2002 में आरंभ किया गया था। आयोग ने अप्रैल, 2002 में इसके अनंतिम टैरिफ का अनुमोदन किया था। याची ने 2001-04 की अवधि में अंतिम टैरिफ के अनुमोदन के लिए टैरिफ याचिका फाइल नहीं की थी क्योंकि जून, 2001 में परियोजना की समापन लागत को मंजूरी देते समय भारत सरकार द्वारा विचार किया गया वित्तीय पैकेज 73.44 : 26.56 के ऋण-साम्या अनुपात के आधार पर था, जो 1 : 1 आधारित ऋण-साम्या अनुपात से भिन्न था, जिस पर मूल वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी गई थी।

पुनःसंरचित वित्तीय पैकेज को 26.03.2008 को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अंतिम मंजूरी दी गई थी। तत्पश्चात्, याची ने पुनरीक्षित वित्तीय पैकेज के आधार पर संशोधित याचिका फाइल की। आयोग ने अपने तारीख 29.04.2008 के आदेश द्वारा 12.02.2002 से 31.03.2004 तक अंतिम टैरिफ को मंजूरी दी। आयोग द्वारा इस केंद्र के लिए निम्नलिखित वार्षिक नियत प्रभार अनुमोदित किए गए :

(रुपए करोड़ में)

विशिष्टियां	12.02.2002 से 31.03.2002	2002-03	2003-04
एएफसी	28.89	251.68	250.49

1633 एमयू के विक्रय योग्य वार्षिक डिजाइन के आधार पर 2003-04 के दौरान संयुक्त टैरिफ 1.53 रुपए प्रति यूनिट था।

2. 2004-09 की अवधि के लिए अंतिम उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन

(i) उत्तराखंड में एनएचपीसी की धौलीगंगा एचई परियोजना (4x70 मेगावाट) को नवंबर, 2005 में प्रारंभ किया गया था। आयोग ने तारीख 13.12.2007 के अपने आदेश तारीख द्वारा केंद्र के अंतिम उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन किया था। यह केंद्र 90% विश्वसनीय वर्ष में 1135 एमयू का वार्षिक ऊर्जा उत्पादन उपलब्ध कराएगा । आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक नियत प्रभार निम्नानुसार हैं :

(रुपए करोड़ में)

विशिष्टियां	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
एएफसी	74.04	174.63	175.82	176.38

(ii) नागालैंड में निपको के दोयांग एचई केंद्र को 2000-01 में प्रारंभ किया गया था। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के इस केंद्र की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, तारीख 22.01.2003 के पत्र के अनुसार 2000-01 के दौरान इसके टैरिफ को 2 रुपए प्रति किलोवाट की दर से नियत किया जाना था, जिसमें 5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि की जानी थी। आयोग ने 2001-04 और साथ ही 2005-05 तथा 2005-06 के दौरान की अवधियों के लिए टैरिफ का अनुमोदन करते समय इस पद्धति को स्वीकार किया था।

याची ने उत्पादन केंद्र के वित्तीय पैकेज की पुनःसंरचना के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तीय पैकेज को अंतिम रूप दिए जाने के लंबित रहने के दौरान आयोग ने, चालू टैरिफ अवधि के वर्ष 2005-07 से 2008-09 के लिए टैरिफ का अनुमोदन करने के लिए अभी तक लागू पद्धति को विस्तारित किया है ।

तदनुसार, वार्षिक नियत प्रभार निम्नलिखित होंगे :

वर्ष	विक्रय योग्य ऊर्जा (एमयू)	एकल भाग टैरिफ (रुपए/किलोवाट)	एएफसी (करोड़ रुपए) (1*2/10)
2006-07	197.97	2.680	5305
2007-08	197.97	2.814	55.71
2008-09	197.97	2.955	58.50

(iii) आयोग ने एनई क्षेत्र में अवस्थित एनईईपीसीओ के स्वामित्व वाले निम्नलिखित जल विद्युत केंद्रों के अंतिम उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन किया :

क) कोपिली स्टेज-I (4x50 मेगावाट)

ख) कोपिली स्टेज-II (1x25 मेगावाट)

ग) खानडोंग (2x25 मेगावाट)

घ) रांगानदी (3x135 मेगावाट)

अनुमोदित वार्षिक नियत प्रभार निम्नलिखित हैं:

(रुपए करोड़ में)

स्टेशन	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
कोपिली स्टेज-I	54.76	55.45	56.15	56.89	57.67
कोपिली स्टेज-II	11.22	13.81	13.65	13.30	12.95
खानडोंग	18.42	18.70	19.00	19.31	19.63
रांगानदी	262.86	250.36	241.55	234.62	203.41

नए जल विद्युत केंद्रों के अनंतिम टैरिफ का अनुमोदन

(i) नर्मदा हाइड्रो डिवेलपमेंट कारपोरेशन लि. की ओंकारेश्वर हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (8 × 65 मेगावाट) इंदिरा सागर हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना की प्रपाती योजना है। इसके पहले उत्पादन यूनिट को 20.08.2007 को प्रारंभ किया गया था और तत्पश्चात् 15.11.2007 को केंद्र कि सीओडी प्राप्त की गई थी। आयोग ने तारीख 30.10.2007 के अपने आदेश द्वारा पहली यूनिट की सीओडी से 31.03.2008 तक अनंतिम टैरिफ का अनुमोदन किया।

याचिका की सुनवाई के पश्चात् याची द्वारा यह कथन किया गया था कि चल रही न्यायालय कार्यवाहियों और परियोजना से प्रभावित परिवारों के स्थानातंरण में विलंब के मद्दे, ओंकारेश्वर परियोजना की झील को ईएल 189.0 एम तक ही भरा जा सका था, जो ईएल 196.60 एम के पूर्ण झील स्तर की तुलना में कम है, जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षित परीक्षण पूरे किए जाने के पश्चात् 65 मेगावाट प्रति मशीन की प्रतिष्ठापित क्षमता के प्रति निरंतर आधार पर केवल 50 मेगावाट प्रति मशीन की अधिकतम आउटपुट ही प्राप्त की जा सकी थी ।

जहां तक पुर्नवास और पुर्नस्थापना (आर एंड आर) संकर्मों में विलंब के लिए कारणों का संबंध है, जिनके कारण अधिकतम विद्युत की हानि हुई, याची ने यह कथन किया है कि आर एंड आर लागत को परियोजना पर प्रभारित किया जा रहा है और उन्होंने प्रभावी परिवारों को आवश्यक संदाय करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई हैं । याची द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार आर एंड आर से

संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए उत्तरदायी है और याची को झील के निर्बंधित रूप से भरे जाने और उत्पादन केंद्र से पारिणामिक अधिकतम विद्युत की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए।

प्रत्यर्थी द्वारा यह दलील दी गई थी कि चूंकि आयोग द्वारा 1.4.2000 से लागू 29.03.2004 को अधिसूचित किए गए टैरिफ के निबंधनों और शर्तों के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि मशीनें वाणिज्यिक प्रचालन के अध्यधीन है, इसलिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को केवल तब से निर्धारित किया जाना चाहिए जब उत्पादन केंद्र ने मशीन की अधिकतम सतत रेटिंग (एमसीआर) प्रदर्शित कर दी हो । तद्नुसार, ओंकारेश्वर परियोजना से प्रदाय की जा रही विद्युत को इंफर्म ऊर्जा के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि याची द्वारा मशीन की एमसीआर प्रदर्शित नहीं की गई है।

आयोग को प्रत्यर्थी की ओर से किए गए कथन में कोई गुणावगुण आधार दिखाई नहीं दिया। इंफर्म ऊर्जा के प्रदाय को, मशीन के संक्रमण पश्चात् अल्पावधि के दौरान विनियमित किया जाता है । व्यावहारिक रूप में, उत्पादन केंद्र या यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन को तब प्रारंभ हुआ माना जाता है जब इसे इसकी विद्युत प्रदाय करने के सामर्थ्य की दैनिक घोषणा से प्रारंभ करते हुए अनुसूचीकरण की विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्रचालित किया जाता है और उसके पश्चात् आरएलडीसी द्वारा, फायदाग्राहियों के परामर्श से अनुसूची प्रदान की जाती है तथा दी गई अनुसूची के निर्देश से आउट पुट की मानीटरिंग की जाती है। वर्तमान मामले में, यह प्रतीत होता है कि यह प्रक्रिया पहले ही क्रमशः 20.08.2007, 20.08.2007 और 11.09.2007 से मशीन सं. 1 से 3 के लिए प्रारंभ की जा चुकी है और ये मशीनें काफी लंबे समय से निरंतर विद्युत का उत्पादन कर रही हैं। तद्नुसार, उत्पादित विद्युत को इंफर्म ऊर्जा के रूप में नहीं माना जा सकता और अनंतिम टैरिफ अवधारण करने की आवश्यकता है। 2004 के विनियमों के निबंधनों के अनुसार, याची उत्पादन केंद्र की उत्पादन ईकाईयों के लिए क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार प्राप्त करने के लिए हकदार है।

आयोग ने यह संप्रेक्षण किया कि याची उत्पादन केंद्र से अधिकतम विद्युत की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है (प्रत्यर्थी द्वारा आर एंड आर संकर्म में विलंब के मद्दे) और अतः इसे 2004 के विनियमों के खंड 13 के अधीन उपबंध को शिथिल करने के लिए उचित मामला माना। याची अनंतिम आधार पर पूर्ण वार्षिक नियत प्रभारों की वसूली करने के लिए हकदार है। तथापि, याची क्षमता अनुक्रमणिका के मद्दे प्रोत्साहन का दावा करने के लिए तब तक हकदार नहीं है जब तक कि प्रति मशीन 65 मेगावाट की पूर्ण अधिकतम आउटपुट प्राप्त नहीं हो जाती।

आयोग ने, विलंब और उत्पादन केंद्र से पारिणामिक अधिकतम विद्युत की हानि पर अपनी चिंता व्यक्त की और यह आशा व्यक्त की कि मध्य प्रदेश सरकार वृहत्त रूप से उपभोक्ताओं

के हित में, परियोजना से प्रभावित परिवारों की आर एंड आर समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी ।

(iii) टिहरी हाइड्रो डवेलेपमेंट कारपोरेशन लि. की टिहरी जल विद्युत परियोजना स्टेज-I (4 x 250 मेगावाट) को 28.07.2007 को प्रारंभ की गई। आयोग ने तारीख 28.03.2008 के अपने आदेश द्वारा पहले से प्रवृत्त दो भाग अनंतिम टैरिफ, जिसे पूर्व में 28.12.2006 के आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया था, को विस्तारित किया।

(iii) हिमाचल प्रदेश में सतलुज जल विद्युत निगम लि. की नाथपा झाकडी जल विद्युत परियोजना (6 x 250 मेगावाट) को 18.05.2004 को आरंभ किया गया था । आयोग ने याचिका सं. 184/2004 में आईए सं. 13/2007 में तारीख 5.9.2007 के अपने आदेश द्वारा, याची को समय पर तथा आधिक्य लागत पर स्थायी समिति की रिपोर्ट के साथ अनुमोदित पूर्णतः लागत पर आधारित 2004-09 की अवधि के लिए अंतिम टैरिफ के लिए याचिका फाइल करने का निदेश देते हुए वर्ष 2007-08 के लिए 127.81 करोड़ रुपए के अनंतिम एएफसी को अनुज्ञात किया।

(iv) एनएचपीसी की दुलहस्ती एचई परियोजना को अप्रैल, 2007 में प्रारंभ किया गया था। अंतरिम उपाय के रूप में आयोग ने अपने तारीख 20.03.2007 के आदेश द्वारा 31.03.2008 तक विक्रय योग्य 1658 एमयू की डिजाइन ऊर्जा के तत्समान 497.40 करोड़ रुपए के अनंतिम एएफसी का अनुमोदन किया। याची ने यह और कथन किया है कि समापन लागत के लिए पुनरीक्षित मंजूरी विद्युत मंत्रालय द्वारा अभी अनुमोदित की जानी है और इसलिए 31.03.2009 तक अनंतिम टैरिफ को विस्तारित करने का अनुरोध किया ।

आयोग ने तारीख 28.03.2008 के अपने आदेश द्वारा, अंतिम टैरिफ के अवधारण के पश्चात् समायोजना के अधीन रहते हुए अगले आदेशों तक तारीख 20.03.2007 को पहले से अनुमोदित अनंतिम टैरिफ को जारी रखने का अनुमोदन किया।

(v) सिक्किम में एनएचपीसी की तिस्ता-V एचई परियोजना को अप्रैल, 2008 में प्रारंभ किया गया था। आयोग ने अपने तारीख 31.03.2008 के आदेश द्वारा उत्पादन यूनिट/ केंद्र की वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से अनुसूचित विक्रय योग्य ऊर्जा पर 1.62 रुपए प्रति यूनिट की दर से अनंतिम एकल भाग टैरिफ का अनुमोदन किया ।

पुनर्विलोकन याचिकाएं

आयोग ने, आयोग के आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई निम्नलिखित पुनर्विलोकन याचिकाओं पर सुनवाई की तथा उनका निपटारा किया :

(i) एनएचपीसी द्वारा, 1.4.2004 से 31.03.2009 की अवधि के लिए लोकटक एचई

परियोजना के टैरिफ के अनुमोदन के लिए आयोग के तारीख 4.10.2006 के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए पुनर्विलोकन याचिका फाइल की गई। आयोग ने याची द्वारा उल्लिखित विभिन्न मुद्दों का पुनर्विलोकन करने की मंजूरी नहीं दी।

(ii) आयोग ने याचिका सं॰ 107/2006 में तारीख 13.12.2007 के अपने आदेश द्वारा, 1.10.2005 से 31.03.2009 तक की अवधि के लिए धौलीगंगा एचई परियोजना के अंतिम टैरिफ का अनुमोदन किया। याची एनएचपीसी ने आयोग के तारीख 13.12.2007 के आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए पुनर्विलोकन याचिका फाइल की थी। याची के अनुसार, पुनर्विलोकन इसलिए आवश्यक था क्योंकि उक्त आदेश में अभिलेख संबंधी अनेक सुस्पष्ट मूल त्रुटियां थी।

याची द्वारा उठाए गए मुद्दे निम्नानुसार हैं :

(क) अवक्षयण को सामान्य पुनः संदाय के रूप में माने जाने पर विचार करना तथा ऋण तथा अवक्षयण के विरुद्ध अग्रिम पर ब्याज की संगणना में इसके पारिणामिक प्रभाव।

(ख) ओ एंड एम व्ययों की संगणना में त्रुटि।

(ग) कार्यकरण पूंजी पर ब्याज के प्रयोजन के लिए अनुरक्षण फालतू पूर्जों की लागत की संगणना में त्रुटि।

(घ) कतिपय टंकण संबंधी त्रुटियां ।

आयोग ने ऊपर मद (ग) और (घ) से संबंधित मुद्दों का पुनर्विलोकन किया और उसके आदेश के अन्य मुद्दों का पुनर्विलोकन करने से इंकार कर दिया ।

(iii) मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी में, एनएचडीसी की ओंकारेश्वर एचई परियोजना के अनंतिम टैरिफ के संबंध में आयोग के तारीख 31.10.2007 के पुनर्विलोकन के लिए याचिका फाइल की थी।

पुनर्विलोकन आवेदक ने अभिवचन किया है कि झील के निर्बंधित रूप से भरे जाने में उसका कोई दोष नहीं है। आयोग का आदेश पुनर्विलोकन आवेदक के हित के प्रतिकूल नहीं हो सकता क्योंकि करार के अधीन और साथ ही न्यायालय के आदेश द्वारा भी, राज्य सरकार के साथ एनएचडीसी पुर्नवास और पुर्नस्थापन संकर्मों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है जिससे कि झील को एफआरएल स्तर तक भरा जा सके। इस प्रकार, एनएचडीसी और राज्य सरकार द्वारा उनके संयुक्त उत्तरदायित्व का अनुपालन न किए जाने के कारण, आवेदक से, जब अधिकतम विद्युत को प्राप्त नहीं किया जा सकता था तो पूर्ण क्षमता प्रभारों का संदाय करने की अपेक्षा करके, उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जाना चाहिए ।

पुनर्विलोकन आवेदक ने यह और कथन किया है कि वह पुनर्वास और पुर्नस्थापन संकर्म से संबंधित नहीं है और वह उपभोक्ताओं के हितों की

सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। इन परिस्थितियों में और अंततोगत्वा उपभोक्ताओं के हित में, पी 1/पी सूत्र को लागू करना न्यायोचित होगा।

आयोग ने यह पाया कि पुनर्विलोकन आवेदक ने पुनर्विलोकन को न्यायोचित ठहराते हुए न तो अभिलेख पर स्पष्ट किसी त्रुटि या दोष को दर्शित किया है और न ही ऐसे किसी नए तथ्य को दर्शित किया है, जो पूर्व में उपलब्ध नहीं था। उसने एक विनिश्चित किए गए मुद्दे पर पुनः तर्क करने की चेष्टा की है। तद्नुसार, आवेदन चलाएं जाने योग्य नहीं है और यह प्रारंभिक आधार पर ही नामंजूर किए जाने के लिए दायी है। तथापि, न्याय के हित में और पक्षकारों के समाधान को सुकर बनाने के लिए, आयोग ने इन मुद्दों को पश्चात्वर्ती पैराओं में स्पष्ट किया था।

उत्पादन केंद्र के टैरिफ के लिए पी 1/पी को, जिसे इंदिरा सागर एचईपी की दशा में लागू किया गया था, लागू किए जाने के प्रश्न पर स्पष्ट है कि दोनों मामलों की आधारिक वास्तविकताएं भिन्न हैं । इंदिरा सागर के मामले में, झील के पूर्ण स्तर को इसलिए प्राप्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि विभिन्न यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीखों को जल का भंडारण करने के लिए बांध पूरा नहीं हो पाया था। इस प्रकार, आयोग पी 1/पी सूत्र को लागू करते हुए वार्षिक नियत प्रभारों को कम करके उचित समझौता लागू करने में समर्थ हुआ था। इसके विपरीत, उत्पादन केंद्र की दशा में, बांध पहले ही पूरा हो चुका है किंतु इसे इसके एफआरएल तक भरा नहीं जा सका था क्योंकि मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे आदेश जारी किए थे, जिन्हें भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, राज्य सरकार और एनएचडीसी के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले पुर्नवास उपायों के मद्दे झील के स्तर को ई 1 189एम से अधिक न भरे जाने के संबंध में बातिल नहीं किया गया था । इस मामले में बांध ईएल 196.6 एम के एफआरएल तक झील को भरे जाने के लिए पूरा हो गया है और तत्समान रूप से 65 मेगावाट प्रति मशीन की अधिकतम विद्युत उत्पादन को प्राप्त किया जा सके, किंतु एनएचडीसी झील को ईएल 189 एम तक निर्बंधित रूप से भरे जाने पर मजबूर है और इससे केवल 50 मेगावाट प्रति मशीन का ही उत्पादन प्राप्त किया जा सका है । इस प्रकार, अधिकतम विद्युत प्राप्त करने में असफलता ऐसे कारणों से है, जो एनएचडीसी के नियंत्रण से परे हैं। अतः, उत्पादन केंद्र के लिए अनंतिम टैरिफ का विनिश्चय करते समय पी 1/पी सूत्र को लागू करने का कोई औचित्य नहीं है । चूंकि एनएचडीसी को अधिकतम विद्युत प्राप्त करने में असफलता के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है, इसलिए वह पूर्ण वार्षिक नियत प्रभारों की वसूली करने के लिए हकदार है। आयोग ने, तारीख 30.10.2007 के अपने आदेश में केवल यह आशा अभिव्यक्त की है कि राज्य सरकार वृहत्त रूप से उपभोक्ताओं के हित में परियोजना से प्रभावित परिवारों की पुर्नस्थापना और पुर्नवास

संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के नाथपा झाकरी एचई परियोजना (6 x 250 मेगावाट) की बाबत संदेय क्षमता प्रभारों से संबंधित विनियम 48 के लागू होने के बारे में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2004 के विनियम 12 तथा 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन एचपीएसईबी द्वारा फाइल की गई याचिका।

स्टेशन के छह उत्पादन यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख निम्नानुसार है :

यूनिट - V - 6.10.2003

यूनिट - VI - 2.1.2004

यूनिट - IV - 30.3.2004

यूनिट - III - 31.3.2004

यूनिट - II - 6.5.2004

यूनिट - I - 18.5.2004

एसजेवीएनएल भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में ईक्विटी की भागीदारी के साथ संयुक्त रूप से प्रोन्नत एक उद्यम है।

भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय ने तारीख 26.3.2003 के पत्र द्वारा हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरी क्षेत्र के अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1500 मेगावाट नाफ्था झाकरी एचई परियोजना से ऊर्जा का निम्नलिखित आबंटन किया :

क्रम सं.	राज्य	आबंटन (मेगावाट में)	संस्थापित क्षमता की प्रतिशतता (%)
1.	हरियाणा	64	4.27
2.	हिमाचल प्रदेश	547	36.47
3.	जम्मू-कश्मीर	105	7.00
4.	पंजाब	114	7.60
5.	राजस्थान	112	7.47
6.	उत्तर प्रदेश	221	14.73
7.	उत्तरांचल	38	2.53
8.	चंडीगढ़	8	0.53
9.	दिल्ली	142	9.47
10.	केंद्रीय सरकार के अधिकार में अनाबंटित कोटा	149	9.93
कुल		1500 **मेगावाट**	100%

उपरोक्त सारणी में, हिमाचल प्रदेश सरकार के 36.47% आबंटन में निम्नलिखित सम्मिलित है: -

I. गृह राज्य से 12% मुफ्त ऊर्जा (180 मेगावाट)

II. परियोजना की ईक्विटी में अपने 25% अंशदान के तत्स्थानी एचपी राज्य का शेयर। यह स्टेशन की शेष 88% क्षमता में 22% ऊर्जा (330 मेगावाट) होती है ।

III. केन्द्रीय योजना सहायता आदि पर आधारित आबंटन सूत्र के अनुसार उपरोक्त-I और II को ध्यान में रखने के पश्चात् उपलब्ध शेष ऊर्जा में राज्य की 2.47% हिस्सेदारी (37 मेगावाट)।

केविविआ (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2004, अन्य बातों के साथ-साथ, हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों की दशा में, क्षमता प्रभारों की बिलिंग तथा संदाय से संबंधित है तथा विनियम 48 के अधीन शासित है। याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया कि केविविआ टैरिफ विनियम, 2004 के विनियम 48 में उपबंधित सूत्र निम्नलिखित पूर्व-शर्तों के अधीन रहते हुए ही लागू हो सकेंगे : -

क. केन्द्रीय सरकार द्वारा या विभिन्न क्रयों के पक्ष में करार के अधीन क्षमता का फर्म आबंटन हो;

ख. पूरे वर्ष में क्षमता का फर्म आबंटन एक समान हो, अर्थात् पूरे वर्ष कुल शेष क्षमता में वैसी ही प्रतिशतता हिस्सेदारी तथा ऐसी प्रतिशतता जो मासिक या सीजनल आधार पर अंतर नहीं करती हों ।

एचपी एसईबी ने यह निवेदन किया कि यदि उपरोक्त दो शर्तें सम्यक् रूप से संतोषजनक हैं तो विनियम 48 में दिए गए सूत्र के अनुसार संचयित आधार पर और वार्षिक क्षमता प्रभारों के आधार पर योग के आधार पर संगणित एचपीएस ईवी तथा अन्य प्रत्यर्थियों द्वारा एसजेवीएनएल द्वारा संदेय मासिक-वार क्षमता प्रभारों का अवधारण उचित, न्यायोचित तथा पर्याप्त होगा। तथापि, यदि विभिन्न क्रयों की क्षमता के आबंटन में सीजनल या मासिक आधार पर अंतर होता है तो संचयित आधार पर मासिक आधार पर क्षमता प्रभारों की संगणना करने के उपरोक्त सूत्र का उपयोज्यता पूर्णतया अनुचित, मध्यस्थकारी तथा असाम्यपूर्ण होगी।

तद्नुसार, कठिनाई को दूर करने के लिए माननीय आयोग की आवश्यकता है, जो विभिन्न क्रयों के लिए एसजेवीएनएल से विद्युत के उत्पादन तथा विक्रय के लिए टैरिफ के क्षमता प्रभारों के प्ररूपिक भाग का अवधारण करने वाले विनियमों को प्रभावी बनाने से उद्भूत हुई। माननीय आयोग को नवम्बर 2004 से मार्च, 2005 तथा नवम्बर, 2005 से मार्च 2006 की अवधि के बीच एसजेवीएनएल से प्राप्त हुई ऊर्जा के लिए एचपीएसईबी तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा

संदेय समुचित क्षमता प्रभारों को नियत करने की अपेक्षा को पूरा करने के लिए किसी भी विनियम को शिथिल तथा कठोर बनाना चाहिए।

एचपीएसईबी ने यह और निवेदन किया कि नाफ्था झाकरी एचई परियोजना में शेष 88% क्षमता में 12% मुफ्त ऊर्जा तथा 25% हिस्सेदारी के आबंटन में से हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान अप्रैल से अक्तूबर तथा नवम्बर से मार्च की अवधि के दौरान निम्नलिखित रीति में एचपीएसईबी को ऊर्जा पुनः आबंटित की थीः

क्रम सं.	अवधि	हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एचपीएसईबी को आबंटित
1.	अप्रैल, 2004 से अक्तूबर, 2008	3.31%
2.	नवम्बर, 2004 से मार्च, 2005	28.31%
3.	अप्रैल, 2005 से मार्च, 2006	2.807 % से 4.08%
4.	मार्च, 2005 से मार्च, 2006	24.167% से 25%

याची ने यह निवेदन किया कि क्योंकि एचपीएसईबी को आबंटित क्षमता पूरे वर्ष फर्म नहीं थी, इसलिए, उनके द्वारा संदेय क्षमता प्रभार असंचयित आधार पर (मासिक आधार) निकाले जाएंगे। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि एसजेवीएनएच द्वारा बिल किए गए 139.88 करोड़ रुपए और 26.21 करोड़ रुपए के प्रति क्रमशः वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए 90.12 करोड़ रुपए तथा 24.23 करोड़ रुपए के रूप में क्रय क्षमता प्रभार तय किए जाएंगे। अतः, याचिकाकर्ता ने वर्ष 2004-05 के लिए 49.76 करोड़ रुपए तथा 2005-06 में 1.98 करोड़ रुपए का हानि उपगत करने को कहा।

सुनवाई के समय एसजेवीएनएल ने निम्नलिखित निवेदन कियाः-

(i) वर्ष में तीन से चार बार तथा दिन के आधार पर समय-स्थान आधार पर 15% गैर-आबंटित अंश के पुनःआबंटन के कारण आबंट न में परिवर्तन किया जा रहा है। केविविआ विनियम में उल्लिखित सूत्र क्षमता आबंटन में परिवर्तन करने के लिए ठीक प्रकार से लेखांकन करता है। मासिक आरईए में विनियमों को ध्यान में रखते हुए एनआरपीसी किसी भी मास की समाप्ति तक फायदाग्राहियों के संचयित भारित औसत हकदारी को वर्णित करती है। किसी भी फायदाग्राही के साथ बिलिंग में कोई कठिनाई नहीं हुई है ।

(ii) सर्दी के महीने में हिमाचल प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी से संविदा करने का एक-मात्र विनिश्चय याचिकाकर्ता का था। ऊर्जा से संबंधित करार करने से पूर्व प्रचलन में केविविआ विनियम के संदर्भ से ऊर्जा के पहलुओं की लागत के विश्लेषण करने की जिम्मेदारी उनकी थी।

(iii) वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए एचपी एसईबी के तर्क अयुक्तियुक्त है क्योंकि ऊर्जा का करार प्रत्यक्षतः पीटीसी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार से एच पी एसईबी द्वारा किया गया।

पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के प्रतिनिधि ने निम्नलिखित निवेदन किया : -

(i) मांगा गया अनुतोष केवल तब ही प्राप्त किया जा सकता है यदि विनियमों में परिवर्तन किया जाता है। तथापि, प्रवृत्त विद्यमान विनियम के साथ यह संभव/अनुज्ञेय नहीं है। चूंकि विनियमों में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध नहीं किया गया है। अतः, याचिका को खारिज किया जाए जैसा कि क्षमता प्रभारों के लिए कोई संगणित प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया जा सकता जो विनियमों का अतिलंधन है।

(ii) "हिमाचल प्रदेश सरकार" द्वारा संदेय क्षमता प्रभारों के बारे में अनुरोध किया गया है । यह स्पष्ट नहीं है कि किस हैसियत से याचिकाकर्ता ने "हिमाचल प्रदेश सरकार" को सम्मिलित करने वाले अनुरोध को अंकित दर्ज किया जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रत्यार्थी सं॰ 11 बनाया गया है ।

(iii) यदि एचपीएसईबी यह निर्धारित करता है कि नाफ्था झाकरी एचई परियोजना सर्दी के दौरान महंगी थी तो एचपीएसईबी को इससे इंकार करने की स्वतंत्रता है। विनियम तथा उन-की उपयोज्यता की जानकारी होते हुए, सर्दी में ऊर्जा की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए, नियत प्रभारो, जो विनियम के अनुसार नहीं है, को संगणित करने की पद्धति में परिवर्तन चाहने के लिए कोई औचित्य नहीं है।

याचिकाकर्ता तथा फायदाग्राहियों तथा सुनवाई के दौरान किए गए तर्कों को आधार पर, आयोग ने निम्नलिखित संप्रेक्षण कियाः -

(i) भारत सरकार ने तारीख 26.3.2003 के अपने पत्र में हिमाचल प्रदेश राज्य को 1500 मेगावाट नाफ्था झाकरी एचई परियोजना से ऊर्जा (547 मेगावाट) के 36.47% का विनिर्दिष्ट आबंटन किया है, जो निम्नानुसार हैः -

(क) गृह राज्य को 12% मुफ्त ऊर्जा (180 मेगावाट)

(ख) 25% ईक्विटी अंशदान के मद्दे राज्य की तय हिस्सेदारी में से संयंत्र की शेष 88% क्षमता में 22% ऊर्जा (330 मेगावाट)

(ग) मुफ्त ऊर्जा, एचपी के हिस्सेदारी तथा गैर-आबंटित कोटा को ध्यान में रखने के पश्चात् शेष उपलब्ध ऊर्जा में राज्य की 2.47% (37 मेगावाट) हिस्सेदारी

और, विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की बाबत जिसमें हिमाचल प्रदेश भी है, भारत सरकार द्वारा क्षमता आबंटन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है सिवाय उनके जो 15% गैर आबंटित प्रवर्ग के आते हैं।

(ii) आयोग ने तारीख 13.2.2007 द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के तारीख 26.3.2003 के पत्र के पैरा 3 के विस्तार पर, विशेषकर, किसी राज्य द्वारा गैर-आबंटित ऊर्जा को अधिशेष घोषित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, के ऊर्जा मंत्रालय से सलाह मांगी। ऊर्जा मंत्रालय से इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(iii) हिमाचल प्रदेश सरकार ने तारीख 26.2.2003 के उक्त पत्र में भारत सरकार द्वारा किए गए अपने फर्म आबंटन में से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा मानसून के दौरान एचपी एसईबी को तथा वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 शेष मास के लिए ऊर्जा पुनः आबंटित की । जिनमें से कुछ निर्देश निम्नलिखित हैः -

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने पत्र सं. एमपीपी-एफ (2) 53/2002, तारीख 7.4.2004 द्वारा एसजेवीएनएल को निर्देश दिया था कि वह अपने स्तर पर 1.4.2004 से 31.10.2004 की अवधि के दौरान नाफ्था झाकरी एचईपी में अपने ऊर्जा की हिस्सेदारी का 34% व्यापार करे।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने पत्र सं. एमपीपी-एफ (2) 53/2003 तारीख 31.10.2004 के पत्र द्वारा एसजेवीएनएल को यह और निर्देश दिया कि वह केविविआ के अनुमोदित दरों के अनुसार एचपीएसई को एलसी के माध्यम से परियोजना में 25% ईक्विटी अंशदान के बदले 12% मुफ्त ऊर्जा तथा उसकी तत्स्थानी हिस्सेदारी को बेचे।

(ग) हिमाचल सरकार ने अपने पत्र सं. एमपीपी-एफ (2) 53/2002 तारीख जून, 2005 द्वारा एसजेवीएनएल को यह अवगत कराया कि वह 1.7.2005 से 31.10.2005 तक केविविआ की अनुमोदित दरों के अनुसार डीटीएल (6.5% एचपीजीसीएल (9%) तथा पीएसईबी (6.5%) को एलसी के माध्यम से परियोजना में 25% ईक्विटी अंशदान के बदले अपनी तत्स्थानी हिस्सेदारी को आबंटित करे।

(घ) हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने पत्र सं. एमपीपी-एफ (2) 53/2002-वोल्यू-II, तारीख 27.10.2005 द्वारा सदस्य सचिव, एनआरईबी को यह अवगत कराया कि वह 1.11.2005 से 31.3.2006 तक पीटीसी के माध्यम से एचपी एसईबी को परियोजना में राज्य की ईक्विटी के बदले ऊर्जा आबंटित करें ।

याचिकाकर्ता ने निवेदन किया कि संपूर्ण वर्ष के लिए एचपीएसईबी को क्षमता आबंटन फर्म नहीं था, जैसा उपरोक्त पैरा 5.6 की सारणी में दर्शित है। सर्दी मास में न्यूनतम 2.807% से अधिकतम 25% तक अंतर था। उनके द्वारा संदेय क्षमता प्रभारों को असंचयित आधार पर (मासिक आधार) पर तय किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि एसजेवीएनएल द्वारा बिल किए गए 139.88 करोड़ रुपए तथा 26.21 करोड़ रुपए के प्रति क्रमशः 2004-05 तथा 2005-06 के लिए 90.12 करोड़ रुपए तथा 23.23 करोड़ रुपए के रूप में कुल क्षमता प्रभार निकाला जाएगा। याचिकाकर्ता ने यह कहा कि 2004-05 में 49.76 करोड़ रुपए तथा 2005-06 में 1.98 करोड़ रुपए की हानि हुई।

आयोग इस बात से अवगत है कि केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन ऊर्जा परियोजना में ऊर्जा का आबंटन गाडगिल सूत्र के अनुसार क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के पक्ष में किया गया है। नाफ्था झाकरी हाइड्रो स्टेशन की दशा में, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम में ऊर्जा का विनिर्दिष्ट आबंटन किया है और न कि परियोजना एचपीएसईबी तथा अन्य फायदाग्राहियों के नाम। इसके अतिरिक्त, एचपीएसईबी या क्षेत्र के अन्य राज्यों के पक्ष में हिमाचल प्रदेश राज्य के अंश के पुनः आबंट न की प्रकिया में वित्तीय लाभ उपगत करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। यह संप्रेक्षण किया गया कि यद्यपि, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचपीएसईवी को ऊर्जा का विक्रय व्यापार प्रक्रिया के माध्यम से किया। अतः राज्य सरकार के अंश के पुनः विभाजन से एचपीएसईबी को हानि हुई है तो इसे हिमाचल प्रदेश सरकार तथा एचपीएसईवी के बीच निपटाया जाना चाहिए। एचपीएसईबी एक ऐसी इकाई नहीं है, जो परियोजना की प्रत्यक्ष फायदाग्राही है, की याचिका फाइल करने तथा क्षमता प्रभारों की संगणना करने वाली पठति, जो केविविआ के अनुसार नहीं है, में परिवर्तन करने के लिए अनुतोष पाने का कोई अधिकार नहीं है।

एचपीएसईबी के प्रतिनिधि के बयान में कोई ऐसा गुणावगुण नहीं है कि उपरोक्त उल्लिखित अवधि के दौरान याचिकाकर्ता तथा प्रतिनिधि फायदाग्राहियों पर उद्धगृहीत प्रति यूनिट क्षमता प्रभार के बीच बहुत बड़ा अंतर है। दो तरफा हाइड्रो टैरिफ की वसूली क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार के रूप में है। याचिकाकर्ता तथा फायदाग्राहियों पर उद्गृहीत प्रति यूनिट प्रभारों की तुलना एक परिकल्पित विश्लेषण है तथा इस मामले में कोई सुसंगतता नहीं है।

आयोग प्रतिवादी पीएसईबी द्वारा की गई इस बहस से सहमत हुआ कि हिमाचल प्रदेश सरकार/एचपीएसईबी ने यह निर्धारित किया कि नाफ्था झाकरी की ऊर्जा सर्दी के मौसम में महंगी थी तब एचपीएसईबी ने इस बात से इंकार किया। विनियमों तथा उनकी उपयोज्यता को जानते हुए सर्दी में व्यस्ततम ऊर्जा की प्राप्ति

को ध्यान में रखते हुए, क्षमता प्रभारों की संगणना की पद्धति में कोई परिवर्तन चाहना किसी भी प्रकार से न्यायोचित्य नहीं है जो कि केविविआ के विनियमों के अनुसार नहीं है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2004 के विनियम 12 तथा 13 के अधीन शिथिल करने के याचिकाकर्ता की अपेक्षानुसार क्षमता प्रभारों की संगणना के लिए विनियम 48 में याचिकाकर्ता के अनुरोध को गुणावगुण के आधार पर सही नहीं पाया। तथापि, आदेश 31.3.2009 तक आरक्षित रखा गया।

5. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2004 - हाइड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादन केन्द्र का संशोधन

आयोग ने तारीख 8.2.2008 के आदेश द्वारा हाइड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादन केन्द्रों की बाबत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2004 के संशोधन नामक एक विचार-विमर्श पत्र परिचालित किया।

संशोधन की आवश्यकता

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए; असम राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष ने तारीख 22.11.2006 के अभ्यावेदन में निपको के हाइड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादन केन्द्रों जिसमें असम फायदाग्राहियों में से एक है, को लागू वर्तमान टैरिफ विनियमों के निम्नलिखित पहलुओं का उल्लेख किया, अर्थात् : -

(i) उत्तर-पूर्वी भारत में दो लगातार मानसून के असफल होने के कारण केन्द्रीय सेक्टर के हाइड्रो-इलैक्ट्रिक उत्पादन केन्द्रों के ऊर्जा उत्पादन में बहुत कमी हुई। जैसा कि हाइड्रो टैरिफ में मुख्यतया वार्षिक नियत प्रकार सम्मिलित होते है जिनका संदाय तब भी किया जाना होता है जब हाइड्रोलॉजी असफल होने के कारण, वास्तविक उत्पादन कम होता है, तथा फायदाग्राहियों को इन हाइड्रो-इलैक्ट्रिक उत्पादन केन्द्रों (कोपली, खानडांग, रंगानदी तथा डोयांग एचईपी) द्वारा उत्पादित ऊर्जा की प्रति यूनिट उच्चतर लागत का संदाय करना होता है ।

(ii) हाइड्रो-इलैक्ट्रिक उत्पादन केन्द्रों से हुई कमी की मांग को पूरा करने के लिए, फायदाग्राहियों को ऊर्जा 6.40 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच (जिसमें पारेषण प्रभार तथा निर्बाध पहुंच प्रभार भी सम्मिलित है) की उच्चतर दर पर व्यापारियों से खरीदनी पड़ी, जिससे लगभग 20 करोड़ रुपए प्रतिमास अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा।

(iii) औसत से अधिक वर्षा वाले वर्ष में, हाइड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादन केन्द्रों की गौण ऊर्जा के कारण अतिरिक्त आय हुई जबकि कम वर्षा की स्थिति में फायदाग्राहियों द्वारा पूर्व वार्षिक भार प्रभारों का अभी भी संदाय किया जाता है।

(iv) क्षमता सूचकांक की संकल्पना के पुनर्विलोकन की आवश्यकता महसूस हुई क्योंकि यह उत्पादन कंपनी को राजस्व की हानि से तब बचाती है जब वर्षा की कमी के कारण कम ऊर्जा उत्पादित होती है । परिणामस्वरूप जब पानी की उपलब्धता कम होती है, तब फायदाग्राहियों को उच्चतर प्रति यूनिट लागत का संदाय करना होता है । इसके अतिरिक्त, उत्पादन कंपनी क्षमता सूचकांक पर आधारित प्रोत्साहन के लिए हकदार है यदि पानी के प्रवाह में कमी होने के कारण वास्तविक उत्पादन कमी होने के बावजूद भी यह आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट से उच्चतर मशीन उपलब्धता की प्राप्ति के लिए समर्थ है।

(v) एएसईबी ने उत्पादन कंपनी तथा फायदाग्राहियों राज्य उपयोगिताओं के बीच जोखिम के साम्यापूर्ण वितरण के लिए हाइड्रो-इलैक्ट्रिक उत्पादन केन्द्रों को लागू वर्तमान टैरिफ विनियमों का आवधिक पुनर्विलोकन करने के लिए आयोग को अभ्यावेदन दिया। पूर्ण रूप से हाइड्रो-इलैक्ट्रिक उत्पादन केन्द्रों को लागू वर्तमान टैरिफ विनियमों का पुनर्विलोकन करने पर यह ध्यान में आया कि यह निश्चित रूप से उत्पादन कंपनियों के पक्ष में है। अतः, आयोग ने, उत्पादन कंपनियों के लिए हाइड्रोलॉजिकल जोखिम के भाग को पारित करते हुए, इसको संशोधित करने का विनिश्चय किया।

विगत तीन वर्षों के दौरान नाप्था झाकरी एचईपी तथा टिहरी एचईपी के लिए टैरिफ को अवधारण की कार्यवाहियों के दौरान, एक दूसरे के बहाने व्यस्ततम प्रचालन से बचने के लिए उत्पादन कंपनियों के झुकाव का उल्लेख किया। यह स्पष्ट है कि उत्पादन कंपनियां पूरे दिन लगातार मेगावाट पर अपने उत्पादन कंपनियों के प्रचालन को अधिमान देती है तथा ऑफ-पीक घंटों के दौरान मशीनों को बंद करने तथा उन्हें पीक भार घंटों के दौरान चलाने के लिए बहुत ही अनिच्छुक रहती हैं जो कि ग्रिड की अपेक्षित पीकिंग सहायता के लिए आवश्यक है। यद्यपि, एनआरएलडीसी तथा आयोग से दबाव पड़ने पर उनके प्रचालन पैटर्न में कुछ हद तक सुधार हुआ है तथा हम यह महसूस करते है कि यदि पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित किया जाए तो उत्पादन कंपनियां अपनी स्वयं की योजना तथा प्रयासों से ग्रिड के लिए पीकिंग सहायता को बढ़ा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, संबंधित उत्पादन कंपनियों के अभिवचनों तथा इंदिरा सागर एचईपी तथा नाप्था झाकरी एचईपी के टैरिफ के अनुमोदन के लिए सुनवाई के दौरान, आयोग की जानकारी में यह बात आई कि जब उत्पादन कंपनियां कमीशन की जाती है तथा वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित की जानी होती हैं, तब पानी की कमी के कारण डाम पूरे नहीं होते हैं तथा

पूर्ण जलाशय का स्तर पूरा किया जाना होता है। पिछले मामलों में, आयोग युक्तियुक्त समझौते को स्वीकार करने में समर्थ था जबकि टैरिफ में, वसूला जाने वाला एएफसी से डाम के पूरा न होने के कारण 'शीर्ष' में कटौती करने के लिए कमी की जाती थी। पिछले मामलों में आयोग को अनंतिम दो-तरफा टैरिफ नियत करने के आधार पर पक्षकारों के बीच तय अंतरिम एक-तरफा टैरिफ को स्वीकार करना होता था। मामले को अभी भी अंतिम रूप से निपटाया जाना है।

टिहरी एचईपी की दशा में, यद्यपि डाम कार्य पूरा हो गया था, डाम की सुरक्षा पर विचार करते हुए, नए संनिर्मित डाम को भरने की दर पर केन्द्रीय जल आयोग, जो एक कानूनी निकाय है, ने निबंर्धन अधिरोपित किए थे। केवल आंशिक अग्रभाग तथा भंडारण की उपलब्धता के कारण, उत्पादन केन्द्र ऊर्जा उस तारीख तक पूंजीगत विनिधान तथा कमीशन्ड मशीन क्षमता के अनुरूप तथा पीक ऊर्जा उत्पादित नहीं कर सका, तथापि, उत्पादन कंपनी ने यह दावा किया कि क्योंकि डाम को भरने के लिए एक कानूनी निकाय द्वारा निर्वंधन अधिरोपित किए गए है तथा इन अवरोधों के कारण वह उत्पादन यूनिट की संस्थापित क्षमता से अपेक्षित पीकिंग ऊर्जा/ऊर्जा मैचिंग की व्यवस्था करने में समर्थ नहीं था और यह हमारा दोष नहीं है तथा इसलिए, वह पूर्ण एएफसी के लिए हकदार है। दूसरी ओर, उत्पादन कंपनियों के फायदाग्राहियों को इस अमूल्य पीकिंग ऊर्जा, जिसके लिए वे हकदार थे, से वंचित किया गया था। दोनों मामलों में, हाइड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादन स्टेशन उस अपेक्षित पीक ऊर्जा, जिसके लिए उत्पादन स्टेशनों की डिजाइन की गई थी, का परिदान करने में असमर्थ थे, डाम की पूर्ण लागत या उत्पादन केन्द्र ने टैरिफ के माध्यम से फायदाग्राहियों को प्रभारित किए जाने का प्रस्ताव किया था ।

आयोग के सामने इंदिरा सागर एचईपी तथा टिहरी एचईपी, जिनके पास वृहत्तर जलाशय है, की दशा में, उपरोक्त विनियम को कार्यान्वित करने में गंभीर कठिनाई आईं । इंदिरा सागर एचईपी की दशा में यह पाया गया कि डाम तब भी निर्माणाधीन था जब उत्पादन यूनिटें कमीशंड की गई थी तथा वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा के लिए अन्यथा तैयार थे । तथापि, अग्रभाग नीचा होने के कारण उत्पादन यूनिटों की एमसीआर को प्रदर्शित करना वस्तुगत रूप से संभव नहीं था तथा वाणिज्यिक प्रचालन का प्रारंभ घोषित नहीं किया जा सका तथा वर्तमान विनियम को कड़ाई से लागू किया गया था। दूसरी ओर, वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा उत्पादन केन्द्र में बहुत बड़ी मात्रा में विनिधान की वसूली आरंभ करने के लिए आवश्यक थी। चूंकि, वर्तमान विनियमों के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक हाइड्रो इलैक्ट्रिक

उत्पादन के लिए केवल इंफर्म ऊर्जा दर को अन्यथा प्रभारित किया जा सकता है। आयोग विनियमों से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को स्वीकार करते हुए किन्तु उपलब्ध अग्रभाग के आनुपातिक कम वार्षिक नियत लागत को अनुज्ञात करते हुए, विनियमों से विचलित था तथा असंमजस के अभिभूत अपने उपबंधों के परे कार्य करना था ।

टिहरी एचईपी की दशा में, स्थिति इसके विपरीत थी। यहां डाम एफआरएल तक पूरा था। तथापि, पहले ही उल्लिखित नए संनिर्मित डामों के लिए सीडब्ल्यू सी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जल भरने संबंधी अवरोधों के कारण कम अग्रभाग के कारण नए कमीशंड उत्पादन यूनिटों के लिए एमसीआर प्राप्त/प्रदर्शित नहीं किया जा सका । इस समस्या से निपटने के लिए, विनियम 31 के खंड (ix) में दी गई वाणिज्यिक प्रचालन की परिभाषा को बदला जाना अपेक्षित है । यह भी विनिर्दिष्ट करना आवश्यक है कि आंशिक रूप से कमीशंड हाइड्रो-इलैक्ट्रिक उत्पादन केन्द्र के लिए टैरिफ कैसे अवधारित किया जाए ।

अतः, मुख्य तीन मुद्दे, जिन पर आवश्यक रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, निम्नानुसार हैः -

(i) हाइड्रोलॉजिकल जोखिम तथा लाभ की साम्यपूर्ण हिस्सेदारी;

(ii) पीकिंग सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन बढ़ाना; तथा

(iii) उस परिस्थिति से निपटना, जहां वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ हो जाता है परंतु डाम केवल आंशिक रूप से ही संनिर्मित होता है और/या जलाशय आंशिक रूप से भरा होता है तथा एमसीआर या संस्थापित क्षमता का संप्रदर्शन नहीं किया जा सकता ।

प्रस्तावित संशोधन

उपरोक्त वर्णित समस्याएं निर्बाध रूप से उद्भूत होती है तथा 31.03.2009 तक जारी वर्तमान टैरिफ अवधि के बहाने उपचारात्मक उपायों को आस्थिगत नहीं किया जा सकता। अतः, 1.4.2008 से वर्तमान विनियम, जिसकी चर्चा पूर्वी पैराओं में की गई है, हाइड्रो टैरिफ की बाबत संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है ।

उत्पादन केंद्र की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को सफलतापूर्वक परीक्षण पर चलाकर अधिकतम निरंतर रेटिंग या संस्थापित क्षमता के प्रदर्शन से जोड़ा जाता है। अतः, अब स्थिर प्रचालन (सफलतापूर्वक कमीशनिंग तथा परीक्षण प्रचालन के पश्चात्) के प्रक्रम में पहुंचने वाले उत्पादन यूनिट जोड़े जाने का प्रस्ताव किया

जाता है। जिसमें इसे विनियम 45 के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित आधार पर प्रचालित किया जा सकता है। अतः, विनियम 31 के खंड (ix) में विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की परिभाषा को निम्नानुसार संशोधित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

> "(ix) उत्पादन यूनिट के संबंध में, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख या सीओडी से उत्पादन कंपनी द्वारा घोषित वह तारीख अभिप्रेत है जिस तारीख से, फायदाग्राहियों को नोटिस देने के पश्चात् इन विनियमों के विनियम 45 के अनुसार अनुसूचीकरण प्रक्रिया पूरी तरह लागू हो जाएगी तथा क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार अनुसूचित अंतर-विनियम के लिए समायोजन के साथ संदेय होंगे तथा उत्पादन केंद्र के संबंध में, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से उत्पादन की संस्थापित क्षमता की तत्स्थानी व्यस्तम सामर्थ्य को प्रदर्शित करने या फायदाग्राहियों को नोटिस देने के पश्चात् सफलतापूर्वक परीक्षण पर चलाकर ऐसी निम्नतर क्षमता, जो आयोग द्वारा अनुमोदित की जाए, के पश्चात् उत्पादन कंपनी द्वारा घोषित तारीख अभिप्रेत है।''

हाइड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादन केंद्र के वार्षिक नियत प्रभारों को विनियम 37 के खंड (ii) में सूचीबद्ध 5 संघटकों तथा विनियम 38 में यथा विस्तृत को जोड़ कर निकाला जाता है। इनमें कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं किया जाता है। क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार संघटकों के बीच वार्षिक नियत प्रभारों के द्विशाखन को उस क्षमता, जिस पर क्षमता प्रभार शून्य हो सकेगा, पर निर्भर करते हुए, प्रारंभिक ऊर्जा दर से जोड़ा जाता है। निम्न तथा शून्य क्षमता प्रभार का यह अर्थ है कि उत्पादन कंपनी को पीकिंग सहायता प्रदान करने के लिए एक छोटा सा प्रोत्साहन है । ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए संबंधित उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव तथा कारण पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए, जब तक अन्यथा समुचित मामलों में आयोग द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, वार्षिक नियत प्रभार को 50:50 के अनुपात में मानकीय वार्षिक क्षमता प्रभार तथा मानकीय वार्षिक ऊर्जा प्रभार के रूप में द्विशाखित करने का प्रस्ताव किया गया। इसका उद्देश्य दो संघटकों के बीच समानता बनाए रखना था जिससे कि प्रत्येक हाइड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादन केंद्र को क्षमता प्रभार शीर्ष के अधीन एक बहुत बड़ा राजस्व मिल सके तथा जिसके द्वारा अधिकतम पीकिंग सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके ।

'क्षमता इंडेक्स' की संकल्पना को पीकिंग क्षमता की संकल्पना से बदलने का प्रस्ताव किया गया तथा क्षमता प्रकार के संदाय को दिन-प्रतिदिन आधार पर उत्पादन केंद्र द्वारा प्रदान की गई पीकिंग सहायता से प्रत्यक्षतः जोड़ने का प्रस्ताव किया गया। प्रतिदिन प्रति मेगावाट रुपए में क्षमता प्रकार की दर को प्रत्येक उत्पादन केंद्र के लिए उनकी प्रत्याशित औसत पीकिंग क्षमता से व्युत्पन्न उनके एनएसीटी तथा मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के आधार पर विनिर्दिष्ट होगी। यह प्रस्ताव किया गया कि "प्रोत्साहन" का कोई पृथक् क्षमता - इंडेक्स लिंक्ड तत्व नहीं होगा जो इस समय विनियम 40 में उपबंधित है ।

मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक उस उपलब्धि पर औसत संयंत्र उपलब्धता स्तर को बताएंगे जिसकी उत्पादन कंपनी मानकीय वार्षिक क्षमता प्रकार (एनएसीसी) के बराबर क्षमता प्रकार संदत्त करेगी। एनएपीएएफ को निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किए जाने का प्रस्ताव है :–

"(1) मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ)

(क) भंडारण आकार के उत्पादन केंद्र तथा तालाब सहित नदी से चलने वाले उत्पादन केंद्र –

(i) वाणिज्यिक प्रचालन के पहले वर्ष के दौरान - 75%

(ii) वाणिज्यिक प्रचालन के पहले वर्ष के दौरान - 80%

टिप्पण : *आयोग समुचित मामलों में, तथा उसके समर्थन में कारण अभिलिखित करने के पश्चात् उत्पादन केंद्र के लिए विभिन्न मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक विनिर्दिष्ट कर सकेगा।*

(ख) पूर्णतः नदी से चलने वाले उत्पादन केंद्र :

हाइड्रोलॉजी पर निर्भर करते हुए, आयोग द्वारा संयंत्र-वार विनिर्दिष्ट किया जाना है ।

इन विनियमों के अधीन अवधारित मानकीय वार्षिक नियत प्रभारों को 50 : 50 के अनुपात में क्रमशः क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार के रूप में काल्पनिक वसूली के लिए दो भागों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात् मानकीय वार्षिक क्षमता प्रभार (एनएसीसी) तथा मानकीय वार्षिक ऊर्जा प्रभार (एनएईसी) :

परंतु यह और कि आयोग समुचित मामलों में तथा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए मानकीय वार्षिक नियत प्रभारों

के द्विशाखन के लिए विभिन्न अनुपात को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।"

"दिन के लिए उत्पादन कंपनी को संदेय क्षमता प्रभार निम्नलिखित होगा :–

उस दिन के लिए मेगावाट में क्षमता प्रभार दर x घोषित क्षमता (x 0.88)

जहां क्षमता प्रभार दर (प्रतिदिन प्रति मेगावाट रुपए में) = एनएसीसी मेगावाट में मानकीय बिक्री योग्य क्षमता x एनएपीएएफ x 365),

दिन के लिए उत्पादन कंपनी को संदेय ऊर्जा प्रभार निम्नलिखित होगा :–

उस दिन के लिए मेगावाट घंटें में ऊर्जा प्रभार दर x अनुसूचित ऊर्जा, (x 0.88) जहां ऊर्जा प्रभार दर (प्रति मेगावाट घंटे रुपए में) = एनएईसी/मेगावाट में मानकीय बिक्री योग्य ऊर्जा"

वर्तमान टैरिफ विनियम उत्पादन कंपनी को उनके नियंत्रण से परे कारणों जैसे पारेषण लाइट की अनउपलब्धता तथा बंद करने के अनुदेश के कारण गिरावट के मद्दे राजस्व की हानि से संबंधित "समझा गया उत्पादन" के लिए उपबंध करती है । जोखिम के और अधिक साम्यापूर्ण हिस्सेदारी के नए प्रस्ताव तथा उत्पादन कंपनी और फायदाग्राहियों के बीच लाभ की दृष्टि से, विनियम में इस समय विनिदिष्ट "समझा गया उत्पादन" के उपबंध को हटाने का प्रस्ताव किया गया तथा उसके स्थान पर संपूर्ण रूप से उत्पादन केंद्र के वाणिज्यिक प्रचालन की उपलब्धि के पूर्व क्षमता प्रभार दर तथा ऊर्जा प्रभार दर को विनिर्दिष्ट करने हेतु निम्नलिखित उपबंध किया गया ।

आयोग ने, 1.4.2008 से उपरोक्त संशोधन को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव किया। तथापि, सभी हाइड्रो उत्पादन कंपनियों ने इसे 1.4.2009 से 2009-14 की अवधि के लिए नए विनियमों के प्रारंभ की दृष्टि से एक वर्ष के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया। आयोग ने प्रस्तावित संशोधन को आस्थगित करने का विनिश्चय किया।

एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लि. ने, एमपीएसईवी को रिहन्द तथा माटाटीला हाइडेल पावर स्टेशनों से ऊर्जा/प्रदाय न किए जाने के एमपी के हिस्से के प्रतिधारण के कारण एमपीटीआर एडीईसीओ को प्रतिकर रकम के संदाय के लिए यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड को निदेश देने तथा रिहन्द और माताटीला हाइडेल पावर स्टेशनों से ऊर्जा में एमपी की हिस्सेदारी के पुनरारंभ के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 के अधीन याचिका फाइल की।

आवेदक विद्युत के क्रय तथा थोक प्रदाय से संबंधित मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के

राज्य सरकार से संबंधित करारों तथा व्यवस्थाओं के साथ कृत्यों, संपत्तियों, हित, अधिकार तथा बाध्यताओं के अंतरण तथा निहित को विनियमित और तारीख 3.6.2006 की मध्य प्रदेश सरकार अधिसूचना के अनुसार एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा उसके पुनः निहित करने वाली एक कंपनी है ।

याचिकाकर्ता एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी ने याचिका में निम्नलिखित निवेदन किया :

(क) रिहन्द हाइडेल, पावर स्टेशन जिसकी कुल संस्थापित क्षमता 300 मेगावाट है, वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष 1962 से हुआ तथा माटाटिला हाइडेल पावर स्टेशन जिसकी कुल संस्थापित क्षमता 30 मेगावाट की है, का वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष 1965 से हुआ। दोनों हाइडेल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं। मध्य प्रदेश को दोनों परियोजनाओं से ऊर्जा का आबंटन, रिहन्द परियोजना की बाबत रिवा जिले के अंतर्गत और माटाटीला परियोजना की बाबत दतिया जिले (एमपी) भूमि, पेड़, जंगल, घर आदि को इन हाइडेल परियोजनाओं के संनिर्माण पर जलमग्न कर दिया गया था।

(ख) भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय परिषद् की तारीख 2.7.1963 को हुई बैठक में यह विनिश्चय किया गया कि एमपीएसईबी के पास रिहन्द पावर स्टेशन पर उपलब्ध ऊर्जा के आधार पर 15% अंश होगा। यूपीएसईबी द्वारा ऊर्जा का प्रदाय लागत कीमत + 5% पर किया जाएगा जिसे तत्पश्चात् समिति द्वारा तय किया जाएगा। इसी प्रकार, माटाटीला एचपीएस, एमपी से ऊर्जा का एक तिहाई प्रदाय किया जाएगा जैसा कि लागत कीमत + 5% पर उपलब्ध ऊर्जा के आधार पर उसका अंश समिति द्वारा तय किया जाएगा।

(ग) अध्यक्ष के रूप में श्री एम.आर. सचदेवा की अध्यक्षता वाली समिति, प्रतिकर के बदले रिहन्द तथा माताटीला के मध्य प्रदेश की बाबत ऊर्जा की लागत कीमत तय करने के लिए जुलाई, 1963 में अध्यक्ष सीडब्ल्यू तथा पीसी गठित की गई थी ।

दो राज्यों के प्रतिनिधियों की सुनवाई के पश्चात्, तारीख 19.09.1964 को हुई बैठक में समिति ने निम्नानुसार दरों को नियत करने का विनिश्चय किया :–

मध्य प्रदेश को रिहन्द स्टेशन से ऊर्जा का प्रदाय

क्षेत्रीय परिषद के विनिश्चय के अनुसार वर्ष के दौरान बिक्री योग्य ऊर्जा के 15% की सीमा तक 3.5 पैसे/केडब्ल्यूएच (उत्पादन की लागत प्लस 5%) की दर पर ऊर्जा का प्रदाय किया जाएगा । अधिरोपित किए जा रहे अनिवार्य शुद्ध जोखिम बीमा की दशा में अधिभार आवश्यक पाए

जाने पर किसी भी समय वास्तविक के आधार पर अतिरिक्त रूप से भारित किया जाएगा । मध्य प्रदेश को ऊर्जा का प्रदाय राज्य सीमा तक किया जाना है तथा मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को 1.5 लाख रुपए की रकम का वार्षिक प्रभार वहन करना होगा जिसमें ब्याज, अवक्षयण, रिहन्द पावर स्टेशन से मध्य प्रदेश सीमा तक पारेषणलाइनों का प्रचालन तथा रखरखाव भी सम्मिलित है। यह बात यूपी तथा एमपी विद्युत बोर्डों के प्रतिनिधियों को स्वीकार्य थी ।

माटाटीला पावर स्टेशन से मध्य प्रदेश को ऊर्जा का प्रदाय

क्षेत्रीय परिषद् के विनिश्चय के अनुसार वर्ष के दौरान उपलब्ध बिक्री योग्य ऊर्जा के 33% की सीमा तक 65 पैसे/केडब्ल्यूएच (फर्म तथा गौण उपलब्ध ऊर्जा दोनों के उत्पादन के औसत लागत) की औसत दर पर ऊर्जा का प्रदाय किया जाएगा। किसी अनिवार्य कुछ जोखिम, अधिरोपित किए जा रहे बीमा की दशा में अधिकार, यदि आवश्यक पाया जाए, वास्तविक आधार पर इसके अतिरिक्त प्रभारित किया जाएगा। रिहन्द तथा माताटीला की दशा में उपरोक्त दरें दस वर्ष के पश्चात् पुनर्विलोकन के अधीन रहते हुए क्षेत्रीय परिषद् की बैठक के अनुसार होगी।

यद्यपि, माटाटीला एचपीएस से एमपी के अंश में से यूपीएसईबी द्वारा अधिक या कम ऊर्जा का प्रदाय किया गया था किंतु नवंबर, 1992 से आगे रिहन्द एचपीएच से कोई प्रदाय नहीं किया गया था । अक्तूबर 1992 तक, 3510.61 एमयू के एमपी के अंश में रिहन्द से 626.84 एमयू का ही ऊर्जा प्रदाय किया गया था । इसी प्रकार, सितंबर, 1992 तक मा-ताटीला एचपीएस से, यूपीएसईबी ने 977.72 एमयू के एक तिहाई में से 763.28 एमयूएस का प्रदाय किया गया था।

नवंबर, 1992 से 2005-2006 तक यूपीएसई ने रिहन्द एचपीएस से 1752.93 (अर्थात् प्रदाय ऊर्जा का 15%) के एमपीएसवी के अंश में से कोई भी ऊर्जा का प्रदाय नहीं किया जब कि माटाटीला एचपीएस से 322.64 एमयू ऊर्जा का प्रदाय यूपीएसईबी द्वारा 593.66 एमयू के एमपी के अंश का प्रदाय किया गया था।

1992-63 से 2005-06 से अर्थात् 44 वर्षों की अवधि के दौरान, एमपीएसईबी को रिहन्द एचपीएस से 5263.55 एमयू के कुल अंश में से 626.84 एमयू (अर्थात् कुछ शेयर का 12%) के मिगर ऊर्जा प्रदाय प्राप्त हुआ । इसी प्रकार, माटाटीला से 1571.38 एमयू के शेयर में से 1285.93 एमयू (कुल शेयर का 82%) ऊर्जा का प्रदाय किया गया था ।

रिहन्द तथा माताटीला एचपीएस यूपीपीसीएल द्वारा एमपीएसईबी द्वारा ऊर्जा के कम प्रदाय के कारण तथा नवंबर, 1992 से रिहन्द एचपीएस से उसे जारी न रखने के कारण अक्तूबर, 1992 तक एमपी के ऊर्जा शेयर के प्रतिधारण के मद्दे यूपीपीसीएल के पास 20.09 करोड़ रुपए की रकम बकाया थी। रिहन्द तथा माताटीला एचपीएस से एमपी के अंश के प्रतिधारण के लिए यूपीपीसीएल के विरद्ध प्रतिकर रकम को हाइड्रोलाजिकल वर्ष 2005-06 तक 365.70 करोड़ रुपए की रकम को संचयित किया गया।

(घ) लखनऊ में हुई यूपी, यूपीपीसीएल, यूपी जेवीएनएल तथा एमपी ट्रेडको के बीच तारीख 8/9 सितंबर, 2005 को हुई बैठक में यूपीपीसीएल ने प्रवर्ग-वार यह माना कि रिहन्द से एमपी का ऊर्जा प्रदाय का अंश 15.10.2005 तक आरंभ हो जाना चाहिए । यह भी आश्वासन दिया गया कि यूपीपीसीएल संचित बकाया रकम को चुकाने के लिए रिहन्द से 15% अधिक ऊर्जा का प्रदाय करेगा। बकाया रकम के लिए यूपीपीसीएल तीन मास के भीतर रकम का हिसाब-किताब लगाने के पश्चात् संदाय करने के लिए सहमत था ।

उपरोक्त आश्वासन के बावजूद, यूपीपीसीएल ने रिहन्द एचपीएस से न तो एमपी के ऊर्जा अंश का प्रदाय किया और न ही कोई संदाय किया ।

(ङ) लखनऊ में यूपीपीसीएल, यूपी जेवीएनएल तथा एमपी ट्रेडको के बीच तारीख 7/8 जून, 2007 को हुई बैठक :-

यह बैठक 8/9 सितंबर, 2005 को हुई। बैठक किए गए विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए बुलाई गई थी । रिहन्द एचपीएस ऊर्जा का प्रदाय करने तथा प्रतिकर रकम का संदाय करने का यूपीपीसलएल का आश्वासन देने के बावजूद उस तारीख के संबंध में यूपीपीसीएल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

याचिकाकर्ता ने निवेदन किया कि राज्यपाल/ऊर्जा मंत्री के स्तर पर लिए गए विनिश्चय के बावजूद, यूपीपीसीएल ने न तो रिहन्द तथा माटाटीला एचपीएस से एमपी के पूर्ण अंश का प्रदाय किया तथा न ही ऊर्जा को प्रतिधारित करने के कारण कोई प्रतिकर दिया । यूपीपीसीएल ने 1994-95 से 1999-2000 की अवधि के दौरान 21.25 करोड़ रुपए की मिगर राशि का ही संदाय किया। तत्पश्चात्, आज तक एमपीएसईबी को कोई संदाय नहीं किया गया

याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया कि हर संभव प्रयास करने के बावजूद, अर्थात् पत्राचार, बैठकें, मुख्यमंत्री स्तर तक मामलों को उठाना केंद्रीय जोनल परिषद की बैठक से कोई परिणामिक हल नहीं निकला तथा ऐसी

परिस्थितियों में, मामले में हस्तक्षेप तथा प्रत्यर्थी के समुचित निर्देश देने के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष यह याचिका फाइल करने के सिवाय एमपीएसईवी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था ।

आयोग ने, तारीख 27 फरवरी, 2008 के आदेश में निम्नलिखित निर्देश दिया :-

उपरोक्त विचार-विमर्श के आधार पर, हम यह निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य तय अनुपात में मध्य प्रदेश राज्य को ऊर्जा स्टेशनों से ऊर्जा का प्रदाय करने के लिए बाध्य है ।

(ख) यथापूर्वोक्त ऊर्जा के प्रदाय में विद्युत में अंतर-राज्यिक पारेषण अंतर्वलित है ।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने यह तर्क दिया कि मामला अभी भी सिविल न्यायालय के पास है। हम किसी भी प्रकार की बहस नहीं कर रहे हैं। एक बार यह सुस्थापित हो जाए कि आयोग के पास विवाद को न्यायनिर्णीत करने की शक्ति है, तो सिविल कार्यवाही के लिए पक्षकारों को रखना अपर्याप्त होगा चूंकि इसे आयोग द्वारा कानूनी कृत्यों का परित्याग माना जाएगा। ऐसा ही दृष्टिकोण, आयोग ने याचिका सं. 9/2003 में तारीख 18.10.2007 के अपने आदेश में अपनाया था, जो निम्नानुसार है :-

यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने संयुक्त स्वामित्वाधीन राजघाट पावर स्टेशन से ऊर्जा के अंश के मुद्दे को अप्रत्यक्षतः उठाया था। आयोग ने उक्त आदेश में यह कहा कि इन कार्यवाहियां का इस विवाद से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इस विवाद पर कोई कार्यवाही करने का कोई आधार नहीं है। तथापि, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड विधि के अनुसार अपने किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए कार्यवाहियां आरंभ कर सकेगी ।

आयोग ने उक्त आदेश में यह कहा कि इस मामले में विवाद खंड 79(1) में यथाविहित विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण के विनियमन से जुड़ा मामला है तथा किसी ऐसे विवाद का न्यायनिर्णयन, जो उपरोक्त से संबंधित है, अधिनियम की धारा 79(1)(च) के अधीन इस आयोग की अधिकारिता के भीतर है, आयोग ने आदेश के पैरा 21 में निम्नलिखित और निर्देश दिया :-

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंतरण स्कीम के अधीन, यूपी जेवीएनएल को रिहन्द एचपीएस तथा माटाटीला एचपीएस में मध्य प्रदेश राज्य को ऊर्जा के प्रदाय की वचनबद्धता का सम्मान करने के पश्चात् दूसरे प्रत्यर्थी को विद्युत का प्रदाय करना है । तथापि, दूसरे प्रत्यर्थी के साथ उसके द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में यह स्पष्ट है कि पावर

स्टेशन द्वारा उत्पादित संपूर्ण ऊर्जा का प्रदाय दूसरे प्रत्यर्थी को किया जाएगा । तीसरा प्रत्यर्थी दोनों के बीच हस्ताक्षरित तारीख 18.02.2000 के समझौता ज्ञापन के खंड के 2.01 पर आश्वस्त है। जो नीचे उद्धृत है :-

आयोग ने याचिकाकर्ता और यूपीपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड को अनुसूचीकरण प्रक्रिया को विरचित करने के लिए एनआरएलडीसी तथा डब्ल्यूआरएलडीसी के साथ तत्काल विचार-विमर्श करने तथा 1.4.2008 तक ऊर्जा प्रदाय बहाल करने का निदेश दिया । यदि किसी भी पक्षकार द्वारा उपरोक्त मामले में किसी भी प्रकार की कठिनाई को 14.03.2008 तक आयोग की जानकारी में लाया जा सकेगा । अतः, रिहन्द तथा माटाटीला पावर स्टेशनों से प्रदाय के अंश का तत्काल प्रदाय करने वाला मामला निपटा दिया गया तथा विगत में ऊर्जा के अप्रदाय के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिकर के प्रश्न पर अभी विचार किया जाना है।

विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार

आयोग ने तारीख 3.1.2004 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापारिक अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम 2004 को अधिसूचित किया था जिसे तारीख 3.4.2006 द्वारा संशोधित किया गया । 31 मार्च, 2007 को, आयोग ने विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार करने के लिए 28 कंपनियों को व्यापार अनुज्ञप्तियां प्रदान की है, जिनमें से 13 व्यापार अनुज्ञप्तियां, 2004-05 के दौरान प्रदान की गई, वर्ष 2005-06 के दौरान 6 अनुज्ञप्तियां दी गई तथा 2006-07 के दौरान 3 अनुज्ञप्तियां प्रदान की गई । उसके पश्चात् वर्ष 2004-05 के दौरान 6 अनुज्ञप्तियां, 2006-07 के दौरान 3 अनुज्ञप्तियां तथा 6 अनुज्ञप्तियां वर्ष 2007-08 के दौरान प्रदान की गई। वर्ष 2007-08 के दौरान प्रदान की गई अनुज्ञप्तियां निम्नानुसार सारणी में है :-

सारणी - 1 वर्ष 2007-08 के दौरान जारी व्यापार अनुज्ञप्ति

क्रम सं.	व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम	अनुज्ञप्ति जारी करने की तारीख	अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग
1.	वीसा पावर लिमिटेड	28.06.2007	ख
2.	कल्याणी पावर डिवेलपमेंट प्राइवेट लि.	21.08.2007	च
3.	पटनी प्रोजेक्ट प्राइवेट लि.	23.08.2007	च
4.	इस्पात एनर्जी लिमिटेड	28.08.2007	च
5.	श्री बालाजी बायोमास पावर (प्रा.) लिमिटेड	22.01.2008	क
6.	बंदना ग्लोबल लिमिटेड	20.02.2008	ग

2. कुल अनुज्ञप्ति में से, दो अनुज्ञप्तियों को अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा (जीएमआर एनर्जी लि. तथा जिंदल स्टील तथा पावर लि॰ की अनुज्ञप्ति क्रमशः तारीख 26.10.2006 तथा 12.02.2008 को रद्द की गई) स्वेच्छया से अनुज्ञप्ति को अभ्यर्पित करने के पश्चात् रद्द किया गया ।

3. 31.03.2008 तक आठ अनुज्ञप्तिधारियों ने अनुज्ञप्ति के प्रवर्ग में परिवर्तन के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जिनमें से दो अनुज्ञप्तिधारियों ने 2007-08 के दौरान अनुमोदन प्राप्त किया । एस्सार इलैक्ट्रिक पावर डिवेलपमेंट कारपोरेशन जिसने अपने प्रवर्ग को 'ग' से बदल-कर 'च' किया तथा पुनः प्रवर्ग 'ग' किया । पटनी प्रोजेक्ट (प्रा.) लिमिटेड ने अपना कारबार बढ़ाने के आशय से प्रवर्ग 'ग' को बदलकर 'च' किया ।

4. **व्यापार की गई विद्युत की मात्रा :** वर्ष 2007-08 के दौरान 12 अनुज्ञप्तियों ने विद्युत में व्यापार किया तथा उन्होंने कुल 20964.77 एमयू का व्यापार किया । अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार की गई विद्युत की मात्रा का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :-

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार की गई विद्युत की मात्रा					
क्रम सं.	अनुज्ञप्तिधारी का नाम	2006-07		2007-08	
व्यापार की मात्रा (एमयू)		कुल मात्रा-की %	व्यापार की मात्रा (एमयू)	कुल मात्रा की %	
1.	पीटीसी इंडिया लि.	6575.41	43.77	9552.79	45.57
2.	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.	2662.98	17.73	3324.07	15.86
3.	अदानी इंटरप्राइजेस लि.	1844.66	12.28	1321.88	6.31
4.	टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी (प्रा.) लि.	1206.38	8.03	1681.95	8.02
5.	रिलायंस एनर्जी ट्रेडिंग (प्रा.) लि.	878.29	5.85	776.25	3.70
6.	सुभाष कबीनी पावर कारपोरेशन लि.	36.61	0.24	0.00	0.00
7.	लैंको इलैक्ट्रिक यूटिलिटी लि.	744.00	4.95	2600.02	12.40
8.	जेएसडब्ल्यू पावर ट्रेडिंग कंपनी लि.	967.94	6.44	1478.57	7.05
9.	करमचन्द्र थापर एंड ब्रदर्स लि.	106.47	0.71	108.29	0.52
10.	बिनर्जी इंटरनेशनल प्रा. लि.			59.52	0.28

11.	वीसा पावर लि.			15.56	0.28
12.	कल्याणी पावर डिवेलपमेंट (प्रा.) लि.			39.31	0.19
13.	पटनी प्रोजेक्ट प्रा. लि.			6.58	0.03
कुल		**15022.74**	**100.00**	**20964.77**	**100.00**

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार की गई विद्युत की मात्रा 2006-07 में 15022.74 एमयूएस से बढ़कर 2007-08 में 20964.77 एमयू ऊर्जा जो अवधि के दौरान 40% वृद्धि को दर्शित करता है । तथापि, भारत में कुल विद्युत उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में विद्युत की मात्रा 2006-07 में 2.41% तथा 2007-08 में 3.15% थी । अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार की गई विद्युत की मात्रा में वृद्धि को नीचे सारणी तथा चार्ट में देखा जा सकता है :-

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार की गई विद्युत की मात्रा में वृद्धि				
वर्ष	व्यापार की गई विद्युत की मात्रा (बीयूएस)	व्यापार की गई विद्युत की मात्रा में वृद्धि (%)	कुल विद्युत उत्पादन (बीयूएस)	कुल उत्पादन में व्यापार की विद्युत की मात्रा (%)
2004-05	11.85	-	548.12	2.16%
2005-06	14.19	20%	578.82	2.45%
2006-07	15.02	6%	624.50	2.41%
2007-08	20.96	40%	666.01	3.15%

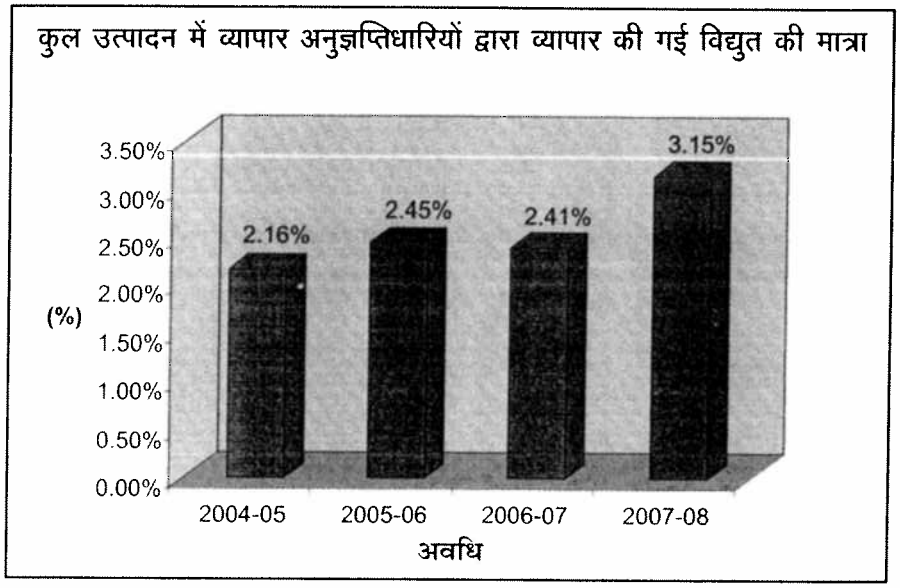

6. **व्यापार की गई विद्युत की कीमत :** वर्ष 2007-08 के दौरान कुछ संव्यवहार स्वैपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से किए गए तथा इन्हें संव्यवहारों में कीमत की जानकारी अंतर्विष्ट नहीं है (अर्थात् वर्ष के दौरान व्यापार की गई 20964.77 की कुल मात्रा का 3639.40 एमयू) अतः, कीमत का विश्लेषण स्वेपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से किए गए व्यापार की मात्रा को छोड़कर किया गया । भारित औसत विक्रय कीमत 2004-05 में 2.32रुपए/केडब्ल्यूएच से बढ़कर 2007-08 में 4.52 रु./केडब्ल्यूएच हो गई जिसे नीचे सारणी में देखा जा सकता है ।

भारित औसत कीमत तथा व्यापार मार्जिन			
वर्ष	भारित औसत क्रय कीमत (केडब्ल्यूएच)	भारित औसत विक्रय कीमत (केडब्ल्यूएच)	व्यापार मार्जिन (रुपए/केडब्ल्यूएच)
2004-05	2.26	2.32	0.06
2005-06	3.14	3.23	0.09
2006-07	4.47	4.51	0.04
2007-08	4.48	4.52	0.04

7. **व्यापार मार्जिन** 2004-05 के दौरान अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा 5 पैसे केडब्ल्यूएच या उससे कम का मार्जिन प्रभारित किया गया। तथापि, 2005-06 के दौरान अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रभारित भारित औसत व्यापार मार्जिन 10 पैसे/केडब्ल्यूएच (अप्रैल-सितंबर, 2005-06) हो गया था । इसको तथा अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने तारीख 26.01.2006 की अधिसूचना द्वारा 4 पैसे/केडब्ल्यूएच के व्यापार मार्जिन को नियत करने वाला केविविआ (व्यापार मार्जिन का नियतन) विनियम जारी किया। इस व्यापार मार्जिन विनियमों के परिणामस्वरूप, अनुज्ञप्तिधारियों ने आगामी वर्ष के दौरान 4 पैसा या उससे कम का व्यापार मार्जिन प्रभारित किया। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान प्रभारित भारित औसत व्यापार मार्जिन को सारणी 4 में दिया गया है ।

II. बोली मूल्यांकन तथा संदाय के प्रयोजन के लिए कोयला तथा गैस की मूल्य वृद्धि दर, डब्ल्यूपीआई तथा सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फिति दर, छूट दर तथा विनिमय फेरफार दर

वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऊर्जा की उपाप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ का अवधारण करने के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत संबंधी ऊर्जा मंत्रालय की तारीख 19.01.2005 की अधिसूचना तथा तारीख 30.03.2006 तथा 18.080.2006 से संशोधनों के अनुसार, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग से प्रत्येक मास में कोयला तथा गैस के

लिए मूल्य वृद्धि दर, डब्ल्यूपीआई तथा सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीती दर तथा बोली मूल्यांकन तथा संदाय प्रयोजन के लिए छूट दर तथा मुद्रा विनिमय फेरफार दर को अद्यतन करने तथा इन्हें अधिसूचित करने की अपेक्षा की जाती है। आयोग ने अप्रैल, 2007 से सितंबर, 2007 तक की अवधि के लिए लागू तारीख 4.4.2007 की अधिसूचना, अक्तूबर, 2007 से मार्च, 2008 की अवधि के लिए लागू तारीख 24.09.2007 की अधिसूचना तथा अप्रैल, 2008 से सितंबर, 2008 की अवधि के लिए लागू तारीख 31.03.2008 की अधिसूचना द्वारा इन दरों को अधिसूचित किया।

उपभोक्ताओं के फायदे तथा ऊर्जा क्षेत्र के विकास के संदर्भ में विनियामक प्रक्रिया के निष्कर्ष

विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन टैरिफ विनियम

विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात् आयोग ने 2004 से 2009 तक की अवधि के लिए मार्च, 2004 में टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों को अधिसूचित किया ।

केंद्रीय उत्पादन केंद्रों तथा पारेषण प्रणालियों का टैरिफ संपरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित वास्तविक पूंजी व्यय के आधार पर अवधारित किया जाना है । नई परियोजनाओं की दशा में, उपगत तथा संदत्त वास्तविक व्यय पर ही सकल ब्याज, जिसमें असंदत्त दायित्व भी सम्मिलित हैं, के बजाय टैरिफ के नियतन के लिए विचार किया जाता है ।

उपरोक्त विनियम परियोजना के निष्पादन के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उपबंध करता है, अर्थात् संविदा पैकेज के ब्यौरे, निष्पादन की रीति, अर्थात् प्रतिस्पर्धा बोली/निक्षिप्त संकर्म/बातचीत, बोलीकर्ताओं की संख्या, कार्य की लागत चाहे फर्म हो या मूल्य वृद्धि के साथ हो तथा पूरा होने पर उपगत वास्तविक लागत आदि। आयोग पसंविदागत ऐसे पैकेजों का गहनता से समीक्षा करता है जहां पर्याप्त प्रतिस्पर्धा की कमी है।

यह देखा गया है कि परियोजना के पूरा होने की वास्तविक पूंजी लागत हाल ही में निष्पादित निम्नलिखित परियोजनाओं की दशा में मूल प्राक्कलन/ भारत सरकार अनुमोदन से कम रही है :

स्टेशन का नाम/क्षमता (मेगावाट)	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	प्राक्कलित पूर्ण की गई लागत	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को स्वीकृत पूंजी लागत
सिम्हाद्री एसटीपीएस	1.3.2003	3796.88	3243.58
रामागुडंम स्टेज-III (500 मेगावाट)	25.03.2005	1658.00	1313.56
तलचर स्टेज-II (2000 मेगावाट)	1.8.2005	5697.57	4375.28
रिहन्द स्टेज-II (1000 मेगावाट)	1.4.2006	3006.00	2646.74

प्राइवेट सेक्टर परियोजनाओं की पूंजी लागत का सैद्धांतिक अनुमोदन

आयोग ने निम्नलिखित प्राइवेट सेक्टर ऊर्ज परियोजनाओं का सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है :

- आयातित कोयले पर आधारित मैंगलौर स्थित नागार्जुन थर्मल पावर परियोजना (1015 मेगावाट) के लिए 4299.82 करोड़ रुपए की पूंजी लागत जिसे निष्पादित किया जा रहा है तथा इसके 2008-09 तक कमीशन होने की संभावना है। इस परियोजना की पूंजी लागत एफजीडी, जेट्टी आदि जैसे स्थल विनिर्दिष्ट विशेषताओं के लिए उपयुक्त समायोजन करने के पश्चात् 2003-04 में कमीशंड सिम्हाद्री एसटीपीएस की पूंजी लागत के साथ तुलना योग्य है।

- दो गैस आधारित परियोजनाओं अर्थात् टोरेंट पावर लि. द्वारा जन संमिश्रित साइकल पावर परियोजना (1128 मेगावाट) तथा गुजरात में एस्सार पावर लिमिटेड द्वारा हजीरा संयुक्त साइकल पावर परियोजना (1500 मेगावाट)।

- सूक्ष्म परियोजना की पूंजी लागत 2.77 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट तथा एस्सार पावर की 2.60 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट तय की गई है।

- पिछले 19वी सदी में गैस आधारित परियोजना की पूंजी लागत अन्य आईपीपी परियोजनाओं से बहुत कम है जो 3.85 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट के क्रय में थी । पूंजी लागत में यह कटौती बाजार स्थिति में परिवर्तन तथा प्रतिस्पर्धा बोली पैकेजों के माध्यम से परियोजना के निष्पादन के कारण हुई।

- **परियोजना के निष्पादन में प्रतिस्पर्धा के फायदे तथा विनियामक ओवरसाइट का फायदा फायदाग्राहियों को दिया जा रहा है। विनियामक ओवरसाइट तथा जवाबदेही ने अब तक कीमत पर नियंत्रण रखा है।**

अधिनियम, 2003 की धारा 63 केविविआ द्वारा टैरिफ को स्वीकार करने के लिए उपबंध करती है यदि यह भारत सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रतिस्पर्धा बोली की प्रक्रिया के माध्यम से अवधारित किया जाता है।

केविवाआ ने प्रतिस्पर्धा बोली मार्गदर्शक सिद्धांतों को अंतिम रूप देते हुए तथा जनवरी, 2005 में अपनी अधिसूचना तथा पश्चात्वर्ती संशोधनों से समय-समय पर सक्रिय भूमिका अदा की है तथा ऊर्जा मंत्रालय को सलाह दी है। प्रतिस्पर्धा बोली मार्गदर्शक सिद्धांत के आधार पर तय किऐ गए समकक्ष स्तरीय टैरिफ ने एक व्यापक रुझान पैदा किया है जिसे निम्नलिखित मामलों में देखा जा सकता है :-

i) कैप्टिव माइन कोयला पर आधारित सासन यूएमपीपी : 1.19 रुपए/केडब्ल्यूएच

ii) आयतित कोयले के आधार पर मुंद्रा यूएमपीपी : 2.26 रुपए/केडब्ल्यूएच

iii) आयातित कोयले के आधार पर कृष्णपट्ट नम यूएमपीपी : 2.33 रुपए/केडब्ल्यूएच

प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से प्रस्तावित कृष्णापट्नम के लिए टैरिफ को स्वीकार करने वाली याचिका आयोग के विचाराधीन है ।

वास्तविक टैरिफ केविविआ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अभिवृद्धि दर के आधार पर होगी।

उपभोक्ता को फायदा देने में केविविआ की भूमिका

केविविआ की पहल के कारण उपभोक्ताओं को काफी फायदा हुआ है तथा केविविआ के विनियमों के माध्यम से उपयोगिताओं के प्रचालन में दक्षता आई है।

उपभोक्ताओं के परिप्रेक्ष्य से, विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन उपभोक्ताओं को फायदा देने के दो उद्देश्य है अर्थात् युक्तियुक्त रूप से अवधारित विनियमित टैरिफ के माध्यम से तथा विद्युत प्रदाय उद्योग के विभिन्न खंडों में प्रतिस्पर्धा लाकर प्रदाय की लागत में कमी करके।

केंद्रीय आयोग ने अधिनियम के आशय तथा उपरोक्त दोनों बातों को क्रियान्वित करने में सक्रिय भूमिका निभाई है ।

केंद्रीय विविआ के निम्नलिखित विनियमों ने वर्ष 2004-09 की अवधि के लिए नए निबंधन तथा शर्तों के अधीन केंद्रीय उत्पादन केन्द्रों के थोक विद्युत टैरिफ में संभावित कमी की है :-

(i) *रिटर्न आन ईक्विटी (आरओई) में कटौती*

2004-09 तक की टैरिफ अवधि के लिए 16% से 14% तक की आर ओ ई में कटौती करने से टैरिफ के नियत संघटकों में कमी आई है।

(ii) *नए निवेश के लिए 70:30 के ऋण ईक्विटी अनुपात को स्वीकार किया जाना*

केंद्रीय उत्पादन कंपनियों की विद्यमान परियोजनाओं के पूंजी निवेश में 50:50 के लिए ऋण ईक्विटी अनुपात की व्यवस्था की जा रही थी। नए निबंधन और शर्तें यह उपबंध करते हैं कि 1.4.2004 को या उसके पश्चात् 70:30 के अनुपात में व्यवस्था की जाएगी तथा यदि लगाई गई ईक्विटी 30% से कम है तो टैरिफ के प्रयोजन के लिए वास्तविक ईक्विटी पर विचार किया जाना है । चूंकि ईक्विटी ऋण के बजाय उच्चतर रिटर्न लाती है इसलिए ईक्विटी संघटक में कटौती करने से केंद्रीय उत्पादन केंद्रों के उत्पादन की लागत में कटौती होगी ।

(iii) *अवक्षयण का सुव्यवस्थीकरण*

भारत सरकार द्वारा थर्मल उत्पादन केंद्रों को अनुज्ञात 7.5% के अवक्षयण की बढ़ाई हुई दर को इससे अलग किया गया है ।

यह एसईबी/डिस्काम की विद्युत की टैरिफ के फ्रंट लोडिंग तथा कीमतों में कमी करने की दृष्टि से किया गया था।

(vi) *कार्य-निष्पादन के उच्चतर बैंचमार्क*

अर्थव्यवस्था को सफल बनाने और कार्य-निष्पादन की दक्षता में सुधार लाने तथा थोक टैरिफ में कमी लाने की दृष्टि से, कोयला/लिग्नाइट/गैस आधारित स्टेशनों के लिए हीट रेट, गौण ईंधन तेल खपत और सहायक ऊर्जा खपत के सन्नियमों को पुनरीक्षित किया गया है।

टांडा टीपीएस (4 X 110 मेगावाट), एनटीपीसी द्वारा इसमें अर्जन के पश्चात्, तलचर टीपीएस (460 मेगावाट), बदरपुर टीपीएस (705 मेगावाट) के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप, आयोग ने कार्यपालन तथा प्रचालन के संनियमों को जटिल बना दिया। **प्रचालन संनियमों को पुनरीक्षित करने से टैरिफ के परिवर्तनीय प्रभार संघटक में संभावित कमी हुई है ।**

(v) *पारगमन में कोयले की हानि के लिए सन्नियम*

2004-09 की अवधि के लिए टैरिफ विनियमों में मास के दौरान कोयला प्रदाय कंपनी द्वारा प्रेषित कोयले की मात्रा की प्रतिशतता के रूप में निम्नलिखित मानकीय पारगमन और उठाई-धराई हानियों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(vi) *ओएण्डएम खर्चों के लिए सन्नियम*

2004-09 अवधि के लिए टैरिफ विनियमों में आयोग ने थर्मल उत्पादन केंद्रों के लिए अनुज्ञात किए जाने के लिए ओएंडएम खर्चों के मद्दे मानकीय प्रस्ताव को स्वीकार किया है । यह उत्पादन कंपनियों को अपने ओएण्डएम खर्चों को मितव्ययी बनाने तथा उत्पादन की लागत को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा ।

ऐसे ही संनिदय लिग्नाइट चालित थर्मल स्टेशनों तथा गैस टर्बाइन/संयुक्त साइकल उत्पादन केन्द्रों के लिए नियत किए गए हैं।

(vii) *लक्ष्य उपलब्धता/क्षमता सूचकांक*

2001-04 की अवधि के लिए थर्मल उत्पादन केंद्रों के लिए लक्ष्य उपलब्धता के सन्नियम 80% के रूप में और लिग्नाइट आधारित केंद्र टीपीएस-2 के लिए सन्नियम 72% थे। 2004-09 की अवधि के लिए थर्मल उत्पादन केंद्रों के लिए लक्ष्य उपलब्धता सन्नियम 80% के रूप में प्रतिधारित किए गए हैं । लिग्नाइट आधारित उत्पादन केंद्रों के सन्नियम में 75% तक की वृद्धि की गई है।

हाइड्रो केंद्रों की दशा में, नदी से चलने वाले हाइड्रो उत्पादन केंद्रों के लिए क्षमता इन्डेक्स

सन्नियमों को 85% से बढ़ाकर 90% कर दिया गया है। उपलब्धता सन्नियमों में वृद्धि करने से ऊर्जा प्रदाय की विश्वसनीयता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

(आ) सेक्टर के विकास में केविविआ की भूमिका

1. 2004-05 के लिए टैरिफ के नए निबंधनों और शर्तों में निम्नलिखित परिवर्तन सरल विनियमों, जिसमें प्रचालन की दक्षता के लिए एक लाभप्रद प्रणाली को सम्मिलित किया गया है, के माध्यम से ऊर्जा विकास के लिए निवेशक सहायक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण का उपबंध किया गया है:

(क) कार्यकरण पूंजी पर मानकीय ब्याज

2001-04 की अवधि के पुराने निबंधन और शर्तें ईंधन स्टाक, ईंधन खपत, आदि के सन्नियमों पर आधारित कार्यकरण पूंजी पर ब्याज की संगणना के लिए उपबंध करती है और वास्तविक के अधीन रहते हुए थे । तथापि, 2004-09 की अवधि के नए निबंधन और शर्तों के अधीन वास्तविक से किसी निर्देश को हटा दिया गया है तथा कार्यकरण पूंजी पर ब्याज को मानकीय ईंधन स्टाक और ईंधन खपत, आदि पर संगणित किया जाना है।

यह प्रेरणादायक उत्पादकों के लिए अपने संसाधनों को बेहतर बनाने में सहायक होगा तथा उनके प्रचालन में अधिक दक्षता लाएगा ।

(ख) थर्मल के लिए मानकीय ओएंडएम

पहले ओएंडएम लागत के सन्नियम वास्तविक 5 वर्ष पर आधारित थे । टैरिफ के निबंधन और शर्तों में थर्मल के लिए ओएंडएम लागत को रूपए/एमडब्ल्यू पद में विनिर्दिष्ट किया गया है । यह उत्पादक को अग्रिम में अपने ओएंडएम को जानने तथा अपने संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणादायक बनाने में समर्थ होगा ।

(ग) मानकीय कार्य निष्पादन बैंचमार्क

2001-04 के टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें सन्नियमों पर आधारित ऊर्जा प्रभारों की संगणना करने के लिए उपबंध करते हैं किन्तु वे समायोजन के अधीन रहते हुए यदि वास्तविक स्टेशन हीट रेट, विनिर्दिष्ट ईंधन तेल खपत तथा सहायक ऊर्जा खपत के मानकीय प्रचालनात्मक पैरामीटरों से निम्न हैं । प्रचालन में दक्षता लाने तथा इसमें विनिर्दिष्ट ईंधन तेल को संरक्षित करने के बारे में उत्पादकों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था ।

वास्तविक की उपरोक्त व्यवस्था या सन्नियम, जो भी निम्न हों, को 2004-09 की

अवधि के नए टैरिफ के निबंधन और शर्तों में हटा दिया गया है। अब मानकीय प्रचालनात्मक पैरामीटर उत्पादकों के लिए अपने संयंत्र को दक्षतापूर्वक तथा बेहतर रीति से प्रचालित करने में प्रेरणादायक हो गए हैं।

(घ) अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए ओएंडएम के एक समान सन्नियम

2001-04 अवधि के लिए अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए ओएंडएम वास्तविकता पर आधारित थे या नई पारेषण प्रणाली के लिए पूंजी लागत से जोड़े गए थे। इस अवधि के लिए टैरिफ के निबंधन और शर्तें संबंधी विनियम अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए प्रादेशिक ओएंडएम परिवर्तनों को निकालने के लिए लागू किए जाने वाले रूपए प्रति कि.मी. लाइन या रूपए प्रति उपकेंद्र पर आधारित समान ओएंडएम के लिए उपबंध करते हैं ।

(ङ) अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच तथा बाजार विकास

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसरण में, पारेषण में निर्बाध पहुंच को कार्यान्वित करने वाले विनियमों को देश में पहली बार फरवरी, 2004 में बिना किसी परामर्शक के केविविआ द्वारा अंतिम रूप दिया गया। ये 6.5.2004 से प्रवृत्त हुए। निर्बाध पहुंच तंत्र होने से पात्र ग्राहक, उत्पादन कंपनियां तथा अनुज्ञप्तिधारी विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में निर्बाध पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।

अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच विनियम विद्युत व्यापार को सुकर तथा कारगर बनाता है। व्यापार की गई विद्युत की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। 2005-06 में निर्बाध पहुंच संव्यवहारों की संख्या 778 से बढ़कर 2006-07 में 5933 हो गई। इस समय, निर्बाध पहुंच संव्यवहार अधिकांशतः अधिशेष तथा कमी वाले क्षेत्रों के वितरण उपयोगिताओं के बीच हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत का व्यापार करना संभव है। जब कभी भी अंतरा-राज्यिक विशेष मीटर लगाए जाते हैं तथा एसएलडीसी को इनके अनुकूल बनाया जाता है तो इससे कैप्टिव तथा उत्पादन के अन्य अंतरा-राज्यिक स्रोतों को उपयोग में लाना संभव होगा तथा विद्युत बाजार और बढ़ेगा ।

आयोग ने पावर एक्सचेंज स्थापित करने के लिए मार्गदर्शक जारी किए हैं। यह आशा है कि पावर एक्सचेंज स्थापित किए जाने से विद्युत व्यापार में साम्यता तथा पारदर्शिता और दक्षता आएगी जिसके परिणामस्वरूप बेहतर संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो सके तथा विनिधान के लिए एक मजबूत आधार मिल सके।

वर्ष 2008-09 के लिए कार्य सूची

1. अगली टैरिफ अवधि, अर्थात् 2009-14 के लिए टैरिफ विनियम को अंतिम रूप देना।

2. पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान के लिए निबंधनों तथा शर्तों को अंतिम रूप देना ।

3. मध्यम अवधि निर्वाध पहुंच विनियम को अंतिम रूप देना।

4. विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु निबंधनों तथा शर्तो का सुव्यवस्थीकरण

5. ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के आधार पर उत्पादन कंपनियों के लिए टैरिफ के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तों पर परामर्श ।

6. राष्ट्रीय पोरषण टैरिफ, फ्रेमवर्क संबंधी परामर्श

7. विद्युत बाजार विनियम संबंधी परामर्श

8. बाजार मानीटरिंग तंत्र स्थापित करना

उपाबंध

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

संगठनात्मक चार्ट

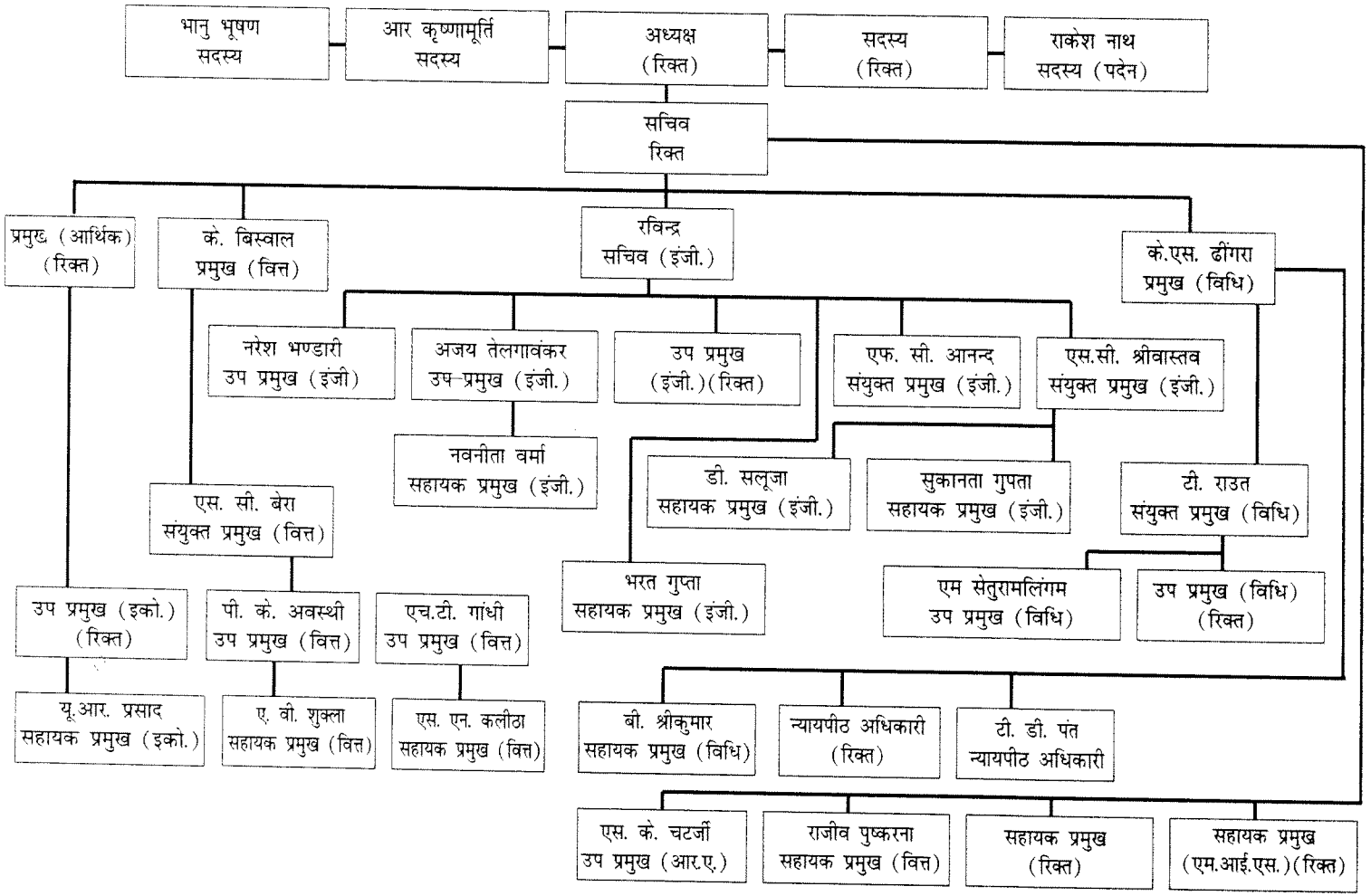

उपाबंध-II

आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारिवृंद के ई.मेल आई डी तथा दूरभाष संख्या (31.03.2008 के अनुसार)

	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या	ई.मेल
		अध्यक्ष	2436004	chairman@cercind.org
	भानु भूषण	सदस्य	24361259	bhanubhu@del3.vsnl.net.in
	श्री आर कृष्णमूर्ति	सदस्य	24361235	krishh18@gamil.com
	श्री के. एस. ढींगरा	प्रमुख (विधि)	24363174	ks_dhingra@hotmail.com
	श्री रवीन्द्र	प्रमुख (इंजी.)	24364960	ravinderveeksha@hotmail.com
	श्री के बिस्वाल	प्रमुख (वित्त)	24364898	k-biswal@hotmail.com
	श्री एस.सी बेरा	संयुक्त प्रमुख (वित्त)	24363395	subha.bera@yahoo.com
	श्री एस.सी आनंद	संयुक्त प्रमुख (इंजी.)	24363395	anandsca@hotmail.com
	श्री एस.सी. श्रीवास्तव	संयुक्त प्रमुख (इंजी.)	24364895	scschandra@hotmail.com
	श्री त्रिलोकचंद राउत	संयुक्त प्रमुख (विधि)	24363327	rout_T6@yahoo.com
	श्री पी.के. अवस्थी	उप प्रमुख (वित्त)	24364895	awasthi_prabhat@yahoo.com
	श्री एस.टी. गांधी	उप प्रमुख (वित्त)	24364895	h_t_gandhi@yahoo.com
	श्री नरेश भंडारी	उप प्रमुख (इंजी.)	24364826	nbjalaj@yahoo.com

	श्री अजय तलेगांवकर	उप प्रमुख (इंजी.)	24364826	ajay_tal@hotmail.com
	श्री एम. सेतुरामलिंगम	उप प्रमुख (विधि)	24364826	msr_sethu@yahoo.com
	श्री एस. के. चटर्जी	उप प्रमुख (आर.ए.)	24361145	asstsecy@cercind.gov.in
	राजीव पुष्करणा	सहायक प्रमुख	24364960	pushkranaraj@yahoo.com
	श्री देवेन्द्र सलूजा	सहायक प्रमुख (इंजी.)	24364960	devendrasaluja@yahoo.co.in
	श्री नवनीता वर्मा	सहायक प्रमुख (इंजी.)	24364895	verma_neeta@indiatimes.com
	श्री सुकान्त गुप्ता	सहायक प्रमुख (इंजी.)	24363338	gupta_sukhanta@yahoo.com
	श्री भरत गुप्ता	सहायक प्रमुख (इंजी.)	24364895	bharatgupta_cerc@yahoo.com
	श्री ए.वी. शुक्ला	सहायक प्रमुख (वित्त)	24361145	avshuklacea@yahoo.com
	श्री बी. श्रीकुमार	सहायक प्रमुख (विधि)	24361145	bskumar102@rediffmail.com
	श्री यू.आर प्रसाद	सहायक प्रमुख (अर्थ)	24363338	uppaluri123@rediffmail.com
	श्री एस.एन. कलिटा	सहायक प्रमुख (वित्त)	24361145	satyenkalita@yahoo.co.in
	श्री तारा दत्त पन्त	न्यायपीठ अधिकारी	24361145	tdpant_law@yahoo.com

उपाबंध-III

संगोष्ठियों/सम्मेलन/आदान-प्रदान कार्यक्रम जिसमें आयोग के अधिकारियों/कर्मचारिवृंद ने भाग लिया (भारत से बाहर)

क्रम सं.	भेजे गए अधिकारियों का नाम तथा पदनाम	संगोष्ठियों/सेमिनार/कार्यक्रम का नाम तथा उसकी अवधि	वह देश जिसका दौरा किया गया
1	श्री कुलामणि बिस्वाल प्रमुख (वित्त)	1-8 अप्रैल, 2007 के दौरान "अवसंरचना विनियम" संबंधी आठवां साफिर कोर पाठ्यक्रम	कलुटारा श्रीलंका
2.	श्री अजय तेलगांवकर, उप प्रमुख (इंजी.)	21 अप्रैल से 27 मई, 2007 के दौरान ग्रिड प्रचालन में तकनीकी सुधार कार्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण	कनाडा, यूएस, नार्वे, यू.के. बेल्जियम तथा फ्रांस
3.	श्री ए.डी. मिराजकर। उप प्रमुख (इंजी.)	28 मई, 2007 से 1 जून, 2007 के दौरान दक्षिण पूर्वी यूरोपियन मार्किट के साथ एक्जिक्यूटिव पीयर एक्सचेंज प्रोग्राम	जर्मनी
4.	श्री रविन्द्र, प्रमुख (इंजी.)	30-31 अगस्त, 2007 के दौरान एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप एनर्जी रेग्यूलेटरी एंड मार्किट डिवेलपमेंट फोरम - आस्ट्रेलिया द्वारा मेजबान की गई स्टीरिंग समिति की पहली बैठक	क्वींसलैंड आस्ट्रेलिया

उपाबंध-IV

ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिनमें आयोग के अधिकारियों/ कर्मचारिवृंद ने भाग लिया (भारत में)

क्रम सं.	मेजबानी करने वाले संस्थान का नाम	कार्यक्रम का नाम तथा उसकी अवधि	भेजे गए अधिकारी का नाम तथा पदनाम
1	भारतीय लागत तथा संकर्म लेखा संस्थान, नई दिल्ली	आईसीडब्ल्यूएआई के सदस्यों के लिए ईआरपी वृत्तिक प्रशिक्षण (अप्रैल, 2007)	श्री के. बिस्वाल, प्रमुख (वित्त)
2.	इंडिया इंफ्रास्टकचर पब्लिशिंग प्रा. लि., नई दिल्ली	सितंबर 11-12, 2007 के दौरान नई दिली में "आईटीइन पावर : इनेबलिंग प्रोसेस ट्रांसफार्ममिंग यूटिलिटीज" संबंधी छठा वार्षिक सम्मेलन	श्री राजीव पुष्करणा, सहायक प्रमुख (वित्त)
3.	आईआईटी, नई दिल्ली	अक्तूबर, 3-5, 2007 के दौरान थर्मल पावर स्टेशनों में पर्यावरण प्रबंधन संबंधी कार्यशाली	श्री भरत गुप्ता सहायक प्रमुख (वित्त)
4.	इंडियन रेलवे इंस्टिट्यूट आफ लाजिस्टिक एंड मेटेरियल मैनेजमेंट, नई दिल्ली	29-30 अक्तूबर, 2007 के दौरान माध्यस्थम् तथा वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति संबंधी सेमिनार	श्री टी. राउत, संयुक्त प्रमुख (विधि)
5.	सोलर एनर्जी सोसाइटी आफ इंडिया, नई दिल्ली	नई दिल्ली में 27-28 नवंबर, 2007 के दौरान "नवीकरणीय ऊर्जा" संबंधी अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस	श्री एस.एन. कलिटा सहायक प्रमुख (वित्त)
6.	हाइड्रो ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट टीएनईबी कूथीराय कलमीडू, तमिलनाडू	20-22 नवंबर, 2007 के दौरान "एबनारमल अकरेंसेस इन हाइड्रों पावर स्टेशन" ऊंटी, तमिलनाडू संबंधी राष्ट्रीय स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम	श्री देवेन्द्र सलूजा, सहायक प्रमुख (इंजी.)

7.	आईएसटीडी, नई दिल्ली	3-5 दिसंबर, 2007 के दौरान आईएसटीडी पर आरटीआई ऐक्ट संबंधी कार्यशाला	श्री सब्बारतनम, सहायक
8.	भारतीय लागत तथा संकर्म लेखा संस्थान (आईसीडब्ल्यूएआई, नई दिल्ली)	नई दिल्ली में 10-12 जनवरी, 2007 के दौरान ग्लोबल समिति आन रिपोजिशिनिंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट	1. श्री एस.सी. बेहरा, संयुक्त प्रमुख (वित्त) 2.श्री पी.के. अवस्थी, उप प्रमुख (वित्त) 3. श्री एच.टी. गांधी, उप प्रमुख (वित्त)
9.	भारतीय लागत तथा संकर्म लेखा संस्थान (आईसीडब्ल्यूएआई, नई दिल्ली)	नई दिल्ली में 9 मार्च, 2008 के दौरान आईसीडब्ल्यूएआई 49 नेशनल मैनेजमेंट अंकाउंटेंट्स	1.श्री राजीव पुष्करणा सहायक प्रमुख (वित्त) 2. श्री ए.वी. शुक्ला, सहायक प्रमुख (वित्त)

उपाबंध-V

(अ) केविविआ के समक्ष फाइल की गई याचिकाओं की प्रास्थिति (1.4.2007 से 31.3.2008 तक)

पिछले वर्ष (2006-07) से आगे लाई गई	2007-08 के दौरान प्राप्त याचिकाओं की संख्या	कुल	निपटाई गई	31.3.2008 को लंबित
104	173	277	128	149

2007-08 के दौरान निपटाई गई याचिकाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल की गई	विषय	निपटान की तारीख
1.	**127/2002**	**2.12.02**	**एनटीपीसी**	याचिका सं. 30/2002 के तारीख 4.10.2002 के आदेश का पुनर्विलोकन।	30 नवम्बर, 07
2.	**9/2003**	**7.3.03**	**ग्रिडको**	जनवरी 2001 से जुलाई 2001 की अवधि के लिए एपीट्रांसको द्वारा द्वारा ग्रिडको को बकाया शोध्यों का संदाय।	18 अक्तूबर, 07
3.	**179/2004**	**25.11.04**	**एनटीपीसी**	1.4.2004 से 31.3.2009 की अवधि के लिए तलचर थर्मल पावर स्टेशन, प्रक्रम-2 का अनुमोदन ।	31 जनवरी, 08
4.	**40/2005**	**27.4.05**	**एनपीसीएल**	1.9.2008 और उससे आगे की अवधि के लिए नार्गाजुन पावर कारपोरेशन लि. (1015 मेगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन ।	14 जून, 07
5.	**116/2005**	**27.9.05**	**एनआरएलडीसी**	राष्ट्रीय स्तर पर अननुसूचित अंतर विनिमय के परिधि की भीतर भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के ऊर्जा स्टेशन को लाना ।	25 सितंबर, 07
6.	**119/2005**	**8.11.05**	**एनएचडीसी**	1.4.2004 से 31.3.2009 की अवधि के लिए इंदिरा सागर परियोजना के उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन।	6 फरवरी, 07
7.	**135/2005**	**8.11.05**	**नीपको**	1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए अगरतला गैस टरबाइन की बाबत टैरिफ का अनुमोदन ।	20 फरवरी, 08

8.	**140/2005**	**11.11.05**	**एनटीपीसी**	25.3.2005 से 31.3.2009 तक की अवधि के लए रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज-III (500 मेगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन ।	15 अक्तूबर, 07
9.	**22/2006**	**13.4.06**	**एनआरएलडीसी**	49.0 एच जेड से ऊपर प्रादेशिक ग्रिड फ्रिक्वेंसी को बनाए रखकर उत्तरी प्रादेशिक ग्रिड के सुव्यवस्थित प्रचालन की सुनिश्चितता ।	3 जुलाई, 07
10.	**35/2006**	**30.5.06**	**पीजीसीआईएल**	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 2004-05 के लिए बोगाईगांव तथा कुमारघाट सब-स्टेशन पर विशेष सुरक्षा बल की नियुक्ति हेतु अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए याचिका ।	25 सितंबर, 07
11.	**63/2006**	**21.7.06**	**टीएचडीसी**	6.7.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए टिहरी हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर परियोजना (एचपीपी) स्टेज-I (4x250 मेगावाट) का उत्पादन टैरिफ ।	28 मार्च, 08
12.	**67/2006**	**24.7.06**	**आरजीपीपीएल**	रत्नागिरी गैस तथा पावर परियोजना के ईंधन के रूप में एलएनजी के साथ पुर्नरूज्जीवन के कार्यान्वयन की अनंतिम लंबित अवधि के दौरान रत्नागिरी गैस तथा पावर प्राइवेट लिमिट ड के लिए एक समय टैरिफ का अनुमोदन ।	18 जनवरी, 07
13.	**70/2006**	**31.7.2006**	**नीपको**	26.7.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए निपको, शिलांग के कोपली हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना-स्टेज-II (1 x 25 मेगावाट) के विक्रय की बाबत टैरिफ का नियतन ।	1 जनवरी, 08
14.	**82/2006**	**30.8.06**	**पीजीसीआईएल**	1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में रंगा नदी जिसे पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण।	31 दिसंबर, 07
15.	**83/2006**	**30.6.06**	**पीजीसीआईएल**	1.4.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में लोकटक परियोजना प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण।	10 मार्च, 08
16.	**84/2006**	**30.8.06**	**पीजीसीआईएल**	1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में रंगानदी पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण।	7 मार्च, 08

17.	**85/2006**	**29.8.06**	**पीजीसीआईएल**	1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कोपली हाइड्रो इलैक्ट्रिक स्टेज -I विस्तारण परियोजना (2 x 50 मेगावाट) से सहबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	16 जनवरी, 08
18.	**86/2006**	**29.8.06**	**पीजीसीआईएल**	1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अगरतला 132 के वी पारेषण प्रणाली की पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	25 मार्च, 08
19.	**87/2006**	**30.8.06**	**पीजीसीआईएल**	1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कैथलगुड़ी गैस आधारित संयुक्त साइकल परियोजना सहबद्ध पारेषण प्रणाली के पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	16 अप्रैल, 08
20.	**88/2006**	**30.8.06**	**पीजीसीआईएल**	1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दक्षिण असम, मिजोरम तथा त्रिपुरा में पारेषण प्रणाली की संवर्धन स्कीम के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	13 फरवरी, 08
21.	**89/2006**	**29.8.06**	**पीजीसीआईएल**	1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में डोयांग पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	21 फरवरी, 08
22.	**90/2006**	**29.8.06**	**पीजीसीआईएल**	1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अतिरिक्त पारेषण गोपुर इटानगर (एटीजीआई) के लिए टैरिफ का अवधारण ।	19 फरवरी, 08
23.	**96/2006**	**1.9.06**	**एनटीपीसी**	याचिका सं. 159/2004 में तारीख 19.7.2006 के आदेश का पुनर्विलोकन- 1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए कोरबा एसटीपीएस (2100 मेगावाट) का अवधारण ।	15 जून, 07
24.	**97/2006**	**7.9.06**	**टोरेंट**	टोरेंट पावर ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन	16 मई, 07
25.	**103/2006**	**11.9.2006**	**सू-मोटो**	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131 के अधीन राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन ।	3 जुलाई, 07

26.	**106/2006**	**26.9.06**	**एनटीपीसी**	1.4.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज-II (1000 मेगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन ।	15 अक्तूबर, 07
27.	**107/2006**	**25.9.06**	**एनएचपीसी**	1.10.2005 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए घौली गंगा एचई परियोजना, स्टेज-I के उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन ।	13 दिसम्बर, 07
28.	**144/2006**	**23.11.06**	**एनएचपीसी**	याचिका सं.171/2004 के तारीख 4.10.2006 के आदेश का पुनर्विलोकन- 1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए लोकट क एचई परियोजना के उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन ।	5 सितंबर, 07
29.	**145/2006**	**17.11.06**	**एसएलडीसी**	49 एच जेड से अधिक ग्रिड फ्रिक्वेंसी को बनाए रखकर दक्षिण क्षेत्रीय ग्रिड के सुनिश्चित तथा विश्वस्तरीय प्रचालन का पुनर्विलोकन त-था यूआई कीमत विक्टर का पुनर्विलोकन ।	3 जुलाई, 07
30.	**146/2006**	**7.12.2006**	**टीएनईबी**	विद्यमान पावर ग्रिड सब-स्टेशन से विस्तारित प्रदाय की दशा में पारेषण प्रभार प्रभारित करने की पद्धति तथा राज्य सेक्टर द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों को खोजकर नई लाईनें बिछाने तथा सब-स्टेशन बनाने के लिए विद्यमान पारेषण लाइन लिलो के लिए निर्देश हेतु ।	27 जून, 07
31.	**147/2006**	**7.12.2006**	**पीजीसीआईएल**	रिहन्द-दादरी एचवीडीसी टर्मिनलों से सहबद्ध रिहन्द एचवीडीसी के नियंत्रण में उपांतरण कार्य की सहमति के लिए तथा केविविआ (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2004 के अनुसार विनिश्चित किए जाने वाले उपांतरित कार्य को पूरा करने पर पारिणामिक लागू टैरिफ के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश ।	27 मार्च, 08
32.	**152/2006**	**7.12.2006**	**आईईएलटीडी**	विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार प्रदान करने हेतु आवेदन ।	30 अगस्त, 07

33.	**153/2006**	**22.12.06**	**एमपीपीटीसीएल**	याचिका सं. 79/2005 में तारीख 16.11.2006 के आदेश का पुनर्विलोकन - 1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए कवास गैस पावर स्टेशन के संबंध में टैरिफ का अनुमोदन ।	25 मई, 07
34.	**01/2007**	**4.1.2007**	**पीजीसीआईएल**	1.7.2005 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में बरीपाड़ा स्थित कोलाघाट-रंगाली 400 केवी एस/सी लाइन के अंतिम पारेषण टैरिफ तथा बरीपाड़ा स्थित नए 400/220/132 केवी सब-स्टेशन की स्थापना का अनुमोदन ।	15 अक्तूबर, 07
35.	**02/2007**	**4.1.2007**	**पीजीसीआईएल**	400 केवी डी/सी रिहन्द-इलाहाबाद, इलाहाबाद-मणिपुरी तथा मणिपुरी-बल्लभगढ़ पारेषण लाइन का सहबद्ध बेजों के साथ, आई सी टी-I तथा II पटियाला सब-स्टेशन, कैथल स्थित एक सर्किट नालागढ़-हिसार पारेषण लाईन का लिलो, पटियाला स्थित नालागढ़ हिसार लाइन के एक सर्किट का लिलो, 400 केवी एस/सी पटियाला-मेलिरकोटला पारेषण लाइन, अब्दुलापुर सब-स्टेशन पर आई सी टी-III के अंतिम पारेषण का अवधारण तथा 2004-09 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में रिहंद स्टेज-II पारेषण प्रणाली के अधीन अब्दुलापुर सब-स्टेशन पर सहयुक्त बेज तथा 2 बेज़ों के साथ 400 केवी एस/सी दादरी पानीपत पारेषण लाइन के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ ।	27 सितंबर, 07
36.	**03/2007**	**4.1.2007**	**पीजीसीआईएल**	1.11.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में रायपुर स्थित 400 केवी डी/सी रायपुर राउरकेला पारेषण लाइन के लिए नियत तथा थायराइस्टर नियंत्रित सीरिज प्रतिभार के पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	31 अक्तूबर, 07
37.	**04/2007**	**8.1.2007**	**एनटीपीसी**	याचिका सं. 79/2005 तारीख 16.11.2006 के आदेश का पुनर्विलोकन- 1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए कवास गैस पावर स्टेशन के टैरिफ का अनुमोदन ।	29 जून, 07

38.	**04/2007**	**10.1.2007**	**ग्रिडको**	याचिका सं. 35/2004 में तारीख 25.9.2006 के आदेश का पुनर्विलोकन/स्पष्टीकरण/उपांतरण /पुनः विचार - तलचर थर्मल पावर स्टेशन (460 मेगावाट) के लिए वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण पुनरीक्षित नियत प्रभारों का अनुमोदन ।	4 मार्च, 08
39.	**07/2007**	**10.1.2007**	**एनटीपीसी**	प्रत्यर्थियों को इंफर्म पावर प्रदाय के लिए कहलगांव-सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज-II, फेज़-II के यूनिट (1 x 500 मेगावाट) के इंफर्म ऊर्जा के लिए याचिका ।	20 अप्रैल, 07
40.	**10/2007**	**5.2.2007**	**पीजीसीआईएल**	1.7.2005 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश में प्रणाली सुधार स्कीम के अंतर्गत 200 केवी एस/सी मेरठ शताब्दी नगर पारेषण लाइन के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	17 जुलाई, 07
41.	**12/2007**	**5.2.2007**	**पीजीसीआईएल**	1.10.2005 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में गंगटोक स्थित 132 केवी डी/सी सिलीगुड़ी - रंजीत पारेषण लाइन के एक सर्किट के लिलो का अंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	15 अक्तूबर, 07
42.	**14/2007**	**5.2.2007**	**स्व-प्रेरणा**	49.0 एच जेड और उससे ऊपर की ग्रिड फ्रिक्वेंसी को बनाए रखकर क्षेत्रीय ग्रिड के सुरक्षित तथा विश्वसनीय प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए ।	23 मई, 07
43.	**17/2007**	**14.2.2007**	**वीपीएल**	विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन ।	28 जून, 07
44.	**18/2007**	**21.2.2007**	**सीजीपीएल**	केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पारदर्शी तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के माध्यम से अवधारित टैरिफ के आधार पर मैसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को प्रदान किए गए मुंद्रा अल्ट्रा पावर परियोजना, कास्ट्रल गुजरात पावर लिमिटेड से विद्युत के प्रदाय के लिए टैरिफ को स्वीकार करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन ।	19 सितंबर, 07

45.	**19/2007**	**21.2.2007**	**सासन.पीएल**	केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्ग-दर्शक सिद्धांत के अनुसार पारदर्शी तथा अंतर-राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के माध्यम से अवधारित टैरिफ के आधार पर मैसर्स ग्लोब्लेक सिंगापुर प्रा. तथा लैंको इंफ्राटैक लिमिटेड को प्रदान प्रासन पावर लिमिटेड के सासन अल्ट्रा मैगा पावर परियोजना के विद्युत के प्रदाय के लिए टैरिफ को अंगीकार करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 का आवेदन ।	9 अगस्त, 07
46.	**21/2007**	**28.2.2007**	**पीजीसीआईएल**	1.10.2005 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में मिली स्थित 132 केवी रंजीत सिलीगुड़ी पारेषण लाइन के सिलीगुड़ी-गंगटोक सेक्शन के लिलो द्वारा पूर्वी क्षेत्र के साथ सिक्किम पारेषण प्रणाली के एकीकृत अंतिम पारेषण टैरिफ का अनुमोदन ।	15 फरवरी, 08
47.	19/2007	21.2.2007	एन.टी.पी.सी.	रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन (1000 मेगावाट) स्टेज-I के लिए वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय के प्रभाव का अवधारण	10 जुलाई, 07
48.	25/2007	2.3.2007	एएसईबी	याचिका सं. 33/2003 में तारीख 14.12.2006 के आदेश का पुनर्विलोकन - 1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए असम गैस आधारित ऊर्जा स्टेशन की बाबत टैरिफ का अनुमोदन	15 जुलाई, 07
49.	26/2007	28.2.2007	निपको	1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के कोपली हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना - खानडांग पावर स्टेशन (2 x 25 मेगावाट) से ऊर्जा के विक्रय के संबंध में टैरिफ का नियतन ।	14 जनवरी, 08
50.	28/2007	6.3.2007	एनटीपीसी	सिम्हाद्री थर्मल पॉवर स्टेशन, स्टेज-I (1000 मेगावाट) के लिए वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात् पुनरीक्षित नियत प्रभारों का अनुमोदन ।	18 जून, 08

51.	29/2007	6.3.2007	एनटीपीसी	रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज-I (2100 मेगावाट) के लिए वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात् पुनरीक्षित नियत प्रभावों का अनुमोदन ।	30 जुलाई, 07
52.	30/2007	6.3.2007	एसकेपीसीएल	ऊर्जा के व्यापार के लिए संदेय रकम के संदाय संबंधी विवाद ।	5 सितंबर, 07
53.	33/2007	19.3.2007	एनटीपीसी	याचिका सं. 26/2006 में तारीख 24.1.2007 का पुनर्विलोकन - 2004-09 की अवधि के लिए टांडा टीपीएस की बाबत टैरिफ के अवधारण के लिए प्रचालन पैरामीटरों तथा संनियमों का पुनरीक्षण	27 जून, 07
54.	35/2007	19.3.2007	पीजीसीआईएल	2004-09 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ स्कीम के अधीन औरैया स्थित बेज के साथ - 400 केवी डी/सी कानपुर औरैया पारेषण लाइन के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	21 मई, 07
55.	36/2007	21.3.2007	पीजीसीआईएल	1.12.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़-III के अधीन 440/220 केवी कोलापुर (एमएसईबी) उप-केन्द्र (विस्तारण) के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	21 मई, 07
56.	37/2007	21.3.2007	पीजीसीआईएल	1.5.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में इंद्रावती स्विच यार्ड (ओएचपीसी) स्थित दूसरे (3 x 105) एमवीए, 200/220 केवी ट्रांसफार्मर के अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	26 अप्रैल, 07
57.	38/2007	21.3.2007	आईईएक्सएल	पावर एक्सचेंज स्थापित करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने हेतु आवेदन	31 अगस्त, 07
58.	43/2007	28.3.2007	डीटीएल	याचिका सं. 40/2004 में तारीख 9.5.2006 के आदेश का स्पष्टीकरण मांगने के लिए - 1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के टैरिफ का अनुमोदन ।	24 जुलाई, 07
59.	44/2007	29.3.2007	जेपीएल	जेपी पावर ग्रिड लिमिटेड को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन ।	1 अक्तूबर, 07

60.	45/2007	1.4.2007	एमपीपीटीसीएल	याचिका सं. 69/2004 में तारीख 16.3.2006 के आदेश का पुनर्विलोकन-1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र में कोरबा बुधीपदार पारेषण प्रणाली का अनुमोदन ।	8 अगस्त, 07
61.	49/2007	1.4.07	पीजीसीआईएल	1.20.2005 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में गजुवाका एचवीडीसी बैक टू बैक परियोजना की क्षमता के संवर्धन के साथ सहयुक्त रिंगाली इंड पर विद्यमान 400 केवी एस/सी रिंगाली इंद्रावती पारेषण लाइन पर 40% नियत सीरिज प्रतिकर का अंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	15 अक्तूबर, 07
62.	50/2007	1.4.07	पीजीसीआईएल	याचिका सं. 136/2006 में तारीख 6.2.2007 के आदेश में शुद्धि के लिए प्रकीर्ण आवेदन - 1.8.2005 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में 400 केवी डी/सी मदुरै-तिरूवनंतपुरम पारेषण प्रणाली के लिए अंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण जिसमें 1.8.2005 से 31.3.2009 तक की अवधि का अतिरिक्त पूंजीकरण सम्मिलित है ।	7 जून, 07
63.	51/2007	1.4.07	पीजीसीआईएल	याचिका सं. 134/2006 में तारीख 6.2.2007 के आदेश में संशोधन के लिए प्रकीर्ण आवेदन - 1.4.2005 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में रायपुर तथा भद्रावती सब-स्टेशन स्थित 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन जिसमें बेज विस्तारण भी है, के लिए अंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	7 जून, 07
64.	54/2007	4.4.07	आरजीपीपीएल	1.4.2007 से 30.6.2007 तक की अवधि से अंतरिम अवधि के लिए या योजना को चलाने के लिए एलएनजी/आर-एलएन जी की उपलब्धता तक, जो भी पहले हो, तक रत्नागिरी गैस परियोजना के टैरिफ का अनुमोदन ।	20 अप्रैल, 07
65.	56/2007	12.4.07	एनएचडीसी	1.5.2007 से 31.3.2008 तक की अवधि के लिए औकारेश्वर हाइड्रो परियोजना के अनंतिम उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन ।	30 अक्तूबर, 07

66.	57/2007	19.4.07	पीजीसीआईएल	2004-09 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ स्कीम-II के अधीन सहयुक्त बेज के साथ 400 केवी डी/सी आगरा-बासी पारेषण लाइन (सीकेटी-III और II) के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	28 जून, 07
67.	59/2007	26.4.2007	ग्रिडको	2004-05 से 2008-09 तक की अवधि के लिए तलचर थर्मल पावर स्टेशन की बाबत टैरिफ के अवधारण के लिए प्रचालनात्मक पैरामीटरों तथा संनियमों का पुनरीक्षण ।	20 अगस्त, 07
68.	60/2007	27.4.2007	केपीडीपीएल	कल्याणी पावर डिवेलपमेंट प्रा. लि. को विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान हेतु आवेदन ।	21 अगस्त, 07
69.	61/2007	30.4.2007	जीपीपीएल	श्री बालाजी बायोमास पावर (प्रा.) लि. को विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन ।	22 जनवरी, 08
70.	62/2007	30.4.2007	पीजीसीआईएल	2004-09 ब्लॉक अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में दुलहस्ती संयुक्त पारेषण प्रणाली के अधीन किशनपुर तथा बगूरा सब-स्टेशन स्थित सहयुक्त बेज के साथ 400 केवी डी/सी दुलहस्ती-किशनपुर पारेषण लाइन (ii) 400 केवी किशनपुर-वगूरा पारेषण लाइन के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	16 जुलाई, 07
71.	63/2007	30.4.2007	पीजीसीआईएल	1.10.2006, 1.12.2006, 1.11.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र की विध्यांचल स्टेज-III पारेषण प्रणाली के अधीन विंध्यांचल एसटीपीपीओ- सतना 400 केवी डी/सी लाइन (तीसरी तथा चौथा सर्किट) तथा 400/220 केवी सतना (पावर ग्रिड) सब-स्टेशन (विस्तारण) 1 x 315 एमवीए ट्रांसफार्मर के साथ अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	4 जुलाई, 07

72.	64/2007	30.4.2007	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र में 1.1.2007 से 31.3.2009 तक अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड की प्रणाली सुदृढ़ीकरण-III की स्कीम हेतु नीलमंगला (केपीटीसीएल) तथा सोमनहली (पावर ग्रिड) स्थित बेज विस्तारण के साथ नीलमंगला-सोमनहली 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन के अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	16 जुलाई, 07
73.	65/2007	3.5.2007	वीपीजीसीएल	8.9.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन (2 x 100 मेगावाट) टैरिफ का अनुमोदन ।	11 सितंबर, 07
74.	67/2007	4.5.2007	आईएसएनआई	याचिका सं. 113/2006 में तारीख 23.3.2007 के आदेश का पुनर्विलोकन-जिला सिद्धी, मध्यप्रदेश में आईएसएन इंटरनेशनल प्रा.लि. द्वारा स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित 2000 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन की बाबत टैरिफ का स्वीकार करना ।	27 अगस्त, 07
75.	68/2007	4.5.2007	एमपीपीटीसीएल	विद्यमान पू.क्षे.-प.क्षे. कारीडोर पर दीर्धकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने हेतु सीटीयू को निर्देश अर्थात् 400 केवी रायपुर राऊरकेला लाइन जिसमें मिझा तथा चंदरपुर स्थित डीवीसी स्टेशन से 400 मेगावाट पावर के अंतरण के लिए 220 केवी कोरबा बुधीपदार पारेषण लाइन भी सम्मिलित है ।	15 जून, 07
76.	69/2007	4.5.2007	ग्रिडको	याचिका सं. 91/2004 से 23.3.2007 के आदेश का पुनर्विलोकन-1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए तलचर टीपीएस (460 मेगावाट) की बाबत टैरिफ का अनुमोदन ।	28 सितंबर, 07
77.	70/2007	4.5.2007	एनबीवीएल	याचिका सं. 24/2007 में तारीख 7.3.2007 के आदेश का पुनर्विलोकन - ईआरएल डीसी तथा 'ओपीटीसीएम से सहमति नहीं' के आधार पर नवभारत वैंचर लिमिटेड के लिए उड़ीसा राज्य भार प्रेषण केन्द्र के माध्यम से 27 मेगावाट ऊर्जा के पारेषण हेतु टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा फाइल पर किए गए निर्बाध पहुंच आवेदन को डब्ल्यू आरएलडीसी द्वारा तारीख 21.5.2007 का इंकार सं. 131 ।	27 अगस्त, 07

78.	71/2007	11.5.2007	एनएलसी	एकमात्र फायदाग्राही टीएनईबी को ऊर्जा प्रदाय करने वाले अंतर-राज्यिक केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र एनएलसी--टीपीएस-1 में 1.1.2007 से एबीटी का कार्यान्वयन (यूआई लेखांकन में प्रगणित समस्याओं के लिए पर्याप्त उपचार हेतु आयोग हस्तक्षेप हेतु) ।	14 मार्च, 08
79.	73/2007	21.5.2007	पीजीसीआईएल	याचिका सं. 138/2006 में तारीख 21.3.2007 के आदेश का पुनर्विलोकन - 1.8.2005 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में बरेली (यूपीपीसीएल) स्थित सहयुक्त बेजों के साथ 400 केवी डी/सी धौलीगंगा एचईपी. बरेली (यूपीपीसीएल) पारेषण लाइन के लिए अंतिम पारेषण टैरिफ और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अतिरिक्त पूंजीकरण का अनुमोदन ।	16 जुलाई, 07
80.	74/2007	23.5.2007	पीपीपीएल	पटनी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई को विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन ।	23 अगस्त, 07
81.	75/2007	23.5.2007	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में वर्ष 2005-06 के लिए वगूरा सब-स्टेशन पर विशेष सुरक्षा बल के नियोजन हेतु अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु के.वि.वि.आ. (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2004 के "कठिनाईयों को दूर करने तथा शिथिल करने की शक्ति के अधीन आवेदन" ।	30 अगस्त, 07
82.	76/2007	28.5.2007	निपको	1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए निपको शिलांग के कोपली हाइड्रो इलैक्ट्रिक - खानडांग पावर स्टेशन (4 x 25 मेगावाट) की बाबत टैरिफ का नियतन ।	10 फरवरी, 08
83.	77/2007	29.5.2007	टीएनईबी	याचिका सं. 128/2006 में तारीख 15.3.2007 के आदेश का पुनर्विलोकन - 1.9.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में नरेन्द्र स्थित 400 केवी डी/सी कैशा-नरेन्द्र पारेषण लाइन तथा 400/220 केवी सब-स्टेशन के लिए अंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण जिसमें 1.11.2005 से 31.3.2006 तक का अतिरिक्त पूंजीकरण भी है ।	15 अक्तूबर, 07

84.	79/2007	5.6.2007	टीएनईबी	याचिका सं. 5/2002 में तारीख 23.3.2007 के आदेश का पुनर्विलोकन - 1.4.2001 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए एनएलसी के टीपीएस-II के टैरिफ का अवधारण ।	11 जनवरी, 08
85.	80/2007	18.6.2007	पीजीसीआईएल	पूर्वी क्षेत्र तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बीच अंतर-प्रादेशिक आस्तियों से सहयुक्त बेज (कैथलगुड़ी परियोजना के अधीन) 400 केवी मालदा बोगईगांव पारेषण लाइन के पारेषण प्रभारों की हिस्सेदारी ।	24 सितंबर, 07
86.	81/2007	18.6.2007	पीजीसीआईएल	पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 2005-06 के लिए सलाकाटी तथा बोगईगांव सब-स्टेशन के लिए विशेष सुरक्षा बलों के नियोजन हेतु अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु केविविआ (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2004 'कठिनाईयों को दूर करने तथा शिथिल करने की शक्ति' के अधीन आवेदन ।	30 अगस्त, 07
87.	82/2007	18.6.2007	पीटीसी	पीटीसी इंडिया लिमिटेड को 50, 91, 511 रुपए की राशि ब्याज सहित तथा अन्य खर्चों के प्रतिदाय के लिए प्रत्यर्थी को निदेश देने के लिए केविविआ (पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2004 के विनियम 35 के अधीन याचिका ।	12 अक्तूबर, 07
88.	83/2007	20.6.2007	एनटीपीसी	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2009 तक विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-III (1000 मेगावाट) के लिए अनंतिम टैरिफ ।	13 अगस्त, 07
89.	85/2007	29.6.2007	स्व-प्रेरणा	अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में हानियों के लिए प्रभारों की हिस्सेदारी के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव	28 मार्च, 08
90.	88/2007	11.7.2007	निपको	1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए निपको, शिलांग के डोयांग हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (3 x 25 मेगावाट) से ऊर्जा की बाबत टैरिफ का नियतन ।	1 अक्तूबर, 07

91.	94/2007	27.7.2007	पीजीसीआईएल	1.5.2007 से 31.3.2009 तक दक्षिणी ग्रिड में प्रणाली सुदृढ़ीकरण-III स्कीम के अंतर्गत गूटी तथा रायचुर स्थित बेज विस्तारण के साथ 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	19 सितंबर, 07
92.	95/2007	27.7.2007	टीएनईबी	याचिका सं. 130/2006 में तारीख 15.3.2007 के आदेश का पुनर्विलोकन-1.5.2005 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में रामागुंडम-III पारेषण प्रणाली के साथ सहयुक्त गूटी तथा नीलमंगला बेज विस्तारण तथा उपस्करों के साथ 400 केवी एस/सी गूटी नीलमंगला पारेषण लाइन के लिए अंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	15 अक्तूबर, 07
93.	100/2007	1.8.2007	पीजीसीआईएल	प्रयोगात्मक आधार पर छह मास की अवधि के लिए हेलीकॉप्टर के उपयोग के माध्यम से उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली में इंस्युलेटरों की हाट-लाईन सफाई आरंभ करने के लिए याची को अनुमति देने हेतु तथा प्रत्यर्थियों से इस बाबत उपगत पारिणामिक व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अनुज्ञा देने हेतु केविविआ (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 तथा 13 'कठिनाईयों को दूर करने तथा शिथिल करने की शक्ति' के अंतर्गत अनुमोदन के लिए याचिका ।	28 सितंबर, 07
94.	101/2007	6.8.2007	एनटीपीसी	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2009 तक कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज-II के यूनिट-I (1 x 500 मेगावाट) के अनंतिम टैरिफ का अनुमोदन ।	18 दिसंबर, 07

95.	104/2007	14.8.2007	पीजीसीआईएल	1.4.2007 से 31.3.2009 तक पूर्वी क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र में कहलगांव स्टेज-II, फ़ेज-I पारेषण प्रणाली के अधीन 400 केवी आगरा (पीजीसीआईएल) स्विचिंग स्टेशन विस्तारण तथा 400/220 केवी ग्वालियर (पीजीसीआईएल) के साथ आगरा-ग्वालियर 765 केवी एस/सी लाईन के अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	22 अक्तूबर, 07
96.	106/2007	21.8.2007	पीजीसीआईएल	1.4.2007 से 31.3.2009 तक सिपत-II के साथ सहबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन बीना तथा ग्वालियर बे-विस्तारण के साथ बीना-ग्वालियर 765 केवी एस/सी पारेषण लाइन के लिए अनंतिम टैरिफ का अवधारण ।	19 सितंबर, 07
97.	108/2007	3.9.2007	टीपीटीसीएल	केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2004 के विनियम 35 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका ।	3 दिसंबर, 07
98.	109/2007	7.9.2007	एमएमपीटीसीएल	सासन अलट्रा पावर प्रोजेक्ट, सासन, जिला सिटी के लिए टैरिफ को स्वीकार करना ।	17 अक्तूबर, 07
99.	110/2007	10.9.2007	पीजीसीआईएल	1.4.2007 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में विंध्याचल स्टेज-III पारेषण प्रणाली के अंतर्गत सहबद्ध बेजों के साथ 400 केवी सतना-बीना सीकेटी-I तथा II, बीना (पावर ग्रिड) के लिलो के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	18 अक्तूबर, 07
100.	111/2007	10.9.2007	पीजीसीआईएल	1.6.2007 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में विंध्याचल तथा कोरबा स्विच यार्ड पर सहबद्ध बेज उपकरण के साथ 400 केवी एस/सी विंध्याचल कोरबा सीकेटी-II के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	18 अक्तूबर, 07

101.	113/2007	17.9.2007	एनटीपीसी	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन के पहले 500 मेगावाट के लिए अनंतिम टैरिफ को अनुमोदन ।	3 दिसंबर, 07
102.	114/2007	18.9.2007	यूएसडब्ल्यूएल	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2004 के विनियम 35 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका ।	3 दिसंबर, 07
103.	116/2007	20.9.07	एसडीकेएसएस केएन	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2004 के विनियम 35 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका ।	3 दिसंबर, 07
104.	117/2007	24.9.2007	एनआरएलडीसी	संघटकों को ऊर्जा अंतरण सीमाओं का सम्मान करने तथा ग्रिड से अधिक निकासी को रोकने के लिए संघटकों को निर्देश जिससे कि संपूर्ण नया विद्युत ग्रिड सुरक्षित हो सके ।	7 दिसंबर, 07
105.	119/2007	24.9.2007	पीजीसीआईएल	पश्चिमी क्षेत्र में 1.5.2007 से 31.3.2009 तक सिपत-2 (2 x 500 मेगावाट) परियोजना से सहबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन सहबद्ध ग्वालियर सब-स्टेशन पर 440/220 केवी, 315 एमवीए, आईसीटी-I के अनंतिम टैरिफ का अवधारण ।	31 अक्तूबर, 07
106.	120/2007	26.9.2007	पीजीसीआईएल	2004-09 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी-क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-II के अधीन सहयुक्त बेजों के साथ-साथ वगूरा सब-स्टेशन पर 3 x 105 एमवीए 440/220/33 केवी आईसीटी-III के अनंतिम अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	31 अक्तूबर, 07

107.	122/2007	28.9.2007	पीजीसीआईएल	सिंगरौली-विंध्याचल कारीडोर में सुदृढ़ स्कीम प्रणाली के अधीन सिंगरौली इंड (सिंगरौली स्थित विंध्यांचल कानपुर एस/सी लाइन तथा सिंगरौली-विंध्याचल - दूसरा 400 केवी सीकेटी का रियलमेंट) तथा विंध्यांचल एचवीडीसी पर बस कपलर बेज के साथ सिंगरौली स्थित 400 केवी विंध्यांचल-कानपुर लाइन के अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण।	29 नवंबर, 07
108.	124/2007	8.10.2007	वीजीआई	वंदना ग्लोबल लिमिटेड को अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन ।	20 फरवरी, 08
109.	127/2007	15.10.2007	पीजीसीआईएल	1.5.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र के नीलमंगला-मैसूर 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन 2 x 315 एमवीए के साथ, नीलमंगला स्थित 400/220 केवी मैसूर सब-स्टेशन तथा बे-विस्तारण 400/220 सब स्टेशन के लिए अंतिम टैरिफ का अवधारण तथा 2006-07 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय ।	19 फरवरी, 08
110.	128/2007	15.10.2007	पीजीसीआईएल	1.1.2007 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में, प्रणाली सुदृढ़ स्कीम-III के अधीन नीलमंगला (केपीटीसीएल) तथा सोमनहल्ली (पावर ग्रिड) स्थित बे-विस्तारण के साथ नीलमंगला - सोमनहल्ली 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन के लिए अंतिम टैरिफ का अवधारण, जिसमें अतिरिक्त पूंजीकरण भी है ।	8 फरवरी, 08
111.	129/2007	19.10.2007	पीजीसीआईएल	2004-09 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में मोगा तथा अमृतसर सब-स्टेशन पर ट्रांसफार्मेशन क्षमता के संवर्धन के अधीन सहबद्ध बेज के साथ मोगा-सब-स्टेशन पर 315 एमवीए आई सीटी-4 के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	22 नवम्बर, 07

112.	130/2007	19.10.2007	पीजीसीआईएल	2004-09 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम-III के अधीन हिसार सब-स्टेशन (डीओसीओ 1.7.2007) पर 50 एमवीएआर बस रिएक्टर, के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण।	22 नवम्बर, 07
113.	139/2007	1.11.2007	वीपीजीसीएल	याचिका सं. 65/2007 के तारीख 11.9.2007 के मुजफ्फरपुर टीपीएस की बाबत 8.9.2007 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए टैरिफ का अनुमोदन ।	5 दिसंबर, 07
114.	142/2007	1.11.2007	पीजीसीआईएल	1.9.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र के बीच ताला एचईपी, पूर्वी-उत्तर अंतर-संयोजक तथा उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली, अंतर-राज्यिक आस्ति से सहबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन पावर लिंक्स की (i) 400 केवी मुजफ्फरपुर गोरखपुर लाइन के साथ सहबद्ध गोरखपुर सब-स्टेशन पर 400 केवी-बेज का 2सं॰ (ii) 400 केवी मुजफ्फरपुर-गोरखपुर से सहबद्ध लाइन रिएक्टर के साथ मुजफ्फरपुर पर 2सं॰. 400 केवी बेज के लिए अंतिम पारेषण तथा डीओसीओ से 31.3.2007 का अतिरिक्त पूंजीकरण का अवधारण ।	28 मार्च, 08
115.	150/2007	8.11.2007	पीजीसीआईएल	2004-09 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ स्कीम-I के अधीन बोली तथा बरेली स्थित बस रिएक्टर के लिए (i) कानपुर-औरैया पारेषण लाइन से सहबद्ध कानपुर सब-स्टेशन स्थित 400 केवी बेज (ii) 400 केवी डी/सी बरेली मंडोला पारेषण लाइन के लिलो के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	26 दिसंबर, 07
116.	154/2007	16.11.2007	एनआरएलडीसी	उत्तरी क्षेत्र के संघटकों द्वारा अधिक निकासी को नियंत्रित करके संपूर्ण उत्तर-पूर्वी पश्चिमी (नया) ग्रिड की ग्रिड सुरक्षा को बनाए रखने तथा सभी नवीनतम उत्पादन को सुकर बनाने तथा डिमांड साइड प्रबंधन को प्रभावित करने के अन्य उपाय ।	4 दिसंबर, 07

117.	156/2007	19.11.2007	वीबीएल	रिलायंस इनर्जी लिमिटेड के विरूद्ध एसएलडीसी - ओपीटीसीएल से सहमति की अप्राप्ति के आधार पर दक्षिणी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र के पत्र सं. एसआरएलडीसी/वाणि./ओ ए, तारीख 26.10.2007 द्वारा संसूचित निर्बाध पहुंच का अनुमोदन ।	31 दिसंबर, 07
118.	158/2007	28.11.2007	पीजीसीआईएल	1.7.2007 से 1.9.2007 तक पश्चिमी क्षेत्र में विंध्यांचल स्टेज-II पारेषण प्रणाली के अधीन 400 केवी डी/सी सतना-बीना पारेषण लाइन के सर्किट- IV तथा III के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	23 जनवरी, 08
119.	162/2007	13.12.2007	पीजीसीआईएल	1.11.2007 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में नागदा तथा बीना स्थित सहबद्ध बेज उपकरण के साथ 400 केवी बीना-नागदा डी/सी पारेषण लाइन के अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	22 जनवरी, 08
120.	163/2007	13.12.2007	पीजीसीआईएल	2004-09 की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में कहलगांव स्टेज-II फेज-I (2 x 500 मेगावाट) पारेषण प्रणाली के अधीन 1.6.2006 से रांची सब-स्टेशन पर (i) 400 केवी डी/सी कहलगांव पटना लाइन (जिसमें 1 x 50 एमवीए आर लाइन रिएक्टर), 1 x 80 एमवीएआर बस रिएक्टर पटना सब-स्टेशन पर सहबद्ध बेज के साथ 1 x 80 एमवीए आर बस रिएक्टर, बीएसईबी सब-स्टेशन के लिए पटना सब-स्टेशन स्थित 2 नं. 220 केवी लाइन बेज तथा 1.5.2007 से पटना सब-स्टेशन पर आई सी टी-I के लिए 400 तथा 220 केवी बेज, (ii) सहबद्ध बेज के साथ 400 केवी डी/सी मैथान रांची लाइन, रांची सब-स्टेशन स्थित सहबद्ध बेज के साथ 400/220 के वी, 315 एमवीए आईसीटी-II के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	25 फरवरी, 08

121.	165/2007	13.12.2007	पीजीसीआईएल	1.11.2007 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में नागदा तथा बीना स्थित सहबद्ध बेज उपकरण के साथ 400 केवी बीना नागदा डी/सी पारेषण लाइन के अनंतिम टैरिफ का अवधारण ।	22 जनवरी, 08
122.	166/2007	13.12.2007	पीजीसीआईएल	लखनऊ बलिया लाइन (iii) 80 एमीवीएआर बस रिएक्टर बिहार शरीफ सब–स्टेशन (iv) 400 केवी लखनऊ, बरेली सीकेटी–I तथा II के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अबधारण 2004-09 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में कहलगांव स्टेज–II पारेषण प्रणाली फेज–I के अधीन सहबद्ध बेज के साथ (i) 400 केवी बलिया सीकेटी I तथा II, 400 केवी बलिया मउ सीकेटी–I 400 केवी डी/सी पटना मउ लाइन जिसमें पटना तथा बलिया स्थित सहबद्ध बेज सम्मिलित है (ii) लखनऊ स्थित 400 केवी बलिया मउ सीकेटी –II, 40% एफसीएस तथा 400 केवी डी/सी	25 फरवरी, 08
123.	167/2007	26.12.2007	पीजीसीआईएल	1.1.2008 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में विंध्याचल स्टेज-III पारेषण प्रणाली के अधीन सहबद्ध बेज के साथ 400 केवी डी/सी रायपुर राउरकेला पारेषण लाइन के लिलो के अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	10 मार्च, 08
124.	170/2007	20.12.2007	सीएपीएल	कृष्णापटनम अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की बाबत विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन टैरिफ को स्वीकार करना ।	25 जनवरी, 08
125.	02/2008	30.12.2007	पीजीसीआईएल	दक्षिण क्षेत्र में 1.8.2007 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए तलचर-कोलार एचवीडीसी बाई-पोल की अंतरण हैसियत के उन्नयन के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण ।	26 फरवरी, 08

126.	6/2008	21.1.2008	पीजीसीआईएल	2004-09 की टैरिफ अवधि के लिए पूर्वी-उत्तर इंटर कनेक्टर और उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली के अधीन (i) सहबद्ध बेज के साथ महारानीबाग जीआईएस स्थित 400 केवी डी/सी बल्लभगढ़-दादरी पारेषण लाइन के एक सर्किट के लिलो तथा 315 एमवीए 400/220/33 केवी आईसीटी-I के अनंतिम टैरिफ का अवधारण।	13 मार्च, 08
127.	7/2008	21.1.2008	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र में डीओसीओ से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड के प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत (क) नल्लौर स्थित 80 एमवीए रिएक्टर (1.7.2007), (ख) कुडप्पा स्थित 315 एमवीए आईसीटी, (ग) गूटी स्थित 315 एमवीए आईसीटी, कोलार स्थित 3 x 167 एमवीए आईसीटी तथा सोमनहल्ली स्थित विद्यमान रिएक्टर के लिए स्विचिंग व्यवस्था का प्रावधान, (घ) गुजुवाका स्थित 315 आईसीटी, (ड.) मुनीराबाद स्थित 315 एमवीए आईसीटी तथा (च) खम्माम स्थित 315 एमवीए आईसीटी ।	13 मार्च, 08
128.	9/2008	23.1.2008	एनएचपीसी	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए तीस्ता-एचई परियोजना स्टेज - V के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अनुमोदन ।	31 मार्च, 08

(आ) केविविआ के समक्ष अंतर्वर्ती आवेदन

पिछले वर्ष (2006-07) के आगे लाई गई अंतर्वर्ती आवेदनों की संख्या	2007-08 के दौरान प्राप्त अंतर्वर्ती आवेदन की संख्या	कुल	निपटाए गए	31.3.2008 को लंबित अंतर्वर्ती आवेदनों की संख्या
6	39	45	43	2

उपाबंध-VI

80% पीएलएफ पर पैसे/केडब्लूएच एक्स-बस में 31.03.2008 को विद्यमान एनटीपीसी के उत्पादन केन्द्रों के उत्पादन (टैरिफ) की लागत

क्रम स.	उत्पादन केन्द्र का नाम	31.3.2007 को संस्थापित क्षमता	नियत प्रभार	मार्च 2008 को ऊर्जा प्रभार	योग	उत्पादन की भारित औसत लागत	31.3.2008 को संस्थापित क्षमता	नियत प्रभार	मार्च 2008 को ऊर्जा प्रभार	योग	उत्पादन की भारित औसत लागत
	वर्ष		2006.07					2007.08			
	यूनिट	मेगावाट	पैसे/केडब्लूएच	पैसे/केडब्लूएच	पैसे/केडब्लूएच	पैसे/केडब्लूएच	मेगावाट	पैसे/केडब्लूएच	पैसे/केडब्लूएच	पैसे/केडब्लूएच	
एनटीपीसी के कोयला आधारित थर्मल उत्पादन केन्द्र											
अ	पिट हैड उत्पादन केंद्र										
1	रिहन्द एसटीपीएस स्टेज-I	1000.00	52	95	147	134	1000.00	53	101	154	145
2	रिहन्द एसटीपीएस स्टेज-II	1000.00	80	97	177		1000.00	82	104	187	
3	सिंगरौली एसटीपीएस	2000.00	29	84	113		2000.00	27	102	129	
4	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-I	1260.00	36	104	140		1260.00	37	110	147	
5	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-II	1000.00	35	100	135		1000.00	70	106	176	
6	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-III	500.00	88	100	188		1000.00	87	106	194	
7	कोरबा एसटीपीएस	2100.00	32	55	87		2100.00	30	62	93	
8	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज-I & II	2100.00	33	99	133		2100.00	34	106	140	
9	रामागुंदम एसटीपीएस स्टेज-III	500.00	83	104	187		500.00	83	115	197	
10	तलचर टीपीएस	460.00	63	71	134		460.00	63	71	134	
11	तलचर एसटीपीएस स्टेज-I	1000.00	62	72	134		1000.00	62	75	137	
12	तलचर एसटीपीएस स्टेज-II	2000.00	72	72	144		2000.00	70	75	145	
	उप योग	14920.00					15420.00				
आ.	गैर-पिड हैड उत्पादन केंद्र										
13	एफजीयूटीपीपी टीपीएस स्टेज-I	420.00	51	128	179	195	420.00	52	140	192	208
14	एफजीयूटीपीपी स्टेज-II	420.00	66	127	193		420.00	66	139	205	
15	एफजीयूटीपीपी स्टेज-III	210.00	103	130	233		210.00	102	139	242	
16	एनसीटीदपी दारी	840.00	60	166	226		840.00	60	161	221	
17	फरका एसटीपीएस	1600.00	49	109	157		1600.00	49	124	173	
18	टांडा टीपीएस	440.00	63	175	237		440.00	64	170	234	
19	बदरपुर टीपीएस	705.00	50	214	264		705.00	49	243	293	
20	कहलगाँव एसटीपीएस	840.00	58	125	183		840.00	58	156	214	
21	सिम्हाद्री	1000.00	72	98	169		1000.00	72	104	176	
	उप योग	6475.00					6475.00				
	योग	21395.00				152	21895.00				163
एनएलसी- के लिग्नाइट आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशन											
1	टीपीएस -I	600.00	43	133	182	173	600.00	43	135	182	179
2	टीपीएस स्टेज-I	630.00	31	123	155		630.00	32	130	162	
3	टीपीएस स्टेज-II	840.00	34	123	158		840.00	35	130	165	
4	टीपीएस (विस्तारण)	420.00	105	114	219		420.00	104	122	226	
	कुल लिग्नाइट	2490.00					2490.00				
एनटीपीसी के गैस/द्रव ईंधन आधारित स्टेशन											
अ.	ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस/आरएलएनजी का उपयोग करने वाले										
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	34	129	162	245	829.78	33	335	369	332
2	फरीदाबाद	431.00	63	122	185		431.00	63	94	157	
3	अंता सीसीजीटी	419.33	27	135	162		419.33	27	98	125	
4	औरैया जीपीएस	663.36	25	161	186		663.36	25	119	145	
5	गंधार जीपीएस	657.39	54	223	277		657.39	83	273	356	
6	कवास जीपीएस	656.20	85	387	472		656.20	53	645	699	
		3657.06					3657.06				
आ.	ईंधन के रूप द्रव ईंधन (नाफ्था/एचएसडी) का उपयोग करने वाले										
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	34	687	721	716	829.78	33	730	763	899
1	फरीदाबाद	431.00	63	710	773		431.00	63	807	870	
3	अंता सीसीजीटी	419.33	27	668	695		419.33	27	897	924	
2	औरैया जीपीएस	663.36	25	633	658		663.36	25	1025	1050	
3	कायमकुलम सीसीजीटी	359.58	84	636	720		359.58	83	636	719	
4	कवास जीपीएस	656.20	85	658	743		656.20	53	968	1021	
		3359.25					3359.25				
निपको के गैस/द्रव ईंधन आधारित स्टेशन											
1	अगरतला जीपीएस	84.00	92	84	176	166	84.00	91	89	180	171
2	असम जीपीएस	291.00	123	41	164		291.00	121	48	169	

नोट 1 एनएमसी के लिए माननीय पीएलएफ 75% तय किया गया है

2 क्रमशः 2007 तथा 2008 को ऊर्जा प्रभार

3 अनंतिम वार्षिक क्षमता प्रभार पर आधारित

मार्च 2008 में एनटीपीसी के कोयला आधारित पिट हैड उत्पादन केन्द्रों के उत्पादन की लागत

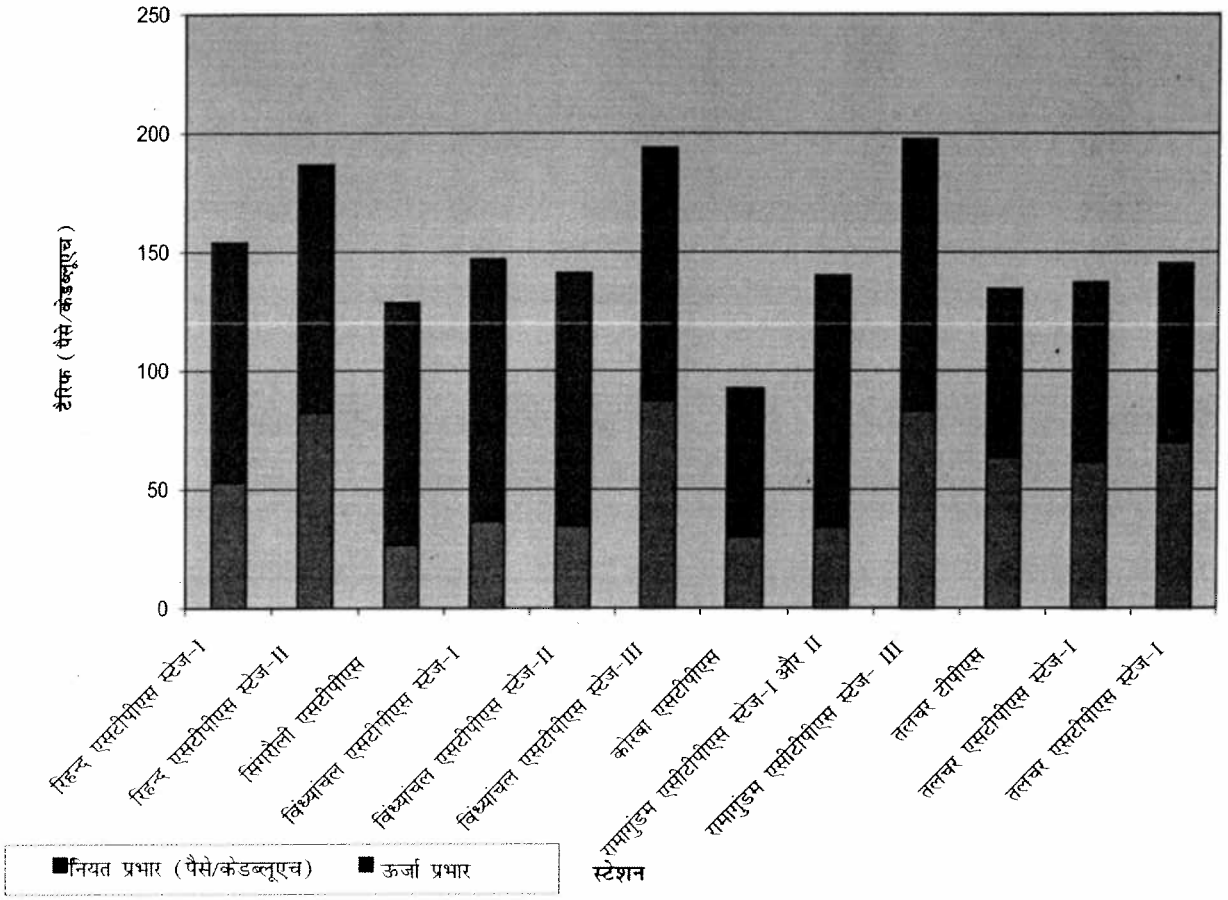

मार्च 2008 एनटीपीसी के नान-पिट हैड केन्द्रों के लिए उत्पादन की लागत

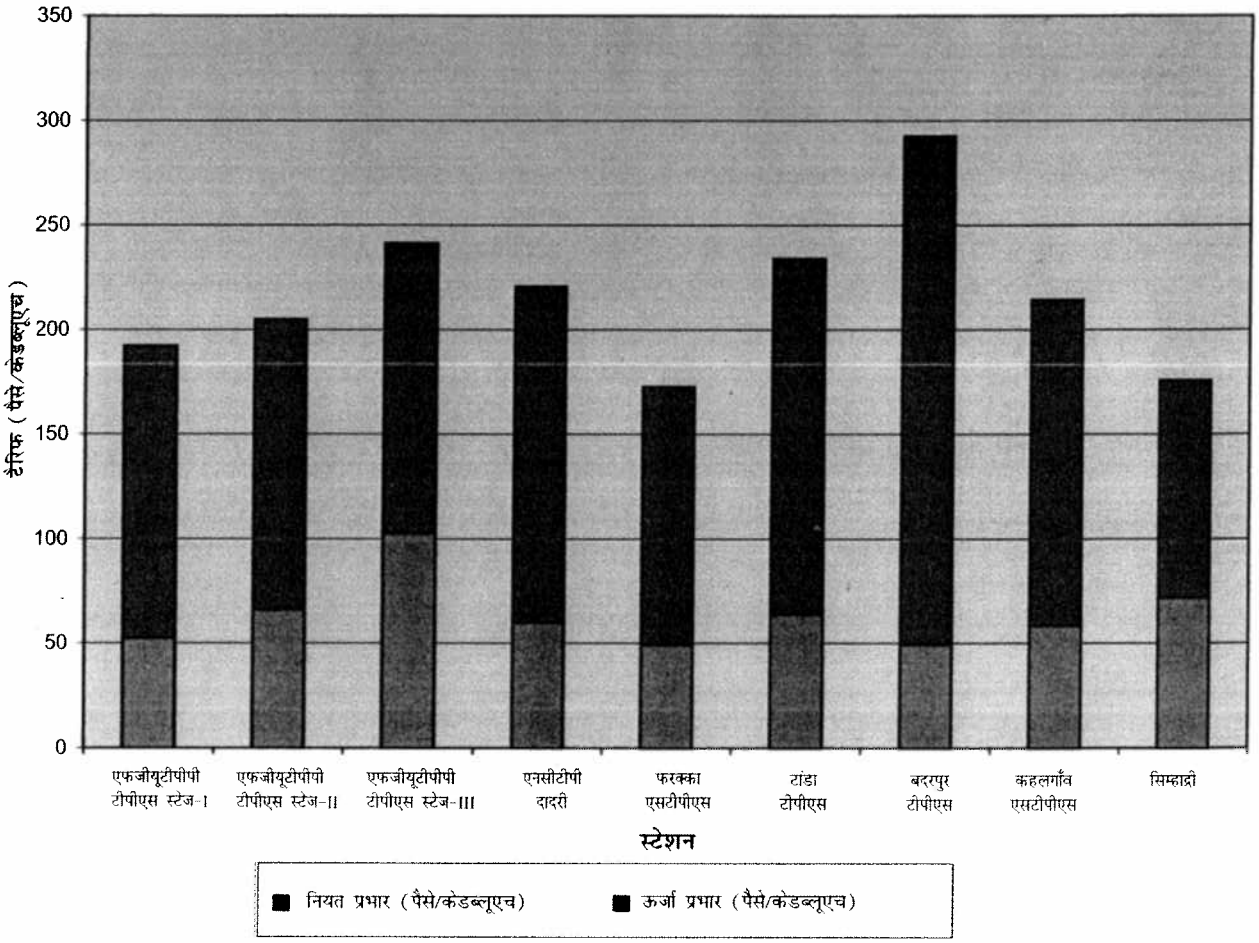

मार्च 2008 में एनटीपीसी के गैस/आरएलएनजी ईंधन तथा निपको के गैस आधारित केन्द्रों के उत्पादन (टैरिफ) की लागत